चतुर्थ माला, खंड 16, अंक 41
Fourth Series, Vol. XVI, No. 41

गुरुवार, 11 अप्रैल, 1968/22 चैत्र, 1890 (शाक)
Thursday, April 11, 1968/Chaitra 22, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

11 अप्रैल, 1968 । 22 चैत्र , 1890 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
134	पंक्ति 20 के बाद निम्नलिखित पढ़िये

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 41, गुरुवार, 11 अप्रैल, 1968/22 चैत्र, 1890 (शक)

No. 41, Thursday, April 11, 1968/Chaitra 22, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1167. सहकारिता विकास संबंधी राष्ट्रीय योजना	National Plan on Co-operative Development ..	1—3
1168. भारत लाए जा रहे तथा स्वेज नहर में रोक लिए गये माइलो (अनाज) की बिक्री	Sale of India Bound Milo Stranded in Suez Canal ..	3—5
1170. बहुमत वाले कार्मिक संघ	Majority Unions ..	5—7
1172. केरल के लिये व्यावहारिक पोषाहार	Applied Nutrition for Kerala ..	7—8
1174. एपीजे शिपिंग कम्पनी	Appejay Shipping Company ..	8—15
1176. भारत सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों में हड़ताल तथा तालाबन्दी	Strike and Lock outs in Government of India offices/undertakings ..	16—18
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
20. चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Sugar ..	18—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1169. खाद्यान्न का मूल्य स्तर	Price Level of Foodgrains ..	21—22
1171. कर्मचारी भविष्य निधि फेडरेशन की मांगें	Demands of Employees' Provident Fund Staff Federation ..	22—23

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1173. सिंचाई के लिए भूमिगत जल निकालना	Drilling of Underground Water for Irrigation Purposes ..	23
1175. फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Workers in Film Industry ..	23—24
1177. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	24
1178. गेहूं का वसूली मूल्य	Procurement Price of Wheat ..	24—25
1179. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees Provident Fuud Organisation ..	25
1180. भविष्य निधि आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees working under Provident Fund Commissioner ..	25
1181. गोदी श्रमिक बोर्ड	Dock Labour Board ..	26
1182. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	East Pakistan Displaced Persons ..	26—27
1183. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees ..	27—28
1184. गन्ने की बीमारी	Sugar-cane Disease ..	28
1185 कार्बनिक खाद की आवश्यकता	Requirement of Organic Manure ..	28—29
1186. बंगाल पेपर मिल रानीगंज	Bengal Paper Mills, Raniganj	29
1187. दक्षिण भारत में संसद् के सत्र संबंधी संसद् सदस्यों की समिति	Committee of M. P's on Parliament Session in South India ..	29—30
1188. औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings ..	30
1189. जम्मू तथा काश्मीर के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of J and K Refugees	30
1190. डाक तथा तार विभाग के डाकियों और अन्य कर्मचारियों के लिए वर्दियां	Uniforms for Postmen and other Employees of P and T Department ..	30—31
1191. सहकारी खेती	Co-operative Farming ..	31
1192. व्यवहार प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन	Changes in Code of Civil Procedure ..	31—32
1193. अनाज की फसलों की बजाय व्यापारिक फसलों की खेती	Diversion of Land to Cash Crops ..	32

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1194. अनाज की वसूली और संग्रह	Procurement and Storage of Food grains ..	32—33
1195. भारत में उर्वरकों की मांग	Demand for Fertilizers in India ..	33
1196. असिंचित क्षेत्र	Unirrigated Areas ..	33—34
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6896. केन्द्रीय समुद्र मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था मंडपम	Central Marine Fisheries Research Institute, Mandapam ..	34
6897. एगले तक टेलीफोन सेवा का विस्तार	Telephone Extension to Agaly ..	34—35
6898. केरल में मत्स्यग्रहण बन्दरगाहें	Fishing Harbours in Kerala ..	35
6899. उत्पादिता बढ़ाने के तरीके	Productivity Techniques ..	35
6900. मध्य प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works in M. P. ..	36—37
6901. मध्य प्रदेश में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in M. P. ..	37
6902. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों का हिन्दी सीखना	Learning of Hindi by Staff of P and T Department ..	38
6903. यंत्रीकृत प्रक्षेत्र (फार्म)	Mechanised Farms ..	38—39
6904. राष्ट्रीय बीज निगम	National Seeds Corporation	39—40
6905. राष्ट्रीय बीज निगम	National Seeds Corporation ..	40
6906. दंडकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project	40
6907. कटक में डाक व तार कर्मचारी	Post and Telegraph Employees at Cuttack ..	41
6908. उड़ीसा में प्रायोगिक नलकूप	Exploratory Tube wells in Orissa	41
6909. दंडकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project	41—42
6910. गन्ने के मूल्य का भुगतान	Payment of Sugar-cane Price	42—43
6911. निजाम चीनी कारखाने को छूट	Exemption to Nizam Sugar Factory ..	43
6912. आन्ध्र-प्रदेश के भू-बंधक बैंक	Land Mortgage Banks of Andhra Pradesh ..	44
6913. आन्ध्र-प्रदेश से चावल का निर्यात	Rice Export from Andhra Pradesh ..	44

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6914.	भेड़ पालन केन्द्र	Sheep Breeding Centres ..	44—45
6915.	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रियदर्शनी टेलीफोन	I. T. I. Manufactured priyadarsini Telephone Sets ..	45—46
6916.	ऊपरी तारों (लाइनों) के स्थान पर भूमिगत तार बिछाना	Conversion of Overhead lines into Underground Cables ..	46—47
6917.	बम्बई दूर संचार केन्द्र	Bombay Telecommunication Exchange ..	47—48
6918.	अधिक उपज देने वाले बीजों की सप्लाई	Supply of High Yielding varieties of Seeds ..	48
6919.	पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार	Employment during Five Year Plans ..	48—49
6920.	अमरीका से अनाज का आयात	Import of Foodgrains from USA	49
6922.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय	Merger of Employees provident fund organisation and employees' State Insurance Corporation ..	49—50
6923.	मुंघेर में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम	Applied Nutrition programme in Monghyr ..	50
6924.	पश्चिम बंगाल के सिनेमा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Cinema Employees of West Bengal ..	50—51
6925.	समाचार पत्र कर्मचारी संगठन	Newspapers Employees' Organisations ..	51
6926.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries under Employees State Insurance Scheme ..	51
6927.	मोकमेह टेलीफोन केन्द्र	Mokameh Telephone Exchange ..	52
6928.	कोयला खानें	Collieries ..	52
6929.	कृषि मजदूर	Agricultural Labourers ..	52—53
6930.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डाकघर तथा उप-डाकघर	Post Offices and Sub-post offices in Andaman and Nicobar Islands ..	53—54
6931.	कर्मचारी भविष्य निधि सम्बन्धी विनियम	Employees Provident Fund Regulations ..	54
6932.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	East Pak. Displaced Persons ..	54—55

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6933. पोस्टमास्टरों का प्रथम श्रेणी की पदालि में चयन	Selection of Post Masters to Class I Cadre ..	55
6934. पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं की सप्लाई	Rice and Wheat Supply to West Bengal ..	55—56
6935. राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission ..	56
6936. एपीजे शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Appejay Shipping Company ..	56
6937. अनाज का जमा होना	Accumulation of Foodgrains ..	57
6938. राशन व्यवस्था	Rationing ..	57
6939. हड़ताल और तालाबन्दी	Strike and lock outs ..	58
6940. सरकारी क्षेत्र में श्रम उत्पादिता	Labour productivity in public Sector ..	58
6941. टेलीफोन	Telephone Connections ..	59
6942. एस्सो तेल कम्पनी	Esso Oil Company ..	59
6943. उषा सेल्ज लिमिटेड	Usha Sales Ltd. ..	59—60
6944. दरभंगा जिले का मधुबनी सब-डिवीजन	Madhubani Sub Division of Darbhanga District ..	60
6945. खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains	60—61
6946. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj ..	61
6947. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation ..	61—62
6948. उत्तर प्रदेश में फैक्टरी अधिनियम के उल्लघंन के मामले	Cases of Violation of Factory Act in U. P. ..	62
6949. जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in Jammu and Kashmir ..	62
6950. नई दिल्ली सहकारी बैंक	New Delhi Co-operative Bank ..	62—63
6951. दिल्ली टेलीफोन निर्देशिका का हिन्दी संस्करण	Hindi Version of Delhi Telephone Directory ..	63
6952. मानवीय उपभोग के लिये अयोग्य खाद्यान्न	Foodgrains rendered unfit for Human Consumption ..	63—64

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6953. सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र	Suratgarh Mechanical Farm ..	64
6954. नसरुलागंज (मध्य प्रदेश) में ट्रंक काल कनेक्शन	Trunk Call Connections in Nasarulaganj (Madhya Pradesh) ..	64—65
6955. बल्लभनगर (राजस्थान) में कृषि प्रक्षेत्र	Agricultural Farm at Vallabhanagar (Rajasthan) ..	65
6956. चावल की खेती वाली भूमि	Area under Rice Cultivation	65—66
6957. प्रक्षेत्र प्रबन्ध के लिये अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान	Grants to Research Bodies for Farm Management ..	66—67
6958. ग्रामीण अनाज संग्रह-समस्या संबंधी गोष्ठी	Seminar on Rural Grain Storage problem ..	67
6959. दादरी में तथा जेवार परगना में भूमि	Land in Dadri and Jewar Pargana	67
6960. दादरी में भूमि का आवंटन	Allotment of land in Dadri	68
6961. बुलन्दशहर में फार्म (प्रक्षेत्र)	Farm in Bulandshahr ..	68—69
6962. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्त पद	Vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	69—70
6963. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोजगार संबंधी सहायता	Employment Assistance to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons ..	70
6964. अच्छी प्रकार न रखने के कारण फलों का नाश	Wastage of Fruits due to Faulty Storage ..	70—71
6965. पौधा रक्षा निदेशालय	Plant Protection Directorate	71—72
6966. दिल्ली में मुर्गी पालन विकास योजना	Poultry development scheme in Delhi ..	72—73
6967. रोडेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative stamps to honour the Martyrdom of Rhodesian Freedom Fighters ..	73
6968. सस्ती दरों पर अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains at Cheaper rates ..	73—74
6969 बीजों की सप्लाई	Supply of Seeds ..	74

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6970.	डायरेक्ट डायल व्यवस्था रहित स्थानों के लिये ट्रंक टेलीफोन काल	Trunk calls to places not connected with direct dialing system ..	74—75
6971.	घेराव के बारे में संहिता बनाने के लिये त्रिपक्षीय सम्मेलन	Tripartite meeting on code regarding Gheraos ..	75
6972.	क्रीम निकाले हुए दूध का आयात	Import of Skimmed Milk ..	75—76
6973.	नेपाल को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Nepal ..	76—77
6974.	एर्णाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज	Ernakulam Telephone Exchange ..	77
6975.	केरल डाक व तार सर्किल में टेलीफोन	Telephone connections in Kerala P and T Circle ..	77—78
6976.	गन्ने तथा गेहूं का उत्पादन	Production of Sugar-cane and Wheat ..	78
6977.	स्मृति डाक टिकटें	Commemoration Stamps ..	78
6978.	सहकारी खेती	Co-operative Farming ..	79
6979.	कोचीन को डायरेक्ट टेलीफोन लाइन	Direct Telephone Line to Cochin ..	79—80
6980.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाना	Revitalisation of Community Development Projects ..	80
6981.	विदर्भ क्षेत्र में डाक तथा तार का विकास	Development of Posts and Telegraphs in Vidarbha Region ..	80
6982.	तमिलनाडु में बीज प्रक्षेत्र	Seed Farm in Tamil Nadu ..	80—81
6983.	दक्षिण भारत में दालों की कमी	Shortage of Pulses in South India ..	81
6984.	डाक तथा तार विभाग में सेलेक्शन ग्रेड के पद	Selection Grade Posts in P and T Department ..	81—82
6985.	टेलीफोन केन्द्रों के कर्मचारियों के लिये विश्राम-गृह	Rest Rooms for Employees of Telephone Exchanges ..	82
6986.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन	Telephone Connections in Madhya Pradesh ..	83
6987.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन	Telephone connections in M. P. ..	83—84
6988.	दिल्ली में राशन जोन	Rationing Zones in Delhi ..	84
6989.	दिल्ली में डाक्टरों के लिये चीनी का विशेष कोटा	Special quota of Sugar for Doctors in Delhi ..	84

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6990. राजपत्रित अधिकारियों के निवास-गृहों में टेलीफोन	Telephone connections at Residences of Gazetted Officers ..	84—85
6991. दण्डकारण्य विकास प्राधिकार	Dandkaranya Development Authority ..	85—86
6992. मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ केन्द्र	Employment Exchanges in Madhya Pradesh ..	86
6993. मध्य प्रदेश में कमी वाले क्षेत्र	Scarcity areas in Madhya Pradesh ..	86—87
6994. मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed Persons in Madhya Pradesh ..	87—88
6995. मध्य प्रदेश में किसानों को दीर्घकालिक ऋण	Long Term Loans to Farmers in Madhya Pradesh ..	88—89
6996. दण्डकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project ..	89—90
6997. दण्डकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project	90—91
6998. अनुसूचित जातियों के भूमि-हीन व्यक्तियों के लिए भूमि	Land for Scheduled Castes Landless Persons ..	91
6999. तेल के बीजों का उत्पादन	Production of Oil Seeds ..	91
7000. कृषि विकास निगम	Agricultural Development Corporation ..	92
7001. अहमदाबाद नगर में टेलीफोन	Telephone Connections in Ahmedabad City ..	92—93
7002. मेहसाना जिले के गांवों में टेलीफोन लाइनें	Telephone Lines in Villages in Mehsana District ..	93—94
7003. अहमदाबाद के लिये टेलीफोन निर्देशिका	Telephone Directory for Ahmedabad ..	94
7004. शहरों के टेलीफोन एक्सचेंजों से गांवों को टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections to Villages from Telephone Exchange in Cities ..	95—96
7005. कमी वाले क्षेत्र	Scarcity Areas ..	96
7006. गन्ने के साथ प्याज उगाना	Growing Onions along with Sugar-cane ..	96—97
7007. पशुओं की नस्ल सुधारने सम्बन्धी योजना	Cattle Breeding Scheme ..	97
7008. वन अनुसंधान संस्था, देहरादून	Forest Research Institute, Dehra Dun ..	97—98
7009. आस्ट्रेलिया से पशु	Cattle from Australia ..	98

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

7010. खुले बाजार में खाद्यान्नों की खरीद	Purchase of foodgrains in open market ..	98—99
7011. अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन	All India Soil and Land Use Survey Organisation ..	99
7012. शपथ अथवा प्रतिज्ञान	Oath of Allegiance or Affirmation ..	99—100
7013. लामफेल पत (मनीपुर) में भूमि का कृष्यकरण	Cultivation of Land at Lamphel Pat (Manipur) ..	100
7014. इंडियन ला रिपोर्ट्स	Indian Law Reports ..	101
7015. मनीपुर तथा त्रिपुरा में खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains in Manipur and Tripura ..	101
7016. इम्फाल और मनीपुर के बीच तार संचार	Tele Communications between Imphal and Manipur ..	101—102
7017. टेलीफोन विभाग के लाइनमैन तथा मैकेनिक	Linemen and Mechanics in Telephone Department ..	102
7018. रूमानियां से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Rumania ..	103
7019. श्रमिक डिपो, गोरखपुर	Labour Depot, Gorakhpur ..	103
7020. कोयला खानों द्वारा लाभांश बोनस का भुगतान	Payment of Profit Sharing Bonus by Coal Mines ..	103—104
7021. राज्यों में राशनिंग व्यवस्था में ढील	Relaxation of Rationing in States ..	104
7022. बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट	Radio Sets without Licences ..	104—105
7023. गेहूं का वसूली मूल्य	Procurement price of Wheat ..	105
7024. काम दिलाऊ दफ्तर, मनीपुर	Employment Exchange, Manipur ..	105—106
7025. दिल्ली में राशन की दुकानों में आयातित गेहूं	Imported Wheat with Ration Shops in Delhi ..	106
7026. बुलन्दशहर के राशन व्यापारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Ration Dealer of Bulandshahr ..	106—107
7027. सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र	Suratgarh Mechanised Farm ..	107—108
7028. वनस्पति का निर्यात	Export of Vanaspati ..	108

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7029.	चीनी सम्बन्धी नीति	Sugar Policy ..	108—109
7030.	भारतीय जल प्रांगण में जहाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये नई टेलीफोन योजना	New Telephone Scheme to contact Ships in Indian Territorial Waters ..	109
7031.	अधिवक्ता अधिनियम का पुर्नविलोकन	Review of Advocates' Act. ..	109—110
7032.	राज्यों में टेलीफोन	Telephones in States ..	110
7033.	डाकघर और शाखा डाकघर	Post Offices and Branch Post Offices	110
7034.	करनाल में ए० एफ० पी० आर० ओ० शिविर	A. F. P. R. O. Camp at Karnal	110
7035.	अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains ..	111
7037.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Employees' Provident Fund Organisation ..	111
7038.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Employees of Employees Provident Fund Organisation..	111—112
7039.	राजस्थान में पंचायत केन्द्रों में टेलीफोन	Telephones at Panchayat Centres in Rajasthan ..	112
7040.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी केन्द्र	Deep Sea Fishing Station, Bombay ..	112—113
7041.	मद्रास के डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री	Sale of Inland Letters at Post Offices in Madras ..	113
7042.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की सूचना	Strike Notice by DMS Employees ..	114
7043.	बिहार में कोसी नदी क्षेत्र	Kosi River Zone in Bihar ..	114—115
7044.	आसाम में अकाल की स्थिति	Famine conditions in Assam ..	116
	कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग के बारे में प्रश्न	Point re. use of certain words ..	116—117
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
	उत्तर प्रदेश में स्थिति	Situation in Uttar Pradesh ..	117—119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	120—122
प्राक्कलन समिति— 49वां प्रतिवेदन	Estimates Committee— Forty-ninth Report ..	122
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
चौबीसवां तथा पच्चीसवां प्रतिवेदन—	Twenty-fourth and Twenty-fifth Reports ..	123
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ग्यारहवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings— Eleventh Report ..	123
समितियों के लिये निर्वाचनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Elections to committees ..	123
(एक) प्राक्कलन समिति	(i) Committee on Estimates ..	123
(दो) लोक लेखा समिति	(ii) Committee on Public Accounts ..	124
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	(iii) Committee on Public undertakings ..	124—125
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for grants, 1968-69 ..	125—134
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation—	
श्री ब० ना० भार्गव	Shri B. N. Bhargava ..	125—126
श्री ना० रा० पाटिल	Shri N. R. Patil ..	126—127
श्री मु० न० नाघनूर	Shri M. N. Naghnoor —	127—128
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna ..	128—129
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde ..	129—131
श्री अब्राहम	Shri K. M. Abraham ..	131—132
श्री गा० शं० मिश्र	Shri G. S. Mishra ..	132—133
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	133—134
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra ..	134
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	Twenty-seventh report ..	134
विधेयक पुर:स्थापित किये गये—	Bills introduced—	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री सेझियान का) (अनुच्छेद 31-क, 168 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 31-A, 168 etc. by Shri Era Sezhiyan ..	135

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(दो) भारतीय पेंशन विधेयक श्री नीतिराज सिंह चौधरी का	Indian Pensions Bill by Shri Nitiraj Singh Chaudhary ..	136
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	
(अनुच्छेद 220 का प्रतिस्थापन) श्री ओम प्रकाश त्यागी का	(Substitution of article 220) by Shri O. P. Tyagi ..	136
कार्मिक संघों का मान्यता विधेयक— श्री मधुलिमये का, वापस लिया गया	Recognition of Trade Unions Bill—by Shri Madhu Limaye withdrawn ..	137—142
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye ..	137—138
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey ..	138
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	138
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav ..	138—139
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	139—140
श्री अब्राहम	Shri K. M. Abraham ..	140
श्री हाथी	Shri Hathi ..	140—142
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 292, 293 आदि का संशोधन), वाद-विवाद पुनः आरम्भ किया गया	Indian Penal Code (Amendment) Bill—(Amendment of sections 292, 293, etc.) Debate resumed ..	142—146
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ..	142
(प्रवर समिति को सौंपने के लिये संशोधन—स्वीकृत)	(Amendment to refer to Select Committee—adopted) ..	146
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	142—143 144—145
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	143
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ..	143—144
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ..	144
श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai ..	144
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक वाद-विवाद स्थगित किया गया	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—Debate adjourned (Omission of section 80) by Shri Nath Pai ..	146—148
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	147

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक के बारे में	Re: Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill ..	148
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	Land Acquisition (Amendment) Bill	
(धारा 11, 23 आदि का संशोधन) श्री स० चं० सामन्त का	(Amendment of sections 11, 23 etc.) by Shri S. C. Samanta ..	148—150
परिचालित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ	Motion to circulate—adopted ..	148—150
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta ..	148—149
श्री रंगा	Shri Ranga ..	149
श्री मृत्युञ्जय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad ..	150
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsi Das Jadhav ..	150
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil ..	150
श्री मंडल को बिहार का मुख्य मंत्री बनाये जाने के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ	Motion re. Installation of Shri Mandal as Chief Minister of Bihar—Negatived ..	151—154
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ..	151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu ..	151—152
श्री मृत्युञ्जय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad ..	152
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	152,153—154

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 11 अप्रैल, 1968/22 चैत्र, 1890 (शक)
Thursday, April 11, 1968/Chaitra 22, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सहकारिता विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना

*1167. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा सहकारिता के विकास के लिये राष्ट्रीय योजना बनाने के बारे में सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ से सहकारी विकास की एक राष्ट्रीय योजना बनाने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता का विकास करने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका स्वरूप और कार्य-क्षेत्र क्या है ;

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने हाल में ही इसके लिये एक अध्ययन दल बनाया है । इसकी बैठक 19 अप्रैल को होगी । अगली योजना में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये इसकी कुछ बैठकें होंगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : आजकल सहकारिता आन्दोलन पर कितना धन व्यय किया जाता है और आगामी चार या पांच वर्षों में इसके विकास के लिये कितनी रकम की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसका उत्तर वाद विवाद में दिया जायेगा किन्तु 1967-68 में इस प्रयोजन के लिये लगभग 38 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा ।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह देखते हुए कि देश ने नागपुर कांग्रेस के सहकारी खेती के प्रस्ताव को नहीं माना है, क्या सहकारिता के विकास हेतु केवल किसानों की सुविधा के लिये कृषि पदार्थों का वितरण करने के लिये ही सहकारी उपभोक्ता समितियों की व्यवस्था की जायेगी या सहकारी खेती की ओर भी इसका विस्तार किया जायेगा ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसमें सहकारी खेती भी शामिल है ।

Shri Rabi Ray : May I know whether the Government propose to strengthen the Co-operative Movement at National level keeping in view its shortcomings and the recommendations of the Gadgil Committee ? If so, the details thereof ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सहकारी खेती सम्बन्धी गाडगिल समिति की सिफारिशें हमारे ध्यान में हैं । हमारा जोर, जहां तक कृषि भूमि का सम्बन्ध है, उसके पुनर्नवीकरण पर है और हम विभिन्न स्थानों पर इस भूमि की चकबन्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या राष्ट्रीय सहकारी संघ के पास काश्तकारों का अनाज रखने के लिये अपने गोदाम हैं ? यदि हां, तो वे अपने भंडारण का समन्वय भाण्डागार निगम और अन्य निकायों के साथ कैसे करते हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सहकारी समितियों के अपने गोदाम हैं और विपणन समितियां, पूर्ति समितियां इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर योजना बना रहे हैं ।

Shri Raghubir Singh Shastri : Is the Hon'ble Minister aware that the Co-operative movement has belied our hopes and has been found unsuccessful to fulfil their aims and targets ? If so, will the Government reconsider the matter with a view to make it a success ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : माननीय सदस्य ने बहुत चलती बात कह दी है । सहकारिता आन्दोलन असफल नहीं हुआ है । कुछ क्षेत्रों में कमियां हो सकती हैं और इनकी बराबर जांच हो रही है । हम आन्दोलन में आई हुई कमियों और रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और यथासंभव इसका विस्तार कर रहे हैं । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आन्दोलन असफल हो गया है

श्री पीलु मोडी : सफलता का मानक क्या है ?

Shri Jharkhande Rai : Is the Government of India satisfied with the progress of the Co-operative Movement at national level since when Pandit Jawaharlal Nehru launched the drive and took some action and followed by the State Governments ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य यह था कि सीमित साधनों वाले लोग उत्पादन या वितरण के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करें। यह ठीक है कि हमारी आशाएं पूरी नहीं हुयी हैं ;

श्री पीलु मोडी : क्यों ?

श्री जगजीवन राम : इसके लिये मेरे माननीय मित्र को देर तक सीखना होगा।

श्री पीलु मोडी : मुझे देर तक सीखने की जरुरत है लेकिन मंत्री महोदय की दीर्घ पदावधि से समस्या नहीं सुलझेगी।

श्री जगजीवन राम : मैं अपने माननीय मित्र को राय दूंगा कि वे देश के सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ पढ़ें। तब उन्हें इसका ज्ञान होगा। **(व्यवधान)** ... ... मैं कह रहा था कि इसमें कुछ कमियां और त्रुटियां हैं। हमारा विचार यह है कि हम मुख्य मंत्रियों और सहकारिता मंत्रियों की एक बैठक बुलावें ताकि हम कार्यक्रम की नीति में और यदि आवश्यक हुआ तो, अधिनियम में भी संशोधन कर सकें।

भारत लाये जा रहे तथा स्वेज नहर में रोक लिये गये माइलो (अनाज) की बिक्री

*1168. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उस माइलो (अनाज) को बेचने के लिये बातचीत कर रही है, जो भारत लाया जा रहा था किन्तु स्वेज नहर में रोक लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यदि सौदा तय कर लिया गया है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के साथ बातचीत अभी तक पूरी नहीं हुई है।

Shri Kameshwar Singh : It is surprising that the Minister has not been able to decide what to do with the 27 lakh tons India bound milo stranded in the Suez Canal. So far as I know the milo cannot remain fit for consumption in the ship after six months. Now he is going to sell it. May I know at what rate it is being sold to U. A. R.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माल का इतनी जल्दी निपटारा सम्भव नहीं था। सदन को मालूम है कि स्वेज नहर के बन्द होने से आबजरवर नामक जहाज नहर में खड़ा रहा। उसके समीप का क्षेत्र इजरायल के कब्जे में है। इसलिये जहाज को बाहर निकलने के लिये हमने बातचीत करने की कोशिश की किन्तु हमारी वार्ता असफल रही।

जहां तक माल बेचने की बात है, अमरीका के साथ हुए समझौते के अनुसार हम इसको बेच नहीं सकते । अतः हमें इसे बेचने के लिये अमरीका की आज्ञा लेनी पड़ी । तब हमने संयुक्त अरब राज्य सरकार से बातचीत की, उन्होंने यह खरीदना स्वीकार कर लिया है पर उसकी शर्तें अभी विचाराधीन हैं । हम माल बेचने को बहुत उत्सुक हैं ।

Shri Kameshwar Singh : The Hon'ble Minister has stated that the milo could not be sold without the permission of the U. S. A. When was the permission sought from U. S. A.? And when did they give the permission ? At what rate is milo being sold to U. A. R. and the estimated loss in the deal ? There was famine in our country and the milo was there in the ship. It could be brought over to India. But the Government did not look to it.

अध्यक्ष महोदय : आप बेकार की बातें ला रहे हैं । एक साधारण प्रश्न को अनावश्यक रूप से जटिल बना रहे हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस जहाज में लगभग 27,400 मेट्रिक टन माइलो था । शुरू में हमने कोशिश की कि जहाज स्वेज नहर से बाहर निकाला जाय ताकि वह भारत पहुंच सके । जब हम इसमें असफल रहे तो हमने इसे बेचने के लिये अमरीकी सरकार की आज्ञा मांगी, आज्ञा मिलने में कोई विलम्ब नहीं हुआ लेकिन संयुक्त अरब राज्य सरकार इसको खरीदने के लिये तैयार नहीं थी । उन्होंने कहा कि वे माइलो नहीं खाते और उसका उपयोग केवल मुर्गियों और जानवरों के लिये हो सकता है । अतः इस पर कुछ समय लगा । इस समय इसकी कीमत तय नहीं हुई है पर वे लेने को राजी हो गये हैं ।

Shri Kameshwar Singh ; The price would have been fixed if they have agreed to buy it. But you do not want to inform the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : This is that quality of milo which is not consumed even by the animals. That quality is imported to our country.

अध्यक्ष महोदय : हमारे देश की इतनी दयनीय अवस्था है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is given to the poor people in our country and they fall ill after eating it. What is the special action proposed to be taken by the Government not to import such foodgrains ? At what rate is the milo being sold and what is the amount of the loss sustained by the Government ?

Mr. Speaker : U. A. R. Government is purchasing this milo. The price has not been fixed so far.

Shri Hukam Chand Kachwai : What would be the amount of loss ?

Mr. Speaker : It will be known when the price is fixed.

श्री हेम बरुआ : हमको यह बताया गया था कि बजट कागजातों के साथ संसद् सदस्यों को स्वेज नहर बन्द हो जाने के कारण हुई क्षति का मूल्य बताया जायेगा किन्तु वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया । इस संदर्भ में क्या मैं खाद्य और कृषि मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने बढ़े

हुए मार्ग व्यय और अनाज के समय पर न मिलने, जैसे माइलो के मामले में हुआ है, से हुई क्षति का कोई अनुमान तैयार किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कीमत में हुई वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध हैं। उचित समय मिलने पर हम उन्हें पेश कर सकते हैं।

"बहुमत" वाले कार्मिक संघ

*1170. **श्री दामानी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्धों विषयक श्रम आयोग के अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि किसी औद्योगिक विवाद में बातचीत करने का अधिकार केवल 'बहुमत' वाले कार्मिक संघ को ही प्राप्त होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर यह निश्चय किया जायेगा कि 'बहुमत' वाला कार्मिक संघ कौन सा है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई स्वतंत्र न्यायिक अभिकरण बनाने का सरकार का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) एक अध्ययन दल ने इस प्रकार की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). इन मामलों पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद विचार किया जायगा।

श्री दामानी : क्या सरकार ने इस विषय में श्रमिक नेताओं के विचार जान लिए हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : श्रमिक नेता राष्ट्रीय श्रम आयोग में हैं और आयोग ही उनके विचार पूछेगा।

श्री दामानी : क्या सरकार गुप्त मतदान या सदस्यता के सत्यापन को अच्छी प्रणाली समझती है ? दूसरे सरकार कार्मिक संघों को राजनीतिकों के प्रभाव से किस प्रकार बचाना चाहती है ?

श्री हाथी : बहुमत का निर्धारण कैसे किया जाय, इस विषय में दो मत हैं। एक मत यह है कि विशेष संघ की सदस्यता का सत्यापन किया जाय। यह अनुशासन संहिता में निहित है। दूसरा मत गुप्त मतदान करवाने का है। विभिन्न कार्मिक संघों में भी मतभेद है कि बहुमत का निर्धारण कैसे किया जाये। इस समस्या पर राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है। उन्होंने अध्ययन दल नियुक्त किया है और इस जटिल प्रश्न पर उनके विचार जानकर ही हम कोई निर्णय करेंगे।

Shri A. B. Vajpayee : There are two all-India organizations of the Railway and Defence Employees. Has the Government accepted the principle of having one union in one industry or factory and if so, what are the facilities to be provided to the union having 45% membership ?

श्री हाथी : उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । अब तक केन्द्रीय सरकार ने ऐसा नियम नहीं बनाया है कि बहुमत वाली यूनियन को ही मान्यता दी जाए लेकिन यह वांछनीय है कि ऐसा हो किन्तु इस बात पर सभी ट्रेड यूनियन नेताओं का सहमत होना आवश्यक है । कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने इस संहिता को स्वीकार कर लिया है कि बहुमत वाली यूनियनों को मान्यता दी जाये लेकिन वहां एक दिक्कत और है कि 45 प्रतिशत सदस्यता वाली यूनियनें भी झगड़ा खड़ा कर सकती हैं । एक बड़ी कठिनाई यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के औद्योगिक सम्बन्ध राज्यों के क्षेत्र में आते हैं । इसलिए यदि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में नियोजक एक यूनियन को मान्यता करते हैं तो दूसरी यूनियन औद्योगिक न्यायालय में जा सकती है । इसलिए यह एक जटिल प्रश्न है जिसे राष्ट्रीय श्रम आयोग पर छोड़ दिया गया है, उसके बाद हम उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे ।

Shri Ramavtar Shastri : There is great confusion on this account. The Government of Bihar has decided to settle the disputes by ascertaining the majority union by secret ballot. Have the Government considered this suggestion; and if so, the conclusions arrived at and if not the reasons thereof ?

Shri Hathi : 'So far as the Central Government is concerned we have recognized the verification system. We have not recognized the ballot system as yet. But this will be reconsidered when we receive the recommendations of the National Commission on Labour after examining both the aspects.

Shri Ramavtar Shastri : I have enquired about the proposal of the Government of Bihar and you are talking of some other thing.

श्री काशीनाथ पाण्डेय : ट्रेड यूनियन सदस्यता के आधार पर बनायी जाती हैं । यदि गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो यह देखे कि यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए गैर-सदस्य मतदान न करें ।

श्री हाथी : जैसे कि मैं कह रहा हूं, दोनों पक्षों पर विभिन्न मत हैं । एक मत यूनियन के सदस्यों की जांच करने का है और दूसरा सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वे सदस्य हों या नहीं, गुप्त मतदान करवाने का इस समय सरकार ने अनुशासन संहिता के अधीन सदस्यों की जांच करने की पद्धति अपनाई है । जब तक इस पद्धति में परिवर्तन नहीं होता, वह प्रणाणी चालू रहेगी ।

Shri George Fernandes : The Hon'ble Minister has stated that the procedure adopted by the Government for recognition of the union is verification of members. But the past experience is that this does not solve the problem rather it creates more troubles. The union which was not in existence was recognized in Tarapore Atomic Plant. There was strike for 52 days, ten lives were lost and loss of lakhs of rupees was sustained on the question of recognition.

Is the Government prepared to take immediate steps to recognize the unions by secret ballot without waiting for the recommendation of the National Commission on Labour?

श्री हाथी : श्रीमान् जी जब तक राष्ट्रीय श्रम आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं लूंगा।

Shri Bal Raj Madhok: Is it a fact that the Study Team of the Administrative Reforms Commission has suggested that some political parties or political leaders use trade unions for the personal or party's benefit and that the arrangements should be made to see that no outsider should be made office bearer in the trade union and that no political leader should hold any office unless he is directly related to the trade; and if so, what is the reaction of the Government thereto?

Shri Hathi: I do not know about the recommendation of the Administrative Reforms Commission. I have not read them. But the Study Team of the National Commission on Labour has made some recommendations.

श्री पें० वेंकटासुब्बैया : क्या औद्योगिक सम्बन्धों के अध्ययन दल ने इस सुझाव पर गौर किया है कि श्रमिक परियोजनाओं के प्रबन्ध में भाग लें; और यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने उस पर विचार कर लिया है? क्या ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होने चाहिए या ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों में से ही पदाधिकारी चुने?

श्री हाथी : प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारियों द्वारा परियोजनाओं के प्रबन्ध में अधिक भाग लेने की सिफारिश की है। इस बात पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : चूंकि राजनीतिज्ञ ट्रेड यूनियनों में घुस गये हैं और ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों की भलाई के लिए काम करना छोड़ दिया है...(**व्यवधान**)...वह अपनी नौकरी की परवाह करता है। क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि ट्रेड यूनियनों के पदों पर बाहर के आदमी न लिए जाएं? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

श्री हाथी : यदि ट्रेड यूनियनों को बनाना है तो अच्छा होगा कि मजदूर ही अपनी यूनियनें बनावें।

Shri Madhu Limaye: The Hon'ble Minister should not talk in the air. You could not do so even in Ahmedabad. There also you felt the necessity of Nanda, Banswade and Khandubhai Desai.

श्री हाथी : कृपया शान्ति रखें और मेरी बात सुनें। चूंकि मजदूर उतने शिक्षित नहीं है जितने कि नियोजक और चूंकि नियोजकों के भी अपने सलाहकार होते हैं, तो मेरा विचार है कि यदि मजदूर भी अपने सलाहकार रखें तो उससे कोई हानि नहीं होगी।

केरल के लिए व्यावहारिक पोषाहार

*1172 **श्री श्रीधरन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उस राज्य में 10 और खण्डों में व्यावहारिक पोषाहार

कार्यक्रम लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख). केरल सरकार ने वर्ष 1968-69 के लिये 14 नये व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खण्डों की मांग की थी, जिनका नियतन कर दिया गया है ।

श्री श्रीधरन : शायद यह पहला अवसर है जबकि केरल से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं, प्रश्न नहीं उठता, को छोड़कर इस प्रकार दिया है । मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया है । क्या केन्द्रीय सरकार ने व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खण्डों को क्रियान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मेरे उत्तर में यह सूचना दी गई है । हमने 1968-69 के लिए 14 खंडों की मंजूरी दी जा चुकी है । यही समय-सीमा है । केरल सरकार ने हमें अभी तक खंडों के नाम नहीं बताये हैं, लेकिन 14 खंडों के लिए मंजूरी दे दी गयी है ।

श्री क० लकप्पा : इस प्रश्न का सम्बन्ध केरल से है । अखिल भारतीय चिकित्सा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि देश की आधी जनता कुपोषण से पीड़ित है क्या भारत सरकार सारे देश में पोषाहार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बना रही है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : देश में व्यापक और समन्वित रूप से पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तीसरी योजना की अवधि में हमने यह कार्यक्रम 221 खंडों में क्रियान्वित किया है और चौथी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम को एक हजार खंडों में चालू करने का विचार है ।

एपीजे शिपिंग कम्पनी

*1174. **श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कांटावला के समक्ष संसद् सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के समय पेश की गई एपीजे शिपिंग कम्पनी सम्बन्धी फाइल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री ए० एम० थामस ने, जो उस समय खाद्य मंत्रालय में उप-मंत्री थे, अत्यन्त असाधारण तरीके से फाइलें मंगवाकर भी यह निदेश नहीं दिया था कि उस सार्थ के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये;

(ग) क्या उन्हें आस्ट्रेलिया में हमारा उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) क्या उनकी सन्देहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें वापिस बुलाने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) बम्बई उच्चन्यायालय में पेश की गई खाद्य विभाग की फाइल से प्रतीत होता है कि यह फाइल तब खाद्य उपमंत्री श्री ए० एम० थामस के वैयक्तिक सचिव ने मांगी थी और उसी दिन इस अभियुक्ति "उपमंत्री ने देख ली, धन्यवाद" के साथ वापस कर दी थी । जिस प्रकार फाइल मांगी गयी थी उसमें कोई असाधारण बात नहीं थी । इस फाइल से यह भी प्रतीत होता है कि खाद्य विभाग द्वारा पहले से जो कार्यवाही की जा रही थी वही कार्यवाही फाइल की वापसी के बाद पूर्व की भांति की जाती रही । फाइल पर न तो उपमंत्री ने न ही उनकी ओर से कोई निदेश दिया गया था ।

(ग) श्री थामस 15 जुलाई, 1967 से केनबरा में भारत के उच्च आयुक्त हैं ।

(घ) सरकार को उनके वापस बुलाने की किसी मांग और न ही किन्हीं सन्देहास्पद परिस्थितियों का पता है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the Hon'ble Minister should amend his statement otherwise I will have to take action under Direction 15. I myself explained all the facts to the Prime Minister. It is not my responsibility that the question has been transferred. In Yesterday's list it was on the name of the Prime Minister. Mr. H. B. Lall, the then Director-General of Food himself said in the evidenee before the High Court that the direct requisition of a file by the Minister is not an ordinary or normal matter. Now the Hon'ble Minister says that it is not unusual. So these two things are contradictory. Secondly, I myself wrote to the Prime Minister whether the Government propose to recall Mr. Thomas in the light of the suspicious circumstances in which he dealt with the case even after going through the file in the extraordinary way. Shri Govinda Menon, who is present here, conceded that it was a case of cheating. Even after seeing the file Mr. Thomas did not order for blacklisting the firm nor asked for any explanation clarification, or even seeing the firm.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि मंत्री को कोई भी कागज मंगवाने का अधिकार है और इसमें कोई असाधारण बात नहीं है जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है । फिर दूसरे भाग के सम्बन्ध में जब फाइल मंगायी गई, तो विभाग ने पहले ही कार्यवाई ले ली थी, सावधान कर दिया था........ **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye : What action did you take ? I have suggested three actions, **(Interruptions)** ...... I want the reply. I can not be cowed down .... **(Interruptions)**.

श्री रणधीर सिंह : क्या माननीय सदस्य ठीक से व्यवहार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सदन पर नियंत्रण करने देंगे और यदि आप पदासीन होना चाहते हैं तो पधारिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह आकर कुर्सी संभाल सकते हैं।

श्री रणधीर सिंह : मैं नतमस्तक हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, प्रश्न स्पष्ट है। यदि प्रश्न खाद्य मंत्रालय से सम्बन्धित था तो प्रधान मंत्री उसे सम्बन्धित मंत्रालय को अंतरित करना चाहती थीं और यह अन्तरित कर दिया गया।

Shri Mahdu Limaye : The Prime Minister should have informed that a demand was made to recall him. Why are you making this wrong statement ? You kindly see the question.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये जी, खाद्य मंत्री उच्चायुक्त या किसी और को वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उस भाग का उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री मधु लिमये : प्रश्न यह है कि क्या सन्देहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें वापस बुलाने की मांग की गई थी।

I myself have made this demand to the Prime Minister and he says that he is not aware of that. The question was, whether a demand was made for his recall or not. He is not aware of it even after writing to the Prime Minister. What does this mean ? Is this a Government ? And if he has taken some action I want to know as to what out of three actions were taken ? Whether explanation was called from the firm or was the firm blacklisted or prosecuted criminally ? Criminal prosecution was done in 1962 when Shri Jagjiwan Ram was the Food Minister. Therefore, I have said that the behaviour of the Minister was very suspicious. He should have taken the above action after perusing the file. That is why I have asked whether the Government would consider his recall ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक यह प्रश्न संगत है इस पर श्री जगजीवन राम प्रकाश डालें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमने स्थिति का पता लगाया है, आप जानते हैं कि प्रश्न हमें अन्तरित किया गया, जहां तक वापस बुलाने का प्रश्न है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पता किया है और सूचना आधार पर हमने उत्तर दिया है।

जहां तक श्री थौमस का सम्बन्ध है, उन्होंने फाइल देखी थी और मैं कह सकता हूं कि किसी भी मंत्री को अपने मंत्रालय या विभाग का कोई भी कागज देखने का अधिकार है। इसमें कोई असाधारण बात नहीं है, जहां तक कार्रवाई का सम्बन्ध है उस समय सरकार ने एहतियाती कार्रवाई कर ली थी ताकि उस पार्टी की चाल को असफल बनाया जा सके और सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके। फाइल में कोई टिप्पण नहीं किया गया है। श्री थौमस ने सोचा होगा कि सरकार को धोखा न देने के लिए कार्रवाई कर ली गयी है और अब कुछ करने को शेष नहीं है इसलिए उन्होंने फाइल केवल देखकर लौटा दी, मेरा विचार है उनके विरुद्ध कदाशयता की कोई बात नहीं है।

श्री रंगा : मैं प्रक्रिया की एक बात कहता हूं। यहां एक माननीय और श्री मधु लिमये जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने प्रधान मंत्री को लिखकर सुझाव दिया या मांग की कि उन्हें वापस बुला लिया जाय। एक मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय के बीच और विशेषरूप से प्रधान मंत्री और एक मंत्री के बीच क्या होता है, हम नहीं जानते। पर हम आशा करते हैं कि जब प्रधान मंत्री को ऐसा पत्र लिखा जाता है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार का उत्तर दिया जाना चाहिए था "यह सच है कि माननीय सदस्य ने स्वयं यह मांग की थी और हम उन्हें वापस बुलाना आवश्यक नहीं समझते।" परन्तु उन्होंने ऐसा कहने का कष्ट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि उन्होंने कहा कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।

Shri A. B. Vajpayee : This question was transferred as the Prime Minister does not want to reply this question.

श्री स० मो० बनर्जी : यदि आप प्रश्न पढ़ें तो इस प्रकार है "क्या मांग की गयी है।"

Shri Madhu Limaye: What is all this? They have filed defamation case against me and they do not want to give the reply of the question? I can not be cowed down in this way. What do you think of yourselves?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री शिन्दे ने प्रश्न का उत्तर देते हुए ......

Shri Madhu Limaye: Please hear him. A lot of time of the House has been spent on this question. I have asked twenty questions on this subject. They are evading reply.

श्री जगजीवन राम : जो कुछ सूचना मेरे पास थी मैंने बता दी है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यह प्रश्न हमें अन्तरित किया गया था। इसलिए स्वभावतः इस मामले से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है। हम वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पता करेंगे। मैं स्वयं मालूम करूंगा। हो सकता है कि प्रधान मंत्री ने पत्र विभाग को नहीं भेजा हो। लेकिन जब मेरे मंत्रालय ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय से श्री थौमस को वापस बुलाने के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और हमने यह उत्तर में बता दिया है। सही स्थिति यह है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही है।

श्री म० ला० सोंधी : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर खाद्य विभाग ने दिया है। **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये को अपना दूसरा प्रश्न पूछने को कहा गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे एक निवेदन करना है ।

Shri A. B. Vajpayee: Mr. Speaker, you have ordered that there would not be any point of order during the question hour.......

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं । वह प्रश्न के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

Shri A. B. Vajpayee: You have said that no point of order could be raised.

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है ।

Shri Madhu Limaye: We can certainly raise it here.

Shri A. B. Vajpayee: Shri Madhu Limaye had addressed his question to the Prime Minister. The point is why did not the Prime Minister herself answer? A Food Minister cannot reply to the demand of removing a High Commissioner. Is it not true that the question was transferred because the Hon. Prime Minister wanted to avoid the answer, and you helped them in this behalf?

Shri Rabi Ray: The Prime Minister should be called.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल को अन्य बातों में नष्ट किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक गम्भीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, परन्तु इसके लिये आपके पास अन्य साधन हैं । आप इसे दूसरे ढंग से उठा सकते थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे अपनी बात पूरी कह लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपके वाक्य तक के बीच में भी बोलने का मुझे अधिकार है । कठिनाई यह है कि आप मुख्य प्रश्न को भूलकर कुछ और बातों पर चल पड़े हैं । बात यह नहीं है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है (**व्यवधान**) या पूरा नहीं है । मंत्री महोदय को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से जो भी जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने उसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है ।

Shri Madhu Limaye: We cannot accept it. He should regret. He has given a wrong statement. He should have stated that he had no information.

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, मैं स्वयं भी कहता हूं कि यह पूर्ण नहीं हैं । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय भी इसे अनुभव करते हैं । दोबारा बुलाने से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से उन्हें "नहीं" में उत्तर मिला है । यही उत्तर उन्होंने दिया है । इसलिए इस पर और आगे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : स्वयं मंत्री महोदय यह बात क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने साफ कहा है, तथा मैं सन्तुष्ट हूं ।

Shri Madhu Limaye: Let us know how? What answer has Shri Shinde given? He said, "I do not know whether there has been such a demand."

अध्यक्ष महोदय : श्री शिन्दे तथा श्री जगजीवन राम दोनों ने ही कहा है कि जो कुछ भी जानकारी उन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से प्राप्त हुई है, वे दे रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: The House will never accept it. We are not concerned whether it is External Affairs or Food Department, we want a clear answer.

अध्यक्ष महोदय : तो अब हम प्रश्न पर आगे विचार करेंगे या फिर सारा ही प्रश्न-काल प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में बिता देंगे ? यदि प्रत्येक माननीय सदस्य को एक मिनट का भी समय दूं तो पूरा घण्टा समाप्त हो जायेगा ।

श्री नाथ पाई : हमारे पास इसका हल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी बुलाऊंगा । पहले श्री मधु लिमये अपना दूसरा प्रश्न पूछें ।

Shri Madhu Limaye: When the Government gets an information that certain company or firm is trying to cheat it, may I know whether the absolute responsibility can or cannot be fixed on an officer or a minister? If no action is taken on such things, will the Hon. Minister clearly state as to who is reponsible for it ?

Mr, Speaker, in this connection, I have asked a score of questions during this very session but it has not so far been cleared. I want to know whether the responsibility is fixed on the Hon. Minister, Dy. Minister, or the State Minister, or on certain officer like Dy. Secretary, Joint Secretary or Secretary, or none at all.

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार से, इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दिया जा चुका है । श्री मधु लिमये ने अनेक बार यह प्रश्न पूछा है और हर बार इसका उत्तर दिया गया है । सदन में भी इस पर चर्चा हुई है । जैसा कि मैंने कहा है, मैं जो भी जानकारी दूंगा वह केवल फाइल से उपलब्ध मसौदे पर आधारित होगी । श्री मधु लिमये ने भी उस फाइल को देख लिया है ।

Shri Madhu Limaye: You had agreed to show but you never showed it to me.

श्री जगजीवन राम : मैं आपको दिखा न सका । फिर भी इसे कचहरी में पेश कर दिया गया है तथा इसे कोई भी देख सकता है। और अब वह भी देख चुके हैं । जो कुछ फाइल में लिखा है उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता । मै यह कह सकता हूं कि उस समय सम्बन्धित अधिकारी ने यह सोचा था कि सावधानी बरतनी चाहिए ताकि सरकार को ठगने का प्रयास सफल न हो पाये । इससे अधिक कुछ नहीं किया गया । मैं नहीं कह सकता कि कौन जिम्मेवार है तथा यह क्यों नहीं किया गया क्योंकि इसका ब्योरा फाइल में उपलब्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, has my question been answered ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है, स्पष्ट करके कह दिया है।

Shri Madhu Limaye : He has spoken quite irrelevantly. I had asked whether or not certain minister or officer is finally responsible whom we can catch. You are very clever, but leaving your cleverness aside, please give a straight answer to my question.... (**interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को **चालाक** कहते हुए आप उनसे सीधे सम्बोधित नहीं हो सकते.........

श्री मधुलिमये : **चालाक** का अर्थ है चतुर। तथा आपसे मेरा अभिप्राय 'उनसे' है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूँ, परन्तु यदि आप मंत्री को सीधे सम्बोधित करते हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। प्रश्न यह नहीं है कि यह वाक्य संसदीय है अथवा नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप मंत्रियों को सीधे ही सम्बोधित करें तथा उन्हें भड़कायें। यह सम्बोधन अध्यक्ष के माध्यम से होना चाहिये........ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई।

श्री नाथ पाई : खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उनके जिद्दीपन तथा स्थिरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उनके साथ खूब गुजरी है और मेरी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। मेरी अपील तो आपसे है, श्रीमन्। मंत्री महोदय से मैं अधिक सन्तोषजनक उत्तर की आशा नहीं करता क्योंकि इस मामले में काफी कुछ छिपाया जा सकता है। आप मेरे और श्री रंगा के विचारों से सहमत होंगे कि इस मामले में काफी कुछ घोटाला है। सदन में दिये गये उत्तर से स्थिति स्पष्ट न हो सकेगी। क्या मैं सदन में सुस्थापित एक परम्परा के बारे में बता सकता हूँ ? प्रश्न को न बढ़ाने के बारे में आपकी अपील को मैं अनुभव करता हूँ। इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार कुछ छिपाने का भरसक प्रयास कर रही है, हमारा यह सन्देह दृढ़ होता जा रहा है कि कोई ऐसी बात अवश्य है जिसे जनता और संसद से छिपाया जा रहा है। अतः आप हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करलें कि सत्य को प्रकाश में लाने के लिये आप अपने परम्परागत अधिकार द्वारा मामले की जांच हेतु सब दलों से संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दें, जैसा कि पहले भी दो अवसरों पर किया जा चुका है। एक बार तो आपने गन्धक तथा राज्य व्यापार निगम के मामले में लोक लेखा समिति को निर्देश दिया था। अन्य अवसर पर सरकार के एक सदस्य के व्यवहार की जांच करने के लिये सरदार हुकम सिंह ने एक समिति नियुक्त की थी। सरकार जितना अधिक बोलेगी उतनी ही गड़बड़ पैदा होगी। तो क्या मैं आपसे यह आश्वासन पा सकता हूँ कि इस बारे में जांच करने के लिये आप संसद-सदस्यों की एक समिति नियुक्त करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : दुबारा बुलाने की मांग के बारे में उन्होंने कहा है कि यह विभाग कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा कि उन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से यह जानकारी प्राप्त हुई थी तथा

यह स्वाभाविक ही है कि वे केवल वही जानकारी दे सकते हैं। यह वही बात थी जहां मैंने कहा था कि कदाचित समन्वय अच्छा नहीं है। परन्तु मैं जानता हूं कि एपीजे के मामले में कोई घोटाला नहीं है। कृपया इस मामले में अध्यक्ष को मत घसीटिये।

Shri Nath Pai: But there should be an inquiry.

Shri Madhu Limaye: Certainly there should be an inquiry.

श्री जगजीवन राम: सदन से छिपाने की कोई बात नहीं है। इसकी जांच करने के लिये सदन की समिति का मैं स्वागत करता हूँ, परन्तु आपके विचारार्थ मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में श्री लिमये के विरुद्ध एक मानहानि का मामला निर्णयाधीन है।

•**Shri Madhu Limaye:** They have been talking about it for the last four months. They have not replied to my question so far. I want to know who is responsible?

श्री जगजीवन राम: मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। तथा इस सदन द्वारा नियुक्त समिति का मैं स्वागत करता हूँ। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना है कि माननीय सदस्य के विरुद्ध मानहानि का मामला अभी निर्णयाधीन है। **(व्यवधान)**

श्री नाथ पाई: यह बिल्कुल अलग बात है।

श्री जगजीवन राम: मानहानि के मामले की कार्यवाही को खराब करने के लिये सदन का लाभ उठाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye: This Parliament is there to catch the culprits.

श्री जगजीवन राम: श्रीमन्, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि सारे मामले की जांच हेतु सदन द्वारा नियुक्त समिति का मैं स्वागत करता हूँ। केवल यह आपने सोचना है कि इस ढंग से मानहानि के मामले की कार्यवाही खराब न होने पाये। **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye: This would rather help the court.

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला प्रश्न लें।

श्री हेम बरुआ: श्री नाथ पाई के प्रश्न पर आपका क्या निर्णय है?

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी कोई निर्णय नहीं देता।

Shri Madhu Limaye: Some ruling should be given on Shri Nath Pai's suggestion.

अध्यक्ष महोदय: एकदम से मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। मैं अपना समय लूंगा। यह मेरा अधिकार है।

Shri Madhu Limaye: Will you consider this matter?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री ने इसके लिये कहा है। परन्तु आप दोनों भी यदि किसी बात पर सहमत हो जायें तो भी अध्यक्ष इसमें नहीं कूदेगा। मुझे देखना है कि यह मामला कितना गम्भीर है।

Shri Madhu Limaye: It is all right if you consider it.

भारत सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों में हड़ताल तथा तालाबन्दी

*1176. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में फरवरी, 1968 तक भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों / उपक्रमों में हड़तालें / तालाबंदियां कितनी हुईं, और उन कार्यालयों / उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे और उनकी मांगों के संबंध में सरकार ने क्या-क्या आश्वासन दिये;

(ग) इन कार्यालयों में काम करने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध हड़तालों में भाग लेने के कारण कानूनी कार्यवाही चल रही है; और

(घ) इन हड़तालों के परिणामस्वरूप काम के कितने दिनों की हानि हुई और सरकारी सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Shri R. S. Vidyarthi: The Hon. Minister has stated that the information is being collected; but how long will it take? I had given notice of my question 21 days ago?

श्री हाथी : मैं जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्रम मंत्रालय अथवा श्रम मंत्री को मालूम है कि बंगलौर हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में पिछले काफी दिनों से तालाबन्दी है, यदि हां, तो जबकि प्रतिरक्षा मंत्रालय इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं कर रहा तो क्या इसे हल करने के लिये केन्द्रीय श्रम व्यवस्था का उपयोग किया जायेगा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : वास्तव में यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता। फिर भी, जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्धों का विषय केन्द्र की परिधि में नहीं आता। यह विषय राज्य सरकार का है, न कि केन्द्र सरकार का। इसलिये केन्द्र सरकार की उद्योग-व्यवस्था वहां कार्य नहीं करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन, मेरा प्रश्न कुछ भिन्न है। हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड में तालाबन्दी है। प्रतिरक्षा मंत्री यहां एक वक्तव्य भी नहीं देते, यद्यपि वह अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यहां प्रश्न भारत सरकार के उपक्रमों में हड़तालों और तालाबन्दी का है। और यह एक भारत सरकार का उपक्रम है। जबकि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा कोई निश्चित बात नहीं कही गई है, तो क्या श्रम मंत्री मामले में हस्तक्षेप करके तालाबन्दी समाप्त कराने का निश्चय करेंगे ?

श्री हाथी : यह सत्य है कि प्रश्न हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या के बारे में है । इसलिये प्रतिरक्षा मंत्रालय से मैं निश्चय ही जानकारी प्राप्त करूंगा । जहां तक यह सुझाव है कि श्रम-मंत्रालय के अधिकारी जाकर मामले को अपने अधीन लें, तो यह सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि यह मामला केन्द्र की परिधि में नहीं आता । हम अपने प्रयत्न तो कर सकते हैं तथा मामले पर बातचीत भी कर सकते हैं परन्तु यह बिल्कुल एक अलग बात है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, since all these strikes in the Public Undertakings are the results of improper behaviour of the officers there as also the non-fulfilment of the workers' demands, I want to know what special steps are being taken by the Government to solve the problems so that the matters are settled in those offices itself, and by what time will you inform all the States about it?

Shri Hathi: It is true that such strikes and lock-outs occur owing to strained relations between the workers and the management. In some cases it is not the mutual relations but the strikes take place because of the non-fulfilment of the demands. But I agree that the management should enjoy good relations with the workers; and we are striving for it too.

Shri George Fernandes: Will the Hon. Minister state whether he has received any submission either from the management or the workers, in connection with the lock-out in Bangalore? If so, what action is being taken thereon?

Shri Hathi: It has not been received so far.

Shri Kanwar Lal Gupta: In private sectors, more strikes take place because the proprietors there think about their own profit more; but more strikes are occurring in Public Sectors also, and there has been a loss to the tune of crores of rupees in course of last one or two years. As stated by the Hon. Minister, there are generally two reasons for it; the first being the misbehaviour of the management, and secondly, the workers sometimes put more and more demands. I want to know whether you have issued certain specific instructions to comply with certain rules or conduct in such a way that there are the least strikes, or not at all? If so, what are those instructions; and if not, why not?

Shri Hathi: Instructions too have been given and we sit together also to discuss the matters. We have called a meeting of Public Undertakings' officers on the 18th instant.

Shri Kanwar Lal Gupta: What instructions have been issued?

Shri Hathi: So far as instructions are concerned, it is a detailed matter and cannot be stated here; however, there have been a few specific instructions. Firstly, if there is any demand, it should be looked into as quickly as possible; otherwise it will create grievances; and if the grievances are not looked into, there will be disputes, which, in their turn, if not solved, result in strikes. It should, therefore, be settled immediately by taking necessary steps and by joint discussions.

Shri Sheo Narain: I want to know from the Government when will they take any action in regard to abolishing all unions to establish only one Union for each industry?

Shri Hathi: This one Union for one industry business has also been discussed a number of times.

Shri Mohd. Ismail: The Honourable Central Minister would always say that the matter would be looked into by the State Government or the Labour Department; but none goes into it and there occur strikes. Recently in Ranchi, the crane-men have given notice. The strike is going on there and almost whole of the factory is at the verge of closure. I want to know as to what is the function of the Central Labour Ministry? Is it only to say that either the State Government or the Labour Officer has to do it? What else is there for this Ministry to do? What arrangement do you propose to make to facilitate your intervention in the Public Undertakings?

Shri Hathi: We wish the Central Government could maintain industrial relations in Public Undertakings, but as per the existing rules, the administration of the Industrial Disputes Act is done by the State Governments. We are trying to put it in the meeting which is going to be held on the 19th, so that the administration of the Industrial Disputes Act comes under the Centre.

Shri S. M. Joshi: Since it is our Governments policy to settle the disputes through voluntary arbitration; but it being in operative in the Private Sector, I would like to know why are the disputes in Public Undertakings not settled through this policy of voluntary arbitration?

Shri Hathi: The policy of voluntary arbitration is of course, there, and we are trying our best also in this regard, but we have not been getting noticeable successes.

Shri S. M. Joshi: Under the arbitration policy, both the parties should agree to it. But when the workers are ready to agree, why does not the management?

Shri Hathi: The workers too do not agree. Recently, I had called a meeting of the Hindustan Steel Ltd. workers' unions. Although the management had agreed to accept our voluntary arbitration yet one of the unions declined; and wrote as follows:

"We cannot agree that in all cases it should be voluntary arbitration."

अध्यक्ष महोदय: इससे पूर्व कि मैं अल्प-कालीन प्रश्न लूं, प्रश्न संख्या 1174 के बारे में मैं तनिक-सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। श्री मधु लिमये एक समिति की नियुक्ति चाहते हैं। मंत्री महोदय और श्री स० मो० बनर्जी तथा अन्य लोग भी चाहते हैं। परन्तु यह समिति किस अभिप्राय के लिये हो? थोड़े से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

मैं नहीं चाहता कि कोई इस समय भाषण दे। वे सब मुझे लिख दें। मंत्री महोदय भी मुझे विस्तृत ब्योरा दें कि यह समिति किस लिये हो तथा इसका विचारणीय विषय क्या हो? इस बारे में वे मुझे जानकारी दें।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Rise in Price of Sugar

S. N. Q. No. 20. **+ Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri Beni Shanker Sharma:**
Shri Hem Barua: **Shri Himmat Singka:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price of sugar has risen by Rs. 100.00 per quintal during the last few days;

(b) whether it is also a fact that the mill-owners have stopped the sale of sugar and have pooled their stocks ; and

(c) if so, the steps taken by Government to check this action on the part of the mill-owners?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 30 मार्च से 2 अप्रैल, 1968 तक की अवधि में चीनी के मूल्यों में लगभग 70 रुपये से 85 रुपये प्रति क्विटल की वृद्धि हुई थी। चीनी मिलों ने मूल्यों के चढ़ जाने की प्रत्याशा में उस अवधि में चीनी की बिक्री स्थगित कर दी होगी ।

(ग) चीनी के मूल्यों को नीचे लाने के उद्देश्य से सरकार ने एलकोहली लिकर के उत्पादन के लिये गुड़ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और खुले बाजार में बिक्री के लिये 24,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की है और राज्य सरकारों की मौजूदा अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु 10,000 मीटरी टन की अन्य मात्रा भी दी है। सरकारी आदेशों के अनुसार चीनी कारखानों के लिये निर्मुक्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर चीनी को बेचना और सुपुर्दगी देना लाजमी है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The prices of sugar are going up day by day. It is Rs. 425/- per quintal now. These rates will go up further after the sugar season is over. What steps will be taken to bring the prices of sugar down in future? Secondly, sugar producers are selling their sugar in the bogus names in persuance of the order to sell and deliver sugar within a period of 30 days, from the date of release. They are doing so to hoard the sugar and it will in no way help in bringing down the prices of sugar. May I know whether an enquiry will be instituted into such cases of take transactions?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : These are the suggestions which can be considered. I will also look into the transactions executed in bogus names.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the total quantity demand and supply of sugar in our country and the steps he is going to take to meet the present shortage or shortage in future?

Shri Jagjiwan Ram : At present we are releasing one lakh tons of sugar at controlled prices and 66,000 tons of sugar meant for free sale. In order to check the rising prices of sugar and to meet the additional demand 24,000 tons of sugar has been released for free sale in market and 10,000 tons of sugar has been given to State Governments. I think there is demand of 2½ lakh tons of sugar per month in our country. Now we are going to release 1,66,000 tons of sugar every month.

श्री हेम बरुआ : चीनी बेचने के सम्बन्ध में दोहरी नीति की विफलता का कारण मिल मालिकों का जिद्दीपन है। क्या सरकार चीनी के मूल्यों को कम करने के लिये गुड़ के उत्पादन को बन्द करने तथा मिल मालिकों की हठधर्मिता को दूर करने के लिए कदम उठायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खांडसारी के भाव भी ऊंचे हैं और उसका प्रभाव चीनी के मूल्यों पर भी पड़ता है। इसलिये गुड़ तथा शक्कर के अन्यत्र उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया था। इसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। इस महीने 1,66,000 टन चीनी के बजाय 2 लाख टन चीनी दी जा रही है। चीनी के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जायेगी। दूसरे, जो चीनी के मिल चीनी रिलीज करने के 30 दिन के अन्दर उसे नहीं बेचेंगे उनके विरुद्ध निःसंकोच रूप से कार्यवाही की जायेगी।

Shri Beni Shankar Sharma : The Government claim that they have released additional quantity of sugar to meet the demand and check the upward trend of sugar prices. Could they not release it much earlier. Further, may I know whether Government will consider about removing the middlemen, i. e. wholesalers, agents, sub-agents and retailers, so that consumers may be relieved of hardships ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्री कंवरलाल गुप्त ने भी ऐसे ही सुझाव दिये थे और मन्त्री महोदय ने कहा था कि सरकार उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

Shri Onkar Lal Bohra : Due to the shortage the sugar was smuggled in to India from Nepal on a large scale. This year there is a production of about 22 lakh tons as gainst last year's production of 21 lakh tons. In view of it will Government of India import sugar from abroad so that the smuggling of sugar may be stopped and prices of sugar may come down ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : फिलहाल चीनी का आयात करने का कोई विचार नहीं है। नेपाल से चोरी-छिपे चीनी लाये जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : चीनी के सम्बन्ध में नियन्त्रण व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है ; चीनी के भाव बहुत ऊंचे हो गये हैं ; चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गया है। इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या सरकार चीनी के निर्यात की नीति को त्याग देगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम बहुत कम चीनी का निर्यात करते हैं। जो समझौते इस सम्बन्ध में पहले से किये हुये हैं उनसे मुकरना राष्ट्रीय हित में अच्छा नहीं है। दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम चीनी के ग्राहकों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि चीनी का अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर उसे बेचने के लिये पुनः ग्राहक पाना कठिन हो जायेगा।

श्री वेदव्रत बरुआ : चीनी के खुले व्यापार से उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी होती है। वितरक विक्रेता आदि उपभोक्ता को तंग करते हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नई नीति अपनायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब गन्ने का सीजन समाप्त हो गया है तथा किसी भी नई नीति पर अगली गन्ना फसल आने से कुछ पहले विचार किया जा सकता है।

Shri Molahu Prasad : May I know the items, the movement of which between India and Nepal is allowed and the items the movement of which is banned under the trade agreements. It will help the authorities in checking the smuggling.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो चीनी के मूल्य के बारे में है। आपके अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध-मूल प्रश्न से नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government will take a step to ensure that poor people may get 60% controlled sugar at cheaper rate and high salaried people may get 40% sugar for free sale ?

Shri Jagjiwan Ram : The dual policy in respect of sugar was adopted with this intention. As far as I know some states have started distribution of sugar in villages too.

Shri Maharaj Singh Bharati : After the decontrol of sugar the rates of sugar have gone considerably high. It is being sold at Rs. 4/- to Rs. 8/- per kilogram. Will the Government take all stocks of sugar available with the all sugar mills.

Shri Jagjiwan Ram : It is very difficult for us to have seperate account of individual mills.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या सरकार गन्ने के अतिरिक्त चुकन्दर जैसी अन्य वस्तुओं से चीनी बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि चुकन्दर से चीनी बनाने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : चीनी की कमी के कारण उसका भाव 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। तथा भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चीनी के 40 प्रतिशत विनियंत्रण के बाद कुछ शहरों में राशन कार्ड पर चीनी मिलनी बन्द हो गई है। क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे चीनी के दाम न बढ़ें और जिससे शहरों में चीनी पुनः राशनकार्ड से नियंत्रित मूल्य पर मिलने लगे।

श्री जगजीवन राम : लेवी वाली चीनी नियंत्रित मूल्यों पर वितरित की जानी है। यह राज्य सरकार का विषय है और वे चीनी पुनः राशन कार्डों पर दिलवाना शुरू करवा सकते हैं।

Shrimati Lakshmikanthamma : While formulating such a policy Government should consult the organisations of housewives also, because the new policy has adversely affected the house budget.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो चीनी से सम्बन्धित है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्न का मूल्य स्तर

*1169. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में नई फसल के आने के कारण अनाज के मूल्यों में हो रही उत्तरोत्तर गिरावट को देखते हुये देश में खाद्यान्नों के व्यापार में अनाज के मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) किसानों द्वारा लगाई गई कुल पूंजी, उस पर ब्याज, ऋणों की किश्तों तथा मजूरी की लागत को जोड़कर कितना मुनाफा किसान के लिये निर्धारित करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि सरकार द्वारा मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाने के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्य गिरते रहते हैं, तो किसानों के लिये निर्धारित मुनाफे में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की विभिन्न वस्तुओं के लिये सरकार ने मूल्य संबंधी क्या ढांचा तय किया है तथा उस पर कितने प्रतिशत लाभ लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बुवाई मौसम शुरू होने से पूर्व प्रमुख खाद्यान्नों के न्यूनतम साहाय्य मूल्य घोषित किये जाते हैं। सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिये भी अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम साहाय्य मूल्यों से अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर घोषित किये हैं। सरकार इस बात के लिये वचनबद्ध है कि वह अधिप्राप्ति मूल्यों पर स्वीकृत किस्म के अनाज की सारी उपलब्ध मात्राएं खरीद लेगी। अतः अधिप्राप्ति मूल्य साहाय्य मूल्यों का कार्य करते हैं।

(ख) और (ग). खेती की लागत, जोतों की किस्मों, आदि सम्बन्धी आंकड़े सीमित रूप से उपलब्ध होने के कारण, लाभ की गुंजाइश निवेश आदि बताना सम्भव नहीं है। खेती की लागत सम्बन्धी आंकड़ों की उपलब्धि सुधारने के लिये कुछेक उपाय किये गये हैं। तथापि, अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादक को प्रोत्साहन देने की बात को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार ने यह पहले घोषित कर दिया है कि वह बिक्री के लिये दिये जाने वाले सभी खाद्यान्नों को निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीदने के लिये तैयार रहेगी।

(घ) सरकार ने देश में खरीदे जाने वाले और विदेशों से मंगवाए जाने वाले खाद्यान्नों जोकि केवल सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किये जाते हैं, के मूल्य ढांचे का हिसाब लगाया है। सरकार द्वारा खरीदे गये खाद्यान्न अनाज की अधिप्राप्ति लागत अर्थात् अधिप्राप्ति मूल्य और सम्भालने, संचयन, ढुलाई आदि सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों पर बेचे जाते हैं। सरकार के निर्गम मूल्यों में लाभ सम्मिलित नहीं है। आयातित गेहूं, माइलो और चावल के देश भर के लिये एक से मूल्य निर्धारित किये गये हैं। अन्य अनाजों के बारे में ये मूल्य प्रत्येक राज्य में सप्लाई के स्रोत और सप्लाई स्रोत तथा खपत स्थल के बीच दूरी पर निर्भर करते हुये भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्य सरकार अथवा उनके एजेन्टों को अनाज सरकारी निर्गम मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है। थोक तथा खुदरा व्यापारियों को उचित लाभ की गुंजाइश दी जाती है जोकि स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुये प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है।

कर्मचारी भविष्य निधि फेडरेशन की मांगें

*1171. **श्री अंबचेजियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन द्वारा

प्रस्तुत मांग पत्र पर विचार करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि के 'केन्द्रीय न्यायिक' बोर्ड ने एक उप-समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या फेडरेशन को उप-समिति की उपपत्तियों से अवगत करा दिया गया है और यदि नहीं, तो उसे कब तक अवगत कराये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां ।

(ख) इस उप-समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देनी है । न्यासी बोर्ड ने उप-समिति से प्रार्थना की कि वह बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करे । यह पता चला है कि बोर्ड को उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(ग) और (घ). इस उप-समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं करनी है ।

सिंचाई के लिये भूमिगत जल को निकालना

*1173. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई प्रायोजना के लिये भूमिगत जल निकालने के लिये छिद्रण करने की कितनी तकनीकी क्षमता इस समय उपलब्ध है ; और

(ख) इस योजना से प्रतिवर्ष कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों के पास जो छिद्रण-उपकरण (बरमे) उपलब्ध हैं, उनमें से 500 हाथ के बरमे हैं और 600 विद्युत् चालित बरमे हैं जिनकी किस्म और क्षमता अलग-अलग है । राज्यों के पास लगभग 1000 कम्प्रेसर भी हैं जो विस्फोट तथा कुएं गहरे करने के काम आते हैं । इसके अतिरिक्त लगभग 2500 हाथ के बरमे तथा 50 विद्युत चालित बरमे गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं । जितने उपकरण उपलब्ध हैं, उनसे प्रतिवर्ष लगभग दो लाख कुएं खोदे या गहरे किये जा सकते हैं और 50,000 (कम गहरे) कुएं और 1000 (अधिक गहरे) राजकीय कुएं बनाये जाते हैं ।

(ख) भूमिगत जल सिंचाई योजनाओं से प्रतिवर्ष 15 लाख एकड़ की सिंचाई होने का अनुमान है ।

फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*1175. **श्री स० कुण्डू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड नियुक्त

करने के प्रश्न की जांच करने के लिए 1965 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड कब नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) इस मजूरी बोर्ड की नियुक्त के बारे में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) दल ने फिल्म उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की सिफारिश की ।

(ग) और (घ). स्थायी श्रम समिति द्वारा 30 सितम्बर, 1967 को अपने अन्तिम अधिवेशन में गठित मजूरी बोर्ड सम्बन्धी द्विपक्षीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में कार्यवाही करने का विचार है ।

बेरोजगारी बीमा योजना

*1177. **श्री अब्राहम :**

श्री उमानाथ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित बेरोजगारी बीमा योजना केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों को भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) योजना का मसविदा सभी सम्बन्धित पक्षों को जिनमें केन्द्रीय कार्मिक संगठन भी शामिल हैं, नवम्बर, 1965 में परिचालित किया गया था । प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में ऐसी त्रिदलीय बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया, जिनमें केन्द्रीय कार्मिक संगठनों को प्रतिनिधि प्राप्त है ।

(ख) जी हां । श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने सामन्यत: इस योजना का स्वागत किया है ।

Procurement Price of Wheat

***1178. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that many states have requested the Central Government to increase the procurement price of wheat ;

(b) if so the decision taken in this regard ; and

(c) the action taken to fix more or less uniform procurement price in all the States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The following procurement prices of wheat during 1968-69 have been announced which apply uniformly for all the States :

Common White/Mexican	.. Rs. 76/- per quintal.
Superior	.. Rs, 81/- per quintal.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

*1179. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के काम का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देने का काम कार्यदक्षता विशेषज्ञों की एक फर्म 'इनकोन' को सौंपा था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) उपयुक्त कार्यदक्षता विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 27,300 रु० ।

(ग) एक क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद परामर्शदाताओं ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें दी गई सिफारिशों में संगठन द्वारा प्रयुक्त परिपत्रों और रजिस्टरों में परिवर्तन, लेखा-क्लर्कों द्वारा और अधिक काम करना और कुछ पदों के पुन: ग्रेड बनाना शामिल है । कुछ ऐसी सिफारिशें जो आसानी से क्रियान्वित की जा सकती थीं, की गई हैं । कुछ ऐसी सिफारिशों को, जो वांछनीय थीं लेकिन तुरन्त व्यावहारिक नहीं थीं क्रियान्वित करने के लिए संगठन द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा ।

भविष्य निधि आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की मांगें

*1180. **श्री उमानाथ :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री एस्थोस : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने भविष्य निधि आयुक्त के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). कर्मचारी संघ द्वारा पेश की गई मांगें कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

गोदी श्रमिक बोर्ड

*1181. **श्री जनार्दनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह में जहाज पर माल लादने या उतारने वाले श्रमिकों के लिए गोदी श्रमिक बोर्ड बनाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो जहाज पर माल लादने या उतारने के काम के लिये श्रमिकों को नियुक्त करने का तरीका क्या है ;

(ग) क्या कांडला बन्दरगाह में कोई 'क्लोज्ड-शाप सिस्टिम' विद्यमान है ; और

(घ) यदि हां, तो उस कार्मिक संघ का नाम क्या है तथा यह किस संगठन से सम्बद्ध है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) कांडला पत्तन नौभरक संघ की सूची में इस समय 60 गैंग हैं जिनमें कुल मिलाकर लगभग 900 श्रमिक हैं। इनमें से 30 गैंग पहली मई, 1967 को परिवहन तथा गोदी श्रमिक यूनियन द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार और कांडला पत्तन नौभरक संघ तथा परिवहन एवं गोदी श्रमिक यूनियन जो कि हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध है, में हुए समझौते के परिणामस्वरूप खाद्य विभाग के परामर्श से बनाये गये थे। ये गैंग मुख्यतः जहाजों से खाद्य-पदार्थ तथा उर्वरक उतारते हैं। 15 अगस्त, 1967 को कांडला पत्तन नौभरक संघ ने 30 और गैंगों की, जिन्हें किसी संघ विशेष से नहीं लिया गया था, भर्ती की थी। केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त परिवहन एवं गोदी श्रमिक यूनियन के साथ समझौते के अनुसार भर्ती किये गये पहले 30 गैंगों को खाद्य तथा उर्वरक के जहाजों पर कार्य देने में अधिमान दिया जाता है जब कि अन्य 30 गैंगों को अन्य जहाजों पर कार्य देने में अधिमान दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*1182. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 फरवरी, 1968 को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की एसोसिएशन दिल्ली की एक सभा के समक्ष भाषण करते हुए उन्होंने यह बात स्वीकार की थी कि भूमि के परीमियम तथा भूमि के किराये (ग्राउंड रेट) की दर में कमी करने तथा मकानों के निर्माण के लिये सहायता की उनकी मांगें उचित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या (1) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को काल-काजी के निकट एक बस्ती में दी गई भूमि के परीमियम की 30 रुपये प्रति वर्ग गज की

अनन्तिम दर को कम करके 1958-60 के स्तर पर लाने का ; (2) भूमि के किराये (ग्राउंड रेंट) की दर को परीमियम के 3 प्रतिशत से कम करके 1 रुपये प्रति प्लाट करने का; (3) यदि भुगतान समय पर किया जाये तो 5 प्रतिशत के प्रस्तावित ब्याज की पूरी छूट करने; तथा (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अभिकरण (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से अथवा स्थानीय प्रशासन (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के माध्यम से मकान बनाने का काम आरम्भ करने तथा मकानों की लागत की वसूली न होने के विरुद्ध सुरक्षा के तौर पर अपनी भूमि तथा मकान को सरकार के पास 30 वर्ष की अवधि के लिए गिरवी रखने की अनुमति विस्थापित व्यक्तियों को देने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) (1) मंत्री महोदय ने सूचित किया था कि एसोसिएशन की मांगों पर मंत्रालय द्वारा उचित विचार किया जायेगा ।

(ख) (i) परीमियम की दर जो विस्थापित व्यक्तियों को सूचित की गई थी, अर्जन तथा विकास की लागत जो अन्तिम रूप से निर्धारित की जायेगी, उसके आधार पर उसमें समंजन हो सकेगा ।

(ii) जी, नहीं ।

(iii) जी, नहीं ।

(iv) जी, नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

*1183. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी विशेषकर नामासूदर संताल, चकमा तथा अन्य समुदायों के लोग अपनी बहादुरी की परम्परा के लिए पूर्वी पाकिस्तान में प्रसिद्ध थे ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे शरणार्थियों को प्रतिरक्षा सेवाओं, सीमा सुरक्षा दलों तथा प्रादेशिक सेना में भरती करने के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उपर्युक्त समुदायों से सम्बन्धित शरणार्थी लोग जिनके घरबार चिटगांग, नौआखली, बाटीसाल तथा विशेषकर खुलना के तटीय जिलों में थे भारतीय नौसेना में विशेष कामों के लिए बहुत उपयुक्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को भारतीय नौसेना में भरती करने के बारे में विशेष सुविधा देने के लिये प्रतिरक्षा अधिकारियों से अनुरोध करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). सरकार बहादुरी की परम्परा का समुदायवार कोई रिकार्ड नहीं रखती। विस्थापित व्यक्ति जो शिविरों में रह रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई है। सामान्य प्रणाली के अनुसार यदि कोई विस्थापित व्यक्ति प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए अपनी अभिरुचि प्रकट करता है तो उसका सम्पर्क भर्ती कार्यालय से स्थापित कर दिया जाता है। सामान्य भर्ती नियमों तथा प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन रहते हुए सभी भारतीय नागरिक प्रतिरक्षा सेवाओं, सीमा सुरक्षा दलों तथा प्रादेशिक सेवा में भर्ती होने के पात्र हैं। भर्ती निकायों तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्धारित की गई योग्यताओं तथा निर्धारित परीक्षण के परिणामों के आधार पर आवेदकों की उपयुक्तता का निर्णय व्यक्तिगत आधार पर लिया जाता है।

गन्ने की बीमारी

*1184. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल कीड़ा लगने के कारण भारतीय गन्ना नष्ट हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि अब तक कोई सफलता प्राप्त हुई है तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। उपकटिबन्धीय क्षेत्रों में मुख्यतः यह बीमारी चल रही है।

(ख) इस संदूषण का मुख्य कारण प्रभावित पौध सामग्री और पानी की निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था वाली भूमि पर खेती करना है।

(ग) रोग मुक्त पौध सामग्री के चुनने, साफ खेती, जल निकासी की व्यवस्था, फसल की समय-समय पर जांच और प्रभावित पौधों को बाहर निकाल फेंकने सम्बन्धी उपायों का प्रदर्शन करने के लिए पाइलट परियोजनाएं गठित की गई थीं। इन प्रदर्शनों से प्रभावित क्षेत्रों में लाल कीड़े की बीमारी अपेक्षाकृत कम करने में सहायता मिली थी।

खेतिहरों को स्वस्थ बीज सामग्री सुलभ करने के लिए बीज नर्सरियां भी स्थापित की गयी हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर संकरण और करणीयन जैसे तरीकों से रोग सहिष्णु किस्में तैयार करने के प्रयत्न कर रहा है।

Requirement of organic Manure

*1185. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the efforts being made by Government to meet the huge requirements of organic manure in the country ;

(b) the measures adopted by Government for the use of organic manure within the country which is being exported in the form of oilcake and bones at present :

(c) the scheme formulated to fill the pits with refuse, leaves, grass and other sullage, besides digging the pits for preparing compost and delivering lectures on this subject ; and

(d) whether Government propose to offer grants for this work ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). A statement giveng the required information is laid on the Table of the Sabha : **[Placed in Library. See No.LT-848/68]**

बंगाल पेपर मिल, रानीगंज

*1186. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज के प्रबन्धकों ने 16 मार्च, 1968 से लगभग 1500 कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस झगड़े को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । लगभग 1,200 कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दी गई ।

(ख) प्रबन्धकों के अनुसार, वैध आदेशों के उल्लंघन और ड्यूटी में लापरवाही करने के अभियोगों पर प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप मिल में अनुशासनहीनता हो जाने पर जबरी छुट्टी करने की आवश्यकता पड़ी ।

(ग) यह मामला समझौते की कार्यवाही के दौरान तय हो गया और 17 मार्च, 1968 की सुबह की पारी से काम पुनः आरम्भ हो गया ।

Committee of M. Ps. on Parliament Session in South India

*1187 **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :** **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 927 on the 28th March, 1968, and state :

(a) the time by which Parliamentary Committee to consider the proposal to hold a Session of Lok Sabha at Bangalore would be constituted ; and

(b) the reasons for delay in setting up the Committee ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). A Committee of Members of Parliament will be set up soon and its personnel will be announced before the expiry of the current session of Parliament.

Industrial Undertakings

*1188 **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so,the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Statements are laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-849/68]**

(c) and (d). The Department of Rehabilitation set up or assist industrial undertakings for rehabilitation of displaced persons/repatriates, and are not concerned with removal of unemployment in general or regional disparities in economic development.

Rehabilitation of J & K Refugees

*1189 **Shri Balraj Madhok.** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government contemplate to rehabilitate the refugees of Bhore, Badchal, Simbal, Puchche, Kathua and of other refugee camps of Jammu and Kashmir in colonies to be established for them with a view to provide such basic amenities as had been provided to the refugees of Chhamb Jaurian in 1965 ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Government of Jammu and Kashmir have not made any formal proposal to the Government of India suggesting the extension of the Chhamb Jaurian pattern of assistance to case of families which had been displaced long before the Indo-Pak conflict of August-September, 1965. While any such proposal will be given due consideration, **prima facie** it does not appear reasonable to extend the Chhamb Jaurian pattern of assistance to old cases.

Uniforms for Postmen and other Employees of P and T Department

*1190. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the summer uniforms provived to the Postmen and other employees of Posts and Telegraphs Department are made of inferior quality of Khadi cloth ;

(b) whether Government contemplate to provide uniforms made of good quality khadi to the employees ; and

(c) the amount allocated for uniforms of these employees annually and the cost of each uniform provided to them during the last three years ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The best quality of Khadi (Dosuti) cloth available with the Khadi and Village Industries Commission is being used for fabrication of summer uniforms of the P and T employees.

(c) The exact figures are not readily available. However, the approximate annual expenditure on supply of summer uniforms comes to Rs. 42 lakhs at present. The average cost of one complete uniform provided during the last three years is about Rs. 19 per uniform.

Co-operative Farming

*1191. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government during the last year to encourage co-operative farming in the country and the amount of assistance given for this purpose ;

(b) the names of States which have shown special interest in co-operative farming and the names of the States in which it has failed ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The State Governments were advised to organise new co-operative farming societies in areas offering potentials for growth and to revitalise the weak and dormant co-operative farming societies. During the year 1967-68 a sum of Rs. 67.80 lakhs was sanctioned to the various states as central share of assistance to co-operative farming societies.

(b) Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh have made good progress in organisation of new co-operative farming societies. The programme has not failed in any State : the extent of achievement, however, varies in different areas.

(c) Does not arise.

सिविल प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन

*1192. **श्री रविराय :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विधि आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध सिविल मुकदमे चलाने के बारे में उन्हें अब तक दी जाने वाली रियायतें भी वापिस ली जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). विधि आयोग ने अपनी सताइसवीं रिपोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता में अनेक संशोधनों के सुझाव दिये हैं । सरकार द्वारा इनकी परीक्षा की जा रही है और अभी कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है । इसी सम्बन्ध में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा कि क्या सिविल कार्यवाहियों के मामले में शासकों को प्रदत्त कुछ विशेषाधिकारों को जारी रखा जाए ।

अनाज की फसलों की बजाय व्यापारिक फसलों की खेती

*1193. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्याप्त भूमि में अनाज की खेती सुनिश्चित कराने तथा अनाज की खेती वाली भूमि में व्यापारिक फसलों की खेती न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : कृषि उत्पादन कार्यक्रम का अभिप्राय मुख्यतः सघन कृषि उपायों के माध्यम से प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए साथ ही साथ खाद्यान्नों व व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन नीतियां जिनमें मूल्य व सघन कृषि की नीतियां भी शामिल हैं, तैयार की गई हैं । खाद्यान्नों की खेती के क्षेत्र को व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत लाने या व्यापारिक फसलों के क्षेत्र को खाद्यान्नों के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई विचार नहीं है ।

अनाज की वसूली और संग्रह

*1194. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचारों को पढ़ा है कि अनाज के व्यापारी यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकार के पास अनाज संग्रह करने की क्षमता नहीं है और वह मंडियों से फालतू अनाज नहीं खरीद सकेगी ;

(ख) क्या उन्होंने ये समाचार भी पढ़े हैं कि अनाज के व्यापारी किसानों को बता रहे हैं कि सरकार न्यूनतम मूल्यों की गारंटी नहीं देगी जिससे कि ये लोग काफी कम मूल्य पर अग्रिम सौदे कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समाचार-पत्रों में प्रकाशित ये खबरें सरकार के ध्यान में आयी हैं कि रबी फसलों के फालतू अनाजों की पूरी खरीदारी करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहीं है । लेकिन सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि ये खबरें खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा प्रकाशित कराई गयी थीं ।

(ख) मध्य प्रदेश से छुट-पुट समाचार सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) सरकार के पास इस वर्ष की प्रत्याशित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह बिक्री के लिये दिये जाने वाले सभी खाद्यान्नों को अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहेगी। राज्य सरकारों को भी यह परामर्श दिया गया है कि वे इस बात का व्यापक प्रचार करें कि भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य सरकारी एजेंसियां बिक्री के लिये दिये जाने वाले सभी खाद्यान्नों को अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीद लेंगी।

Demand for Fertilizers in India

*1195. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the price of all imported fertilizers is paid by Government in terms of foreign exchange or whether the fertilizers are also received under PL 480 ; and

(b) if so, the names of countries which are supplying fertilizers to India against rupee payment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Fertilisers are not received under PL 480 assistance. Loans and credits from which fertiliser imports are financed, are repaid in foreign currency. In the case of imports from East European countries, though the payment is made in non-convertible rupees, the credit to the Rupee Account of these countries has to be off-set by export of goods.

(b) The countries which are supplying fertilizers to India against rupees payment under Trade Plan provisions on barter basis are :—

1. U. S. S. R.
2. German Democratic Republic.
3. Bulgaria.
4. Rumania.
5. Hungary.
6. Poland.

Unirrigated Areas

*1196. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared scheme for conducting Survey of the unirrigated areas and the crops sown there ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The question apparently refers to the scheme for soil surveys wherein the soils of an area are studied for their characteristics and interpreted for proper use of land for agriculture and other purposes depending upon its capabilities. Although there is no special scheme for carrying out soil surveys in the un-irrigated areas only, such of the lands that fall within the areas to be surveyed are duly covered and soil and land use maps prepared for the unirrigated areas also. The available statistics on the present land use and crops grown in the surveyed areas are also collected.

There is one Central scheme of All India Soil and Land Use Survey which is primarily engaged in the soil survey of priority areas in the catchments of selected river valley projects for preparing soil and land use maps which are used for preparation of soil conservation plans. The un-irrigated areas falling within the catchments of these river valley projects are covered during the soil surveys.

केन्द्रीय समुद्र मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था मंडपम

6896. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्र मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था को मंडपम से कहीं और हटाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) लोक-सभा की अनुमानित समिति ने अपनी 36वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार, संस्थान और सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले केन्द्रीय समुद्र मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था के मुख्यालय के स्थान के प्रश्न पर विचार करें ।

(ख) ऐसा सुझाव देने का कारण यह है कि समुद्रीय मत्स्यपालन में, जो अनिवार्य रूप से अधिकृत मत्स्यपालन है मूल अनुसंधान कार्य मुख्य मत्स्यपालन के उपागम के क्षेत्रों में करना पड़ेगा और मंडपम के क्षेत्र में व्यापारिक महत्व की काफी मछलियां नहीं होतीं ।

एगले तक टेलीफोन सेवा का विस्तार

6897. **श्री विश्वम्भरन** :

श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के पालघाट जिले में एगले तक टेलीफोन सेवा का विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) काम आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केरल राज्य के पालघाट जिले में एगले में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने की मंजूरी दिसम्बर, 1964 में दे दी गई थी।

(ख) उपस्कर की कमी के कारण उपस्कर के लिए इसे प्राथमिकता दी गई है। 31 दिसम्बर, 1968 तक इस काम के पूरा होने की संभावना है।

केरल में मत्स्यग्रहण बन्दरगाहें

6898. **श्री मंगलाथमाडोम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलप्पी और बिवलाने के बीच मत्स्यग्रहण बन्दरगाहें बनाने के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मत्स्यग्रहण बंदरगाह कहां-कहां पर बनाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . एक परियोजना के अन्तर्गत, जिसे संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से शुरू किया जा रहा है, तट्टीय रेखा पर (जिसमें अलप्पी तथा कुईलन के बीच का क्षेत्र भी शामिल है) पूंजी निवेशपूर्व मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। निवेशपूर्व सर्वेक्षणों के परिणाम प्राप्त होने पर ही निर्णय किया जायेगा कि किन-किन स्थानों पर मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का निर्माण किया जायेगा।

उत्पादिता बढ़ाने के तरीके

6899. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा श्री बागाराम तुरपले की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उत्पादिता बढ़ाने के कुछ तरीके सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने इस बारे में क्या निश्चित सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें मजदूर संघों को उत्पादिता तकनीकों के बारे में सहयोजित करने, उन्हें उपाय अध्ययन व कार्य माप के बारे में अवगत कराते रहने, सभी अभिकर्ताओं में उत्पादिता के लाभों का साम्यिक वितरण के सम्बन्ध में हैं।

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों पर अभी राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा विचार किया जाना है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

मध्य प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्य

6900. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में छोटी सिंचाई कार्यों के हेतु केन्द्र ने मध्य प्रदेश के लिये कितना धन नियत किया था;

(ख) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनायें क्या हैं, उनके निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के लिये वर्ष 1968-69 में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये योजना सलाहकारों द्वारा 593 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गयी थी ।

(ख) निम्न विवरण 1967-68 में राज्य सरकार द्वारा चालू की गयी लघु सिंचाई योजनायें प्रत्येक के 1967-68 के लक्ष्य, दिसम्बर 1967 तक की वास्तविक उपलब्धि और उसके साथ ही साथ 1967-68 के अन्त तक अनुमानित उपलब्धि को भी सूचित करता है :

योजना का ब्योरा	1967-68 **के लिये लक्ष्य (संख्या)**	**दिसम्बर**, 1967 **तक की उपलब्धि (संख्या)**	1967-68 **के लिए अनुमानित उपलब्धि (संख्या)**
1. नये कुवों के निर्माण के लिये ऋण	9,040	3,484	4,000
2. कुवों के निर्माण पर राज-सहायता	1,000	—	1,000
3. तेल के पम्पों की स्थापना	715	185	715
4. रहटों की स्थापना	1,064	28	1,064
5. बिजली के पम्पों की स्थापना	5,000	171	5,000
6. सहकारी समितियों को प्रवाह सिंचाई के लिये ऋण और राज-सहायता	13 समितियां	—	13 समितियां
7. सहकारी समितियों को उठाव सिंचाई के लिये ऋण	20 समितियां	2 समितियां	20 समितियां
8. कुवों की खुदाई	76	28	68
9. कुवों को गहरा करना	7,040	5,983	8,000

(ग) भाग (ख) के उत्तर में दिये गये विवरण के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि कुवों के निर्माण और खोदने के कार्य के अतिरिक्त, अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति इसी वर्ष में होने की आशा है। दिसम्बर, 1967 तक 3,484 नये कुवों के निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार ने लोगों के अपने संसाधनों से या कृषि के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 21,473 कुवों के निर्माण की भी सूचना दी है।

(घ) योजना आयोग ने 1968-69 में मध्य प्रदेश की लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 630 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की है।

मध्य प्रदेश में चीनी के कारखाने

6901. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य को वार्षिक कुल कितनी चीनी की आवश्यकता होती थी;

(ख) उपरोक्त अवधि में मध्य प्रदेश में खपत के लिये कितनी चीनी दी गई;

(ग) राज्य को चीनी किस मूल्य पर बेची गई थी;

(घ) क्या राज्य में चीनी के नये कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने, किसके द्वारा तथा कितनी क्षमता के कारखाने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 के तीन वर्षों में किसी वर्ष भी जबकि चीनी के मूल्य तथा वितरण पर पूर्ण नियंत्रण था, मध्य प्रदेश सरकार ने चीनी की कोई वार्षिक मांग नहीं की थी।

(ख)

	(मीटरी टन)
1964-65	1,57,025
1965-66	1,69,875
1966-67	1,37,490

(ग)

	(प्रति क्विंटल)
1964-65	113.25 रुपये से 135.00 रुपये तक
1965-66	116.00 रुपये से 135.00 रुपये तक
1966-67	124.35 रुपये से 171.91 रुपये तक

(घ) और (ङ). फिलहाल राज्य में नई चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1,250 मीटरी टन गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता वाली एक सहकारी चीनी फैक्ट्री (कैलरस, मुरैना जिला) जिसे जनवरी, 1967 में लाइसेंस दिया गया था, अभी भी उसे स्थापित किया जाना है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों का हिन्दी सीखना

6902. **श्री मुरासोली मारन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी सेवा की परख अवधि में अथवा अपने पदों पर स्थायी हो जाने के बाद हिन्दी सीखें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली को किस प्रकार लागू किया जाता है;

(घ) क्या कर्मचारियों को यदि वे चाहें तो हिन्दी न सीखने की छूट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (घ). तार इन्जीनियरी सेवा श्रेणी I के अधिकारियों, डाक तार सिविल विंग के सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों, भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों और कारखानों के सहायक प्रबन्धकों को अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी सीखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदक्रम से नीचे के और औद्योगिक प्रतिष्ठानों और निर्माण-प्रसारित कर्मचारियों को छोड़कर ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण आवश्यक है जो 1 जनवरी, 1961 को 45 वर्ष से कम आयु के थे।

(ख) उपर्युक्त चार वर्गों के अधिकारियों को जिनकी भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं द्वारा की जाती है, अपने स्थायी होने से पहले हिन्दी में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। अन्य कर्मचारियों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) अधिकारियों के चार वर्गों के लिए परीक्षा सम्बन्धित विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ली जाती है। अन्य कर्मचारियों के लिये गृह-मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा योजना के अन्तर्गत तीन परीक्षायें अर्थात् हिन्दी प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ निर्दिष्ट की गई हैं।

(ङ) द्विभाषी नीति की सफलता और संघ के सरकारी उद्देश्यों के लिये यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारी एक भाषा में प्रवीण हों और दूसरी भाषा का काम चलाने योग्य ज्ञान रखते हों।

यंत्रीकृत प्रक्षेत्र (फार्म)

6903. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यंत्रीकृत प्रक्षेत्रों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं और प्रत्येक प्रक्षेत्र की भूमि कितने एकड़ है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक प्रक्षेत्र द्वारा प्रति वर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की उपज की गई;

(ख) क्या इन यंत्रीकृत प्रक्षेत्रों में से किन्हीं प्रक्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञों की सलाह से खेती की जाती है;

(ग) यदि हां, तो उन प्रक्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा उनमें कितने और किस-किस देश के विशेषज्ञों को नौकरी पर रखा गया है;

(घ) सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के प्रक्षेत्रों का ब्योरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के प्रक्षेत्र में कितने श्रमिक काम करते हैं; और

(ङ) यंत्रीकृत प्रक्षेत्रों में किस-किस प्रकार की कृषि मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तथा इनकी लागत कितनी है और किन-किन देशों से उनका आयात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). इस समय केन्द्रीय सरकार देश में 3 यान्त्रिकृत फार्म चला रही है। उनका क्षेत्र निम्न प्रकार है :

1. सूरतगढ़	30,331 एकड़
2. जैतसर	21,319 एकड़
3. झरसुगुदा (उड़ीसा)	2,500 एकड़

झरसुगुदा फार्म के अन्तर्गत अन्ततः 10,000 एकड़ भूमि होगी।

इन फार्मों की वार्षिक उपलब्धि, उसके मूल्य तथा इन फार्मों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या के बारे में संलग्न विवरणों में जानकारी दी गई है। (अनुबन्ध 1, 2, 3, 4 तथा 5) [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**-834/68] प्राईवेट क्षेत्र व राज्य सरकारों के अधीन यान्त्रिकृत फार्मों के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। उत्पादन के आंकड़े इकट्ठा करने, उसकी लागत का अनुमान लगाने व इन फार्मों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने में बड़ा परिश्रम लगने पर भी ठीक परिव्यय उपलब्ध न हो सकेंगे।

केन्द्रीय यान्त्रिक फार्मों में इस समय कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं है।

शुरू में सूरतगढ़ फार्म रूस से उपहार रूप में प्राप्त 67 लाख रुपये की मशीनों की सहायता से स्थापित किया गया था। जैतसर फार्म रूस से खरीदी गई 41 लाख रुपये की मशीनों की सहायता से स्थापित किया गया था। उड़ीसा का फार्म रूस से उपहार रूप में मिलने वाली 31 लाख रुपये की मशीनों की सहायता से तथा देसी स्रोतों से प्राप्त मशीनों की सहायता से स्थापित होगा। इन फार्मों में जो मशीनें उपयोग हो रही हैं उनमें प्रायः ट्रक्टर, हार्वेस्टर, कम्बाइन, गाड़ियां व वर्कशाप सम्बन्धी उपकरण शामिल हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम

6904. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये बीज बढ़िया किस्म के नहीं होते; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किसानों से कितनी शिकायतें आई हैं तथा उसमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम निर्धारित स्तरों के आधार पर अंकुरण, उत्पत्ति विषयक शुद्धता सम्बन्धी प्रमाणीकरण के बाद बीज सप्लाई करता है ।

(ख) गत वर्ष 60 शिकायतें राष्ट्रीय बीज निगम को प्राप्त हुई जिनमें निगम द्वारा सप्लाई किए गए बीजों की किस्मों की अशुद्धता का जिक्र था । प्राप्त समस्त शिकायतों की जांच शुरू की गई और उनमें से 28 के विषय में जांच पूरी कर ली गई है । शेष शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । 28 मामलों में जिनके बारे में जांच पूरी कर ली गई है यह पाया गया है कि सप्लाई किये गये बीजों में जो कमी थी वह उचित भण्डारण न करने या निर्धारित उत्पादन सम्बन्धी पद्धतियों को न अपनाने के कारण थी ।

राष्ट्रीय बीज निगम

6905. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों को विदेशी बीज बेचने से राष्ट्रीय बीज निगम को राज्यवार कितना लाभ हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राष्ट्रीय बीज निगम अपने प्रादेशिक कार्यालयों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी कर रहा है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दंडकारण्य परियोजना

6906. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के लिये कोरापुट जिले में कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) इसमें से कितनी भूमि आदिवासियों से अर्जित की गई है और उन आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है जिनसे यह भूमि आर्जित की गई है;

(ग) अर्जित की गई भूमि में कितने आदिवासी परिवारों के कितने व्यक्तियों को पुनः बसाया गया है, तथा व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस अर्जन से प्रभावित आदिवासियों को क्या सहायता दी गई है और कितने व्यक्तियों को पुनः बसाया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कटक में डाक तार कर्मचारी

6907. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कटक में कुल कितने डाक तथा तार कर्मचारी हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ग) क्या कटक में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये और क्वार्टर बनाने का कोई तात्कालीक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1524

(ख) 65

(ग) कर्मचारियों के लिये 6 क्वार्टरों की मंजूरी दे दी गई है और इनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है ।

और अधिक क्वार्टरों के लिये भूमि अधिग्रहण के लिये भी मंजूरी दे दी गई है । भूमि अधिग्रहण के बाद क्वार्टरों के निर्माण का काम हाथ में लिया जायेगा, बशर्ते की फंड उपलब्ध हों ।

उड़ीसा में प्रायोगिक नलकूप

6908. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में प्रायोजिक नलकूप योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) अब तक कितनी राशि प्रयोग में लाई जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार को इस राशि के प्रयोग के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और क्या अधिक अनुदानों के लिये मांग की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . संघीय कृषि विभाग के अधीनस्थ समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा की गई भूमिगत जल की खोज के दौरान उन बोरों को जिनमें काफी पानी निकलता है उत्पादन नलकूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्रयोग के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार को सौंप दिये जाते हैं । उन राज्य सरकारों से ऐसे नलकूपों की लागत वसूल की जाती है जिनको इतनी राशि का ऋण स्वीकृत किया जाता है । चूंकि सन् 1967-68 के दौरान राज्य सरकार को ऐसा कोई कुआं सौंपा जाना नहीं था, अतः कोई ऋण स्वीकृत करना आवश्यक नहीं था ।

दंडकारण्य परियोजना

6909. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार परियोजना क्षेत्र में बसे हुए

विस्थापित व्यक्तियों तथा आदिवासियों को भूमि के अधिकार देने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) क्या कई वर्ष पूर्व प्राक्कलन समिति के एक प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में व्याप्त असन्तोषजनक स्थिति का उल्लेख किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया था परन्तु स्थिति अभी तक अनिश्चित बनी हुई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इसका सम्बन्ध विभिन्न राज्य सरकारों के साथ होने के कारण इस क्षेत्र में बसने वाले नये लोगों के अधिकार तथा हित भिन्न-भिन्न हैं तथा उनसे लिये जाने वाले किराये की दर भी भिन्न है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वहां बसने वाले लोगों की इस कठिनाई को स्थायी आधार पर हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार का कोई विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) दण्डकारण्य परियोजना में बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों और आदिवासियों को भूमि के अधिकार मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा दिये जायेंगे ।

(ख) से (ङ). प्राक्कलन समिति ने अपने 97वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि जिन विस्थापित व्यक्तियों को भूमि अलाट की गई है उनके दखलकारी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और अनिश्चितता के तत्व को हटाया जाये ।

मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बसे लोगों को प्रचलित भूमि अधिकार देने की अनुमति दे दी है । ये अधिकार बंशागतिशील तथा हस्तान्तरणीय हैं । बसने वालों के हित के लिये 1965 में चालू की गई भूमि समतल की योजना के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बसने वालों को अलाट की गई भूमि के सीमांकन तथा पट्टे के आवेदन-पत्र भरने के बारे में कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

गन्ने के मूल्य का भुगतान

6910. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद स्थित निजाम चीनी कारखाने ने गन्ने के अतिरिक्त मूल्य की 21,65,232 रुपये 20 पैसे की राशि का पूर्ण भुगतान गन्ने के सप्लायरों को सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि में कर दिया है ;

(ख) भुगतान किन-किन तिथियों को किया गया और अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) क्या इस कारखाने ने भुगतान में विलम्ब होने के सभी ऐसे मामलों में ब्याज दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1959-60 में खरीदे गये गन्ने के लिए 21,65,232.20 रुपये जो अतिरिक्त मूल्य के रूप में निजाम शूगर फैक्ट्री, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा देय है उसमें फैक्ट्री के अपने फार्म द्वारा सप्लाई किये गये गन्ने का 9,27,588:20 रुपये मूल्य भी शामिल हैं। इस प्रकार उत्पादकों को दी जाने वाली राशि 12,37,644 रुपये है। सरकारी आदेशों के अनुसार समूची राशि समान तीन किस्तों में 2-11-67, 2-5-68 और 2-11-68 तक बनी फैक्ट्री से प्राप्त सूचना के अनुसार, फैक्ट्री ने 7,21,744.07 रुपये की पहली किस्त निर्धारित तारीख पर दे दी थी और फिर 56,950.99 रुपये का कुल भुगतान 3-11-1967 और 29-2-1968 के बीच की अवधि में कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजाम चीनी कारखाने को छूट

6911. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम चीनी कारखाने, निजामाबाद को 1 नवम्बर, 1958 से 31 अक्तूबर, 1959 तथा 1 नवम्बर, 1959 से 31 अक्तूबर, 1960 तक की अवधि में गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य देने से पूरी छूट देने से पहले इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की राय ली गई है और उस पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इस कारखाने को कुल कितना लाभ/घाटा हुआ और क्या इस लेखे में कारखाने के गन्नों के खेतों पर खर्च की गई राशि भी सम्मिलित है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। यह उल्लेखनीय है कि इस कारखाने को 1-11-1958 से 31-10-1959 तक की अवधि के लिये अतिरिक्त मूल्य की अदायगी करने से पूरी छूट और पहली नवम्बर, 1959 से 31 अक्तूबर, 1960 तक की अवधि के लिये अतिरिक्त मूल्य की अदायगी करने से आंशिक छूट दी गयी थी।

(ख) यह छूट एक सूत्र के अनुसार दी गयी थी जोकि राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया था।

(ग) कम्पनी को 30 जून, 1959 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल लाभ 43,12,062 रुपये और 30 जून, 1960 को समाप्त होने वाले वर्ष में 93,35,962 रुपये हुआ है लेकिन इन पर कर देने हैं। इसमें मिठाइयों और कृषि फार्म से हुआ लाभ भी शामिल है।

आन्ध्र प्रदेश के भू-बंधक बैंक

6912. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-1967 में आन्ध्र प्रदेश में भू-बन्धक बैंकों की सरकार ने कोई सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक भू-बन्धक बैंक को कितनी धनराशि दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार देश के भूमि बन्धक (विकास) बैंकों को सीधे कोई सहायता नहीं देती है। तथापि, 1966-1967 में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक लि०, के ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को 150 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त, 1966-67 में आन्ध्र प्रदेश राज्य को सहकारी विकास के लिए उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता में से राज्य सरकार ने 1.3 लाख रुपये की राशि का उपयोग राज्य के प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों को प्रबन्धकीय उपदान देने के लिये किया है।

आन्ध प्रदेश से चावल का निर्यात

6913. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1967 से फरवरी, 1968 तक की अवधि में आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में चावल भेजा गया ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उसी अवधि में कितना गेहूं मांगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 91.7 हजार मीटरी टन।

(ख) 18 हजार मीटरी टन प्रति मास।

भेड़ पालन केन्द्र

6914. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़िया नस्ल भेड़ पालन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें 50,000 आयातित भेड़ें होंगी ;

(ख) क्या इन केन्द्रों को स्थापित करने के स्थान अन्तिम रूप से चुन लिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) किन-किन देशों से भेड़ों का आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अच्छी ऊन वाली भेड़ों के प्रजनन केन्द्रों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों के लिए लगभग 10,000 अच्छी ऊन वाली भेड़ों के आयात करने की एक योजना का प्रस्ताव है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया की सहायता से हिसार (हरियाणा) में एक वृहत केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना करने का भी एक प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). अमरीका से उत्तर प्रदेश व जम्मू व काश्मीर सरकारों के लिए जो 1460 रेम्बौलिट नस्ल की भेड़ों की पहली खेप मंगवाई जा रही है उससे निम्नलिखित स्थानों पर फार्मों की स्थापना की जायेगी :

1–**उत्तर प्रदेश** :

(क) भेड़ प्रजनन फार्म, बारहपट्टा (पिथौरागढ़)

(ख) भेड़ प्रजनन फार्म, बंगाली (चमोली)

(ग) भेड़ प्रजनन फार्म, कोपार्धर (टिहरी)

2–**जम्मू तथा काश्मीर** :

(क) गवर्नमेंट भेड़ प्रजनन तथा अनुसंधान रियासी/जाबन (बरिहाल)

(घ) भेड़ों को अमरीका व रूस से आयात करने का प्रस्ताव है।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित प्रियदर्शनी टेलीफोन

6915. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में "प्रियदर्शनी" टेलीफोन बनाये जाते हैं ;

(ख) क्या इन टेलीफोनों के निर्माण के लिये आवश्यक मूलभूत सामग्री का विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं जहां से मूलभूत सामग्री का आयात किया जाता है ;

(घ) इन सैटों के निर्माण पर कितनी औसत वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय होती है तथा तदनुसार उन सैटों का कितना निर्यात किया जाता है ;

(ङ) क्या इन सैटों के निर्यात से इतना मूल्य प्राप्त हो जाता है कि उस पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा तथा उस पर ब्याज पूरा होने के बाद लाभ मिल सके ; और

(च) यदि हां, तो जब से इन सैटों का निर्माण शुरू किया गया है, तबसे, वर्ष-वार हुई आय का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) कच्ची सामग्री का बहुत थोड़ा अंश आयात किया जा रहा है।

(ग) ब्रिटेन, संयुक्त-राज्य-अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी।

(घ) विवरण नीचे दिया जाता है :

वर्ष	प्रियदर्शनी टेलीफोन सेटों के निर्माण में खर्च हुई विदेशी मुद्रा	प्रियदर्शनी टेलीफोन सेटों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन
	रु०	रु०
1965-66	33,374	2,100
1966-67	1,09,409	1,28,100
1967-68	2,98,270	1,07,800

(ङ) और (च). विदेशी-मुद्रा के अर्जन को विदेशी-मुद्रा के व्यय से सम्बद्ध करना संभव नहीं है क्योंकि इन टेलीफोन सेटों के कुल उत्पादन का निर्यात नहीं किया जाता।

ऊपरी तारों (लाइनों) के स्थान पर भूमिगत तार बिछाना

6916. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन व्यवस्था की ऊपरी लाइनों के स्थान पर भूमिगत तार बिछाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक बिछाये गये तारों का ब्योरा क्या है और कौन-कौन से काम आरम्भ करने का विचार है ;

(ग) इस कार्य के लिये अब तक कितने (लम्बाई में) तारों का आयात किया गया है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है और इन केबलों का आयात करने के लिये किन-किन फर्मों को मंजूरी दी गई थी ; और

(घ) देश में टेलीफोन तारों के निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनकी निर्माण क्षमता कितनी है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) स्थानीय एक्सचेंज के तार-जाल में जहां ऊपरी तारों के कारण जमघट हो गया है, इनके स्थान पर भूमिगत केबिल बिछाये जा रहे हैं। लम्बी दूरी के ट्रंक मार्गों पर मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिये मौजूदा ऊपरी लाइनों के अतिरिक्त भूमिगत केबिल बिछाये जाते हैं।

(ख) स्थानीय तार-जाल में प्रतिवर्ष लगभग 3,000 किलोमीटर के केबिल बिछाये जाते हैं। ये केबिल 20 युग्मों से 1,200 युग्मों तक के हैं और वाहक गेज 4 पौंड प्रति मील से 40 पौंड प्रति मील के हैं।

लम्बी दूरी के मार्गों के लिये सहधुरीय और ट्रंक केबिल प्रयोग में लाये जाते हैं। अब तक चालू किये गये कुल केबिल मार्ग लगभग 5,140 किलोमीटर के हैं और हाथ में लिया गया काम 6,700 किलोमीटर के लगभग है।

(ग) 1967-68 के दौरान लगभग 524 किलोमीटर लम्बाई के स्थानीय टेलीफोन केबिल इन फर्मों से खरीदे गये थे।

(i) मैसर्स स्टैंडर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबिल्स लिमिटेड, इंगलैंड।

(ii) मेसर्स फिनिश केबिल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, फिनलैंड।

इसमें लगभग 55 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

अब तक कुल लगभग 3,200 किलोमीटर की लम्बाई के सहधुरीय और ट्रंक केबिल निम्नलिखित फर्मों से आयात किये गये हैं :

(i) मैसर्स स्टैंडर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबिल्स लिमिटेड, इंगलैंड।

(ii) मैसर्स साइमंस एण्ड हास्के ए० जी० वेस्ट जर्मनी।

(iii) मैसर्स एल० एम० इरिक्सन ए० बी० स्वीडन।

(iv) मैसर्स सुमिटोमो इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान।

(v) मैसर्स फिन्निश केबिल्स वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, फिनलैंड।

इसमें खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) भारत में टेलीफोन केबिल के एकमात्र निर्माता मेसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, पश्चिमी बंगाल है। इनके निर्माण की क्षमता लगभग 1,200 किलोमीटर के सहधुरीय केबिल और 4200 किलोमीटर के स्थानीय केबिल हैं।

बम्बई दूर संचार केन्द्र

6917. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विश्व उपग्रह संचार प्रणाली में भाग लेने के लिये फ्लोरा फाउन्टेन, बम्बई दूर संचार केन्द्र की स्थापना पर होने वाले सारे व्यय वहन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गजराल) : (क) जी हां।

(ख) भवन-निर्माण की लागत लगभग 143 लाख रुपये रहने का अनुमान है । विनिय-मक-उपस्कर (एक्सचेंज एक्विपमेंट) की लागत लगभग 80 लाख रुपये रहेगी ।

अधिक उपज देने वाले बीजों की सप्लाई

6918. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि कृषि के मौसम के आरम्भ में बुआई के लिये एक साधारण किसान को अधिक उपज देने वाले बीज प्राप्त करना बहुत कठिन होता है ;

(ख) अधिक उपज देने वाले बीज किसानों को उपलब्ध करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बीजों के उत्पादन तथा किसानों को उनके वितरण के बारे में सरकार एक नीति बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (**श्री अन्नासाहिब शिन्दे**): (क) से (घ). वर्तमान नीति के अनुसार बीजों का उत्पादन तथा वितरण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । प्रत्येक कृषि मौसम के शुरू होने से काफी पहले राज्य के प्रतिनिधियों की सलाह से समस्त राज्यों हेतु अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों के लिये बीजों की आवश्यकताओं का पुनर्निरीक्षण किया जाता है । जहां कोई कमी देखी जाती है, वहां राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उपयुक्त क्षेत्रों में विशेष उत्पादन कार्यक्रमों का प्रबन्ध करके फालतू बीज रखने वाले क्षेत्रों से सप्लाई को परिवर्तित करके कमी को पूरा किया जाता है ।

Employment During Five Year Plans

6919. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of persons who got employment in Uttar Pradesh during the last three Five Year Plans; and

(b) the number of persons who remained unemployed in rural as well as Urban areas during the period from 1952 to 1967?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment, and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) Precise information is not available. However, according to the estimates made by the Uttar Pradesh Government the number of new job opportunities created during the Second and Third Five Year Plans were of the order of 7.38 and 19.0 lakhs respectively.

Estimates for the First Plan are not available.

(b) According to the same source 21.0 lakhs of persons were reported to be unemployed at the end of the Third Plan. Separate statistics relating to unemployed persons in rural areas are, however, not available.

A statement showing the number of work seekers on the registers of employment exchanges at the end of each year for the period 1952—67, which gives some idea of the trends in urban unemployment, is given overleaf. **[Placed in Library. See No. LT-835/68].**

अमरीका से अनाज का आयात

6920. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री दीवीकन :**
श्री अंबचेजियान : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार ने भारत सरकार से विरोध प्रकट किया है और आरोप लगाया है कि भारत के लिये भेजा गया अमरीकी अनाज मद्रास में रूसी जहाज में लादा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह आरोप कहां तक सही है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) अमरीकी आरोप द्वारा उत्पन्न हुई गलतफहमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने इस संबंध में केवल कुछ सूचना मांगी थी।

(ख) और (ग). आरोप की जांच की गई है और उसे निराधार पाया गया है।

(घ) अमरीकी दूतावास को उपर्युक्त सूचना से अवगत करा दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय

6922. **श्री अंबचेजियान : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विलय का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या संगठन तथा निगम के कर्मचारियों से विलय तथा इसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में परामर्श किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय भविष्य निधि स्टाफ संघ ने इस विलय का विरोध किया है और इस विषय पर उसने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई एक सिफारिश सिद्धांतत: स्वीकार कर ली गई है। इस सिफारिश की क्रियान्विति के प्रश्न पर, जिसमें कानून और अनेक सम्बद्ध मामलों की विस्तृत जांच सन्निहित है, विचार किया जा रहा है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मुंघेर में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

6923. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मुंघेर जिले को व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सलाह से प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को केवल व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खण्डों की कुल संख्या का नियतन करती है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए क्षेत्र यूनिट खण्ड है न कि जिला। खण्डों का वास्तविक चुनाव राज्यों द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुसार स्वयं किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार को 16 खण्ड नियत किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के सिनेमा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6924. **श्री वि० कु० मोदक** : **श्री गणेश घोष**
श्री भगवान दास : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सिनेमा कर्मचारियों ने 12 मार्च, 1968 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं; और

(ग) उस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मागें (1) वेतन के नये मानों, (2) मंहगाई भत्ते की ऊंची दरों, (3) ग्रेच्युटी, (4) सेवा-निवृत्ति इत्यादि से सम्बंधित वर्तमान सेवा शर्तों में परिवर्तन के बारे में थीं।

(ग) इस मामले को पश्चिमी बंगाल के राज्य निदेशालय ने उठाया था लेकिन उसे समझौता करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई । पश्चिम बंगाल की सरकार ने 11-3-1968 को यह मामला न्याय निर्णय के लिए भेज दिया ।

समाचार-पत्र कर्मचारी संगठन

6925. **श्री म० ला० सोंधी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार-पत्र कर्मचारी संगठनों की केन्द्रीय समन्वय समिति के इस निर्णय का पता है, जिसमें उसने अपने सदस्यों को नियमानुकूल ही कार्य करने का परामर्श दिया है;

(ख) क्या सरकार मजूरी बोर्डों के पंचाटों को क्रियान्वित करने के लिये उनकी मांगों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें पत्रकार व गैर-पत्रकार संबंधी मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए समस्त भारत के समाचार-पत्रों के कर्मचारियों से 23 अप्रैल की प्रथम पारी से अनिश्चित काल की हड़ताल करने के बारे में समाचार-पत्रों के कर्मचारियों के संगठनों की केन्द्रीय समन्वय समिति के सुझाव का समर्थन किया गया है ।

(ख) और (ग). मजूरी बोर्डों की इन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श लेकर हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय

6926. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या इन पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक इलाज महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों में कुछ स्थानों पर उपलब्ध हैं ।

Mokameh Telephone Exchange

6927. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mokameh (Patna) Telephone Exchange has been housed in a rented building;

(b) whether a retiring room is available for employees in the said building but there are no facilities for relaxation; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) and (c). Retiring room is not required as there are only six operators sanctioned for the exchange, and only one operator is on duty at night.

Collieries

6928. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of collieries in the country;

(b) the number of collieries in each State; and

(c) the number of permanent and temporary labourers working in these collieries?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) 774.

(b)	Andhra Pradesh	31
	Assam	7
	Bihar	462
	Madhya Pradesh	54
	Madras	1
	Maharashtra	9
	Orissa	8
	Rajasthan	1
	West Bengal	201

(c) The figure of average daily employment for collieries in November, 1967 was 3,72,170. The number of permanent and temporary workers is not known.

Agricultural Labourers

*6929. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of Agricultural labourers in the country and their percentage in the total population;

(b) the names of States with the maximum and minimum number of agricultural labourers respectively;

(c) whether the minimum wages of agricultural labourers have been fixed in all the States ; and

(d) if so, the maximum and minimum wages fixed, State-wise ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) According to the 1961 Census, the total number of agricultural labourers in the country is 31.5 million. Their percentage to total population is about 7.2.

(b) Andhra Pradesh has the maximum number of agricultural labourers (5.34 million), while Jammu and Kashmir has the minimum number (0.02 million)

(c) Yes. However, Maharashtra and Madras States have fixed minimum wages of agricultural labourers in parts of their States and the Gujarat State has just decided to cover the whole state.

(d) A Statement showing Minimum Wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948 is tabled. **[Placed in Library. See No. LT-836/68]**

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डाकघर तथा उप-डाकघर

6930. **श्री रमानी :** **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :** **श्री गणेश घोष :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने डाकघर तथा उप-डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक द्वीप में एक उप-डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक-घरों की कुल संख्या 34

उप डाक-घरों की संख्या 11

(ख) जी नहीं ।

(ग) कार्य की मात्रा और सिव्वन्दी पर होने वाली संभावित लागत के आधार पर विभागीय उप डाकघरों की स्थापना की जाती है । मौजूदा नीति के अनुसार उप डाकघर में कम से कम 5 घंटे का कार्य होना चाहिए और संभावित घाटे की रकम शहरी क्षेत्रों की स्थिति में 240 रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी मौजूदा अतिरिक्त विभागीय डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उप-डाकघर बनाया जाना हो तो प्रत्याशित घाटे की रकम शहरी क्षेत्रों की स्थिति में 500 रुपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

उप-डाकघर खोलने के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त होने वाली प्रार्थनाओं की जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में उसके औचित्य के अनुसार निर्णय लिया जाता है । अण्डमान

तथा निकोबार द्वीप समूह के अधीन द्वीपों की संख्या 243 है और कार्य की मात्रा तथा विभाग को होने वाली आर्थिक क्षति की ओर ध्यान दिये बिना प्रत्येक द्वीप में एक विभागीय उप-डाकघर खोलना संभव नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी विनियम

6931. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द तथा सेवा की शर्त) विनियम 1962 को 1962 में अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में 1966 में उस संगठन को एक 'उद्योग' के रूप में घोषित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप सरकार ने उन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में क्या परिवर्तन किये हैं ताकि उनको अन्य औद्योगिक उपक्रमों के स्तर पर लाया जा सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

6932. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना शुरू में 'न लाभ न हानि' के आधार पर बनाई गई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें राहत देना था;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास संबंधी कार्यों की क्रियान्विति में विलम्ब तथा उसके परिणामस्वरूप उन प्लाटों का कब्जा पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को देने में विलम्ब से इस उद्देश्य पर प्रभाव पड़ा है और इससे इन विस्थापित व्यक्तियों को कठिनाई हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि के अर्जन तथा उसके विकास के संबंध में 1961 के मूल अनुमान में तथा 1967-68 में उस पर किये गये वास्तविक व्यय में अन्तर की राशि विस्थापित व्यक्तियों से वसूल करने की बजाय उसके लिए अर्थ-सहायता देने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि क्रियान्विति देर से हुई है। चूंकि एक उचित योजना तैयार करनी पड़ती है, और नालियों, पेय जल की सप्लाई, आन्तरिक सड़कें, बिजली और अन्य

सेवाएं उपलब्ध करनी होती हैं, इसलिये 218 एकड़ भूमि के क्षेत्र के विकास करने में काफी समय लगता है । इन सेवाओं के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को एक साथ लाना होता है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि विकास-कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पोस्टमास्टरों का प्रथम श्रेणी की पदालि में चयन

6933. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य डाकघरों या अन्य डाकघरों में काम कर रहे द्वितीय श्रेणी की पदालि के ऐसे पोस्टमास्टरों की संख्या क्या है जिनका प्रथम श्रेणी में चयन किया गया है;

(ख) यह चयन कब किया गया था और क्या उन्हें प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये पदोन्नतियां करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की हुई है और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ङ) इन पदाधिकारियों के कब तक पदोन्नत हो जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). प्रेसीडेंसी पोस्टमास्टर पदक्रम (श्रेणी-1) में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिसम्बर, 1967 में पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी II में से 5 अधिकारियों की एक सूची तैयार की गई थी । रिक्त स्थानों की कमी के कारण चुने हुए अधिकारियों की इस सूची में से किसी भी अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया जा सका है ।

(घ) चुने हुए अधिकारियों की यह सूची विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख से सामान्यतः एक वर्ष की अवधि तक सक्रिय रहती है । यह सूची किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक एक वर्ष छः महीने तक या नई सूची तैयार होने तक (इनमें से जो भी जल्दी हो) सक्रिय रहेगी ।

(ङ) इस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं की सप्लाई

6934. **श्री समर गुह** :
डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना चावल और गेहूं मांगा है ;

(ख) पश्चिम बंगाल के लिये कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की पूर्ण मांग को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंचांग वर्ष 1968 के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार से मांगी गई चावल तथा गेहूं की मात्रा क्रमशः 3 लाख मीटरी टन और 9 लाख मीटरी टन रही है ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया है कि अपर्याप्त उपलब्धि के कारण 2 लाख मीटरी टन से अधिक चावल सप्लाई करना सम्भव नहीं होगा लेकिन उनकी गेहूं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास किया जायगा । केन्द्र के पास कुल उपलब्धि तथा अन्य कमी वाले राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रति मास वास्तविक आवंटन किये जाते हैं । पश्चिम बंगाल को अब तक 153.8 हजार मीटरी टन चावल, 332.2 हजार मीटरी टन गेहूं और 87.7 हजार मीटरी टन अन्य खाद्यान्न आवंटित किये गये हैं ।

National Labour Commission

6935. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the work of National Labour Commission ;

(b) whether the Commission have submitted any interim report ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The progress so far made is considered by the Commission to be satisfactory,

(b) No. The Commission does not propose to submit any interim report.

(c) According to the Commission, its work does not permit of preparing any interim report.

Complaint Against Apeejay Shipping Company

6936. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the hearing of the complaint lodged by the Regional Director of Food, Bombay against Apeejay Shipping Company ; and

(b) the present position of this case ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Police investigations in the case registered on the complaint lodged by the Regional Director (Food), Bombay have not yet been completed.

अनाज का जमा होना

6937. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि बाहुल्य वाले राज्यों में अनाज जमा हो रहा है, सरकार देश में बाजरा, ज्वार, गेहूं तथा चावल आदि के लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने के बारे में विचार करेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके लाने-ले जाने पर से आंशिक रूप से प्रतिबन्ध हटाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). देश में क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के आकार सम्बन्धी निर्णय मुख्य मंत्रियों के परामर्श से किये जाते हैं । 16 मार्च, 1968 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में, जो कि रबी के खाद्यान्नों की नीति पर विचार करने के लिये हुआ था, की गयी सिफारिशों पर विचार करने के बाद 28-3-1968 से निम्नलिखित निर्णयों को लागू कर दिया गया है :

(1) देश भर में चने और जौ पर लगे संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ।

(2) पंजाब, हरियाना और राजस्थान में मकई, ज्वार और बाजरा पर संचलन सम्बन्घी लगे प्रतिन्बधों को हटा लिया गया है ।

(3) चावल और गेहूं के संचलन हेतु पंजाब, हरियाना, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ का एक क्षेत्र बना दिया गया है ।

देश में मुख्य फसल खरीफ की फसल है । खरीफ फसल के कटने के कुछ समय पहले ही मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से, खरीफ फसल सम्बन्धी नीति के बारे में निर्णय किये जायेंगे।

राशन व्यवस्था

6938. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसे नगरों में, जहां कानूनी राशन व्यवस्था है, 500 रुपये मासिक से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए राशन व्यवस्था समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) सांविधिक राशन व्यवस्था के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड पर राशन वाली वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं खरीद सकता इसलिये निश्चित आय से अधिक आय वाले व्यक्तियों को राशन वाली वस्तुएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

हड़ताल और तालाबन्दी

6939. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में देश में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कितने मामले हुए हैं और किन-किन उद्योगों में हैं ;

(ख) इनमें कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ग) उक्त अवधि में कितने श्रम-दिनों की हानि हुई तथा उत्पादन की कितनी हानि हुई और लाभ कितना हुआ ;

(घ) ये हड़तालें किस मजदूर संघ के नेतृत्व में आयोजित की गई थीं ; और

(ङ) इन औद्योगिक विवादों में कितने मज़दूर अथवा नेता गिरफ्तार किये गये थे और वे कौन-कौन थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) से (ग). लाभ में हुई हानि के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है। अन्य बातों के बारे में सूचना का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-837/68**] संलग्न विवरण में दिये गये आंकड़े कच्चे हैं क्योंकि कतिपय राज्यों से कुछ सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जिन 895 विवादों के बारे में सूचना प्राप्त है, श्रमिकों की यूनियनों का सम्बन्ध इस प्रकार है :

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	315
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	413
हिन्द मजदूर सभा	89
संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस	32
विविध यूनियनें	46

(ङ) सूचना प्राप्त नहीं है।

सरकारी क्षेत्र में श्रम उत्पादिता

6940. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यत: श्रम उत्पादिता की तुलना में और अन्य उन्नत देशों की तुलना में सरकारी क्षेत्र में श्रम उत्पादिता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : मूल्यों को स्थिर रखने तथा वास्तविक मजूरियों को बढ़ाने के लिये सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह कार्य सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का है कि वे श्रमिकों के संगठन से परामर्श करके ऐसे उपाय अपनायें जिन्हें वे अपने यहां उत्पादिता बढ़ाने के लिए ठीक समझें।

Telephone Connections

6941. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of applications for telephone connections pending in the country on the 1st March, 1968 ; and

(b) the number of applications which have been sanctioned but telephone have not been provided so far ; and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) About 4,24,000.

(b) About 10,400. In some cases formalities are being completed and in other cases delay has been caused by shortage of underground cables and line stores.

एस्सो तेल कम्पनी

6942. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री गणेश घोष** :
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री भगवान दास** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो तेल कम्पनी ने पश्चिम बंगाल में बज बज के निकट चित्तगंज तेल डिपो को बन्द करने का निर्णय किया है यद्यपि कम्पनियों ने यह बात मान ली थी कि गोखले आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तक यथापूर्व-स्थिति कायम रखी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस डिपो के बन्द होने से कुल कितने कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(घ) उसे बन्द न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). इस मामले से सम्बन्धित कोई भी शिकायत भारत सरकार को प्राप्त नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार से सूचना मांगी गई है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

ऊषा सेल्ज लिमिटेड

6943. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऊषा सेल्ज लिमिटेड ने बिहार में अपने बिक्री केन्द्रों को बन्द करने और उनके स्थान पर एजेन्सियां देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में पहले ही मोतीहारी तथा बिहार शरीफ केन्द्रों को बन्द किया जा चुका है और मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर के केन्द्रों को भी बन्द किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऊषा सेल्ज लिमिटेड के लगभग 700 कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिये उसके प्रबन्धकों से बातचीत की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

दरभंगा जिले का मधुबनी सब-डिवीजन

6944. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले का मधुबनी सब-डिवीजन भारत का सबसे घनी आबादी वाला सब-डिवीजन है और उसकी राजस्व वसूली सन्तोषजनक है ;

(ख) क्या यह सब-डिवीजन उत्तर में नेपाल-सीमा से लगा है और पूर्व में कोसी नदी तथा पश्चिम में बागमती नदी से घिरा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों के साथ उसके यातायात में कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सब-डिवीजन का एक डाक डिवीजन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक-डिवीजनों का निर्माण किसी क्षेत्र के डाक परियात के आधार पर डाक-क्लर्कों की संख्या को लेकर किया जाता है, न कि जनसंख्या या राजस्व की वसूली के आधार पर। मौजूदा विभागीय मानक के अनुसार डाक डिवीजन के निर्माण के लिए एक जिले या जिलों के समूह में कम से कम 150 क्लर्क होने चाहिए और इसका अपवाद केवल ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता हो या जो सामरिक महत्व के हों, जहां कि अलग डाक-डिवीजन के निर्माण से डाक सेवाओं में सुधार होता हो ।

(ख) जी हां, बरसात में कभी-कभी संचार सम्बन्धी कठिनाई अनुभव की जाती है ।

(ग) निर्दिष्ट विभागीय मानकों के अनुसार मधुबनी के लिये डाक-डिवीजन के निर्माण का औचित्य नहीं है ।

Procurement of Foodgrains

6945. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of each variety of foodgrains, purchased so far in the various States through the Food Corporation of India ;

(b) the procurement prices paid by the Food Corporation of India in various States during the last four months and the prices prevailing at present and also the prices that were paid during the corresponding periods of the last two years ; and

(c) the nature of difficulties faced by the Food Corporation of India in regard to the procurement of foodgrains and the steps being taken by Government to overcome them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Two statements giving the required information are attached as Annexures I and II. **[Placed in Library. See No. LT-838/68]**

(c) In general owing to the late start of monsoon last year, which led to late plantation of paddy, and subsequently to delayed harvesting, the procurement in some of the States was a little delayed. The Corporation has also stepped up its level of operations from about 44% of the total of procurement of foodgrains last year to about 60% this year. This involved organizational problems of setting up of machinery in some States and expanding the existing machinery in other States. These difficulties have been circumvented.

Bharat Sewak Samaj

6946. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri T. P. Shah:**
Shri Brij Bhushan Lal: **Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have completed the inquiry into the irregularities committed by the Bharat Sewak Samaj;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon;

(c) whether it is a fact that Bharat Sewak Samaj is given contracts and other types of assistance also by Government; and

(d) if so, whether Government propose to discontinue all types of assistance to the Bharat Sewak Samaj?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) The question of holding an enquiry into the affairs of the Bharat Sewak Samaj is still under consideration.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Concessions formerly allowed to the Bharat Sewak Samaj in respect of their construction activities have, following recommendations of the Public Accounts Committee, already been withdrawn as from May, 1967. In regard to fresh contracts the Bharat Sewak Samaj is eligible on a competitive basis on par with any others.

Industrial Undertakings Under Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation

6947. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of factory owners and the officials in the management of factories under his Ministry who have been prosecuted during the period from September, 1967 to March, 1968 for violating the Factory Act, 1948 and the rules framed thereunder; and

(b) the number of persons among them who were fined along with the amount of fine recovered in each case, the number of persons convicted along with the term of sentence in each case, the number of persons acquitted and the names and designations of each these persons ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, as soon as compiled.

Cases of Violation of Factory Act in U. P.

6948. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of factory owners in U. P. and the number of officials in the management thereof who have been prosecuted during the period from September, 1967 to March, 1968 for violating the Factory Act, 1948 and Rules framed thereunder ; and

(b) the number of persons among them who were fined along with the amount of fine recovered in each case, the number of persons convicted along with the term of sentence in each case the number of persons acquitted and the names and designations of each of these persons ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Rehabilitation of Refugees in Jammu and Kashmir

6949. **Shri Bal Raj Madhok** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not so far provided rehabilitation facilities in Kashmir to the refugees who came from Pakistan in 1947 ;

(b) whether it is also a fact that the refugees in Jammu and Kashmir have not so far been allotted evacuee land ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). Displaced persons who came from Pakistan in 1947 have not been resettled in Jammu and Kashmir. The conditions in that State were not favourable for the resettlement of the displaced persons. The Administration of Evacuee Property Act, 1950, did not extend to Jammu and Kashmir. Hence the question of allotment of evacuee land in that State has not arisen.

नई दिल्ली सहकारी बैंक

6950. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली सहकारी बैंक के सचिव से अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की गई है। जांच के परिणामस्वरूप, पांच मामले पुलिस में दर्ज कराये गये हैं। इनमें से चार मामलों की अभी तक जांच चल रही है, जबकि एक मामले में न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया गया है।

Hindi Version of Delhi Telephone Directory

6951. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) the time by which the work regarding the preparation of Hindi version of Telephone Directory of Delhi, would be completed ; and

(b) the progress made so far in this work ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The compilation of the Hindi version of Delhi Telephone Directory has been completed.

(b) The Press for printing the Directory has recently been selected and the material will now be sent for printing.

Foodgrains Rendered Unfit for Human Consumption

6952. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains rendered unfit for human consumption in the country since 1966 ;

(b) the names of harbours and railway stations where foodgrains got rotten and the quantity of foodgrains thus wasted ;

(c) the number of persons found guilty in this connection and the action taken against them ; and

(d) the steps taken to avoid wastage of foodgrains in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as it is received.

(d) Damage occurs to foodgrains either in the ship, in transit or in storage. In brief, the following steps have been taken to avoid damage to foodgrains :

(i) **At Ports :** At times, some stocks of foodgrains are received in damaged condition from the ship. To avoid further damage to this cargo, arrangements have been made at major Ports to dispose of the same immediately through rate running contracts for utilisation as cattle feed, poultry feed, etc. The discharge of cargo in open is avoided, as far as possible.

(ii) **During Transit:** The stocks are moved by rail in covered wagons. In case of non-availability of covered wagons and urgency of movement, when open wagons have to be utilized, adequate precautions are taken to cover the foodgrains by tarpaulins. Escort is also provided to ensure care of grain during movement.

(iii) **In Storage:** The foodgrains are stored in rat and damp-proof godowns. To prevent damage by rain pre-monsoon checks and timely repairs are undertaken. Adequate dunnage is provided to protect grain from bottom layer damage. Periodical technical inspections and prophylactic treatments are carried out and fumigation undertaken whenever necessary to prevent damage by insects.

In unavoidable circumstances when the grain is damaged, salvaging is undertaken immediately to recover the maximum quantity of sound grain. Early arrangements are also made to dispose of the damaged grain.

सूरत गढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेप

6953. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ राजस्थान में बड़े यन्त्रीकृत प्रक्षेप की प्रगति में पानी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बाधा पड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भाखड़ा बांध से मंजूर किये गये 85 क्यूसेक्स पानी की पूरी सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि अपर्याप्त सिंचाई सप्लाई के कारण सूरतगढ़ फार्म अपनी स्थिति शक्ति तक नहीं पहुंच सका है ।

(ख) और (ग). भाखड़ा नहर पद्धति के माध्यम से फार्म का अधिकृत जल अधिदेय 66 कूसैक्स है और गंगा नहर से 15 कूसैक्स है कुल जोड़ 81 कूसैक्स है । रबी के दौरान सघन खेती के लिये पानी की आवश्यकता 185 कूसैक्स अनुमानित की गई है । चक्रक्रमयुक्त सप्लाई के कारण 81 कूसैक्स की अधिकृत सप्लाई भी अब उपलब्ध नहीं है । सप्लाई भी अनिश्चित है । फार्म के लिए सिंचाई सप्लाई बढ़ाने के लिए सिंचाई एवं शक्ति मन्त्रालय तथा पंजाब और राजस्थान सरकारों की सलाह से प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नसरुलागंज (मध्य प्रदेश) में ट्रंक काल कनेक्शन

6954. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नसरुला गंज सेहौर जिला, मध्य प्रदेश के लोगों को ट्रंक काल कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मजबूरन या तो इटारसी जाना पड़ता है या फिर भोपाल; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) नसरुलागंज में एक छोटा बिना प्रचालक का स्वचल टेलीफोन केन्द्र है। यह राष्ट्रीय ट्रंक जाल से होशंगाबाद के करचल ट्रंक एक्सचेंज से सम्बद्ध है। होशंगाबाद राष्ट्रीय ट्रंक जाल से भोपाल और इटारसी के द्वारा जुड़ा हुआ है। नसरुलागंज के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को ट्रंक काल प्राप्त करने में कोई खास कठिनाइयां अनुभव नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Agricultural Farm at Vallabh Nagar (Rajasthan)

6955. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure incurred by the Central Government or from other external sources on the Government agricultural farm recently set up at Vallabh Nagar, Udaipur district of Rajasthan;

(b) the acreage of land acquired for the said farm at Vallabh Nagar and the manner in which the compensation has been paid to the farmers in this regard; and

(c) the staff employed in the said farm, its expenditure and the income earned by it so far?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) According to the information furnished by the University of Udaipur, the total expenditure incurred by the Central Government upto 31st March, 1968 on Vallabh Nagar farm was Rs. 1,20,000 (Rupees one lakh and twenty thousand) and that from other sources was Rs. 2,06,800 (Rupees two lakhs, six thousand and eight hundred).

(b) The Udaipur University have informed further that an area of 1012 acres has been acquired for the farm at Vallabh Nagar. For 712 acres of this area, the University did not have to pay any compensation. Compensation for the remaining 300 acres, however, has been paid to farmers concerned in accordance with the State Government rules through Tehsildar and Sub-Divisional Officer Vallabh Nagar.

(c) So far 44 staff members have been reported to be employed at this farm. The total income and expenditure of this farm till 31-3-68 has been stated as Rs. 7,459.54 and Rs. 8,05,910 respectively.

Area under Rice Cultivation

6956. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any scheme to increase the area under rice cultivation in view of its shortage in the country;

(b) whether it is a fact that rice is produced in Rajasthan also and its production can be further increased there if adequate facilities and resources are made available; and

(c) if so, the steps which Government propose to take in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No. The present policy of the Government of India is to increase the production of rice through intensive cultivation by introducing high-yielding varieties of rice and multiple cropping in areas having assured water supply.

(b) and (c). Yes. The total estimated area under rice in Rajasthan during 1967-68 was 1,83,791 acres. Among the various steps taken to increase the per acre yield of rice in Rajasthan, the most important one is the introduction of the high-yielding varieties of rice from the kharif season of 1966-67. This programme is being taken up in areas having assured water supply and the participating farmers are assured of production requisites like improved seeds, fertilisers, pesticides, credit etc. Arrangements have also been made to provide close field supervision and technical guidance to farmers by strengthening the extension agency wherever necessary. Farmers are also given intensive training before every crop season in the technology concerning cultivation of the high-yielding varieties.

प्रक्षेत्र प्रबन्ध के लिये अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान

6957. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रक्षेत्र प्रबन्ध के अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को दिये गये अनुदानों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इस अनुसंधान के परिणाम किसी पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965-66 से 1967-68 की अवधि के गत 3 वर्षों में कृषि विभाग व भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने फार्म प्रबन्ध तथा उससे संबद्ध कुछ विषयों के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :

		अनुसन्धान अध्ययनों की संख्या जिनके लिये अनुदान दिये गये हैं	अनुदान की रकम (लाख रुपयों में)
(1) कृषि विभाग द्वारा दिया गया अनुदान	...	15	13.03
(2) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा दिया गया अनुदान		4	1.71

(ख) 15 अनुसंधान अध्ययनों में से जिनके लिये कृषि विभाग ने अनुदान दिये हैं, 4 पूर्ण हो चुके हैं और प्रकाशन हेतु उनकी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं बाकी 11 अध्ययन जारी हैं।

जिन अनुसन्धान योजनाओं के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद अनुदान देती है उनके परिणामों की योजनाओं की पूर्ति के पश्चात परिषद की अनुसन्धान रिपोर्टों व बुलिटिनों के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

ग्रामीण अनाज संग्रह-समस्या संबंधी गोष्ठी

6958. **श्री रवि राय :** **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री हेमराज : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबी की काफी अच्छी (बम्पर) फसल को दृष्टि में रखते हुए खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के उपायों तथा देहातों में अनाज रखने की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिये 18 मार्च, 1968 को चंडीगढ़ में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय किये गये और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह गोष्ठी 18 मार्च से 20 मार्च, 1968 तक हुई थी।

(ख) गोष्ठी द्वारा की गयी सिफारिशों की रूपरेखा और उन पर की जा रही अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-839/68]

Land in Dadri and Jewar Pargana

6959. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land which is in illegal occupation and is unoccupied in Dadri and Jewar Pargana of district Bulandshahr in Uttar Pradesh ;

(b) the acreage of land which was let out on lease in Dadri and Secunderabad Pargana during the last year ; and

(c) the time likely to be taken in getting the aforesaid land freed from the illegal occupation and when it would be distributed among the landless Harijan agricultural labourers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

Allotment of Land in Dadri

6960. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of landless persons to whom land has been given in Dadri Pargana, District Bulandshahr, Uttar Pradesh, the acreage of land given to each of them and the basis on which the land was given to them during the last five years;

(b) the amount spent by the Government of Uttar Pradesh on the afforestation of the aforesaid land during the last five years; and

(c) the acreage of land in Tehsil Sikandarabad, District Bulandshahr belonging to the Forest Department of Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

बुलन्दशहर में फार्म (प्रक्षेत्र)

6961. **श्री राम चरण :**
श्री लषण लाल कपूर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने लगभग 17 मार्च, 1968 को बुलन्दशहर जिले की सूरजपुर-दादरी सड़क पर एक फार्म (प्रक्षेत्र) का, जो कि तीन हजार बीघे भूमि में है, उद्घाटन किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि उत्तर प्रदेश के वन विभाग की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि मेसर्स जे० सी० बगाई मोटर कम्पनी को दी गई है; जिसका खेती-बाड़ी से कोई संबंध नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गुलिस्तान तथा सूरजपुर गांवों के भूमिहीन हरिजन कृषि श्रमिकों ने उक्त भूमि के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र दिये थे; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर तथा किस नीति के अनुसरण में उक्त भूमि को मेसर्स जे० सी० बगाई मोटर कम्पनी को दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ने 17 मार्च, 1968 को बुलन्दशहर जिले की सूरजपुर-दादरी सड़क पर गुलिस्तान खंड की 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र का जो श्री जे० सी० बगाई को पट्टे पर दिया था, दौरा किया था और उन्होंने ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर फार्म का उद्घाटन किया था।

(ख) जी, हां। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का बेकार भूमि का इलाका है। जो उसे 1952 में जमींदारी समाप्त होने के फलस्वरूप मिला था।

(ग) इस ऊसर 200 हैक्टेयर भूमि, जो सौ-सौ हैक्टेयर के दो टुकड़े में विभक्त है पेड़ लगाने के उद्देश्य से "तौंग्या" के आधार पर एक सार्वजनिक नीलाम में श्री जे० सी० बगाई, बी 25, महारानी बाग, नई दिल्ली को तीन वर्ष के लिये दी गई थी क्योंकि नीलाम में उसकी सबसे ऊंची बोली थी।

(घ) गुलिस्तान और अन्य खण्डों में खेती करने के लिये वहां के भूमिहीन लोगों से भूमि के आवंटन के लिये कुछ आवेदन प्राप्त हुये थे परन्तु उनमें विशेष रूप से उस भूमि के लिये नहीं लिखा गया था जो श्री जे० सी० बगाई को पट्टे पर दी गई थी।

(ङ) वैसे तो वन क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु कुछ ऐसे स्थानों पर जहां ट्रैक्टर आदि से भूमि को जोतना आवश्यक होता है पेड़ लगवाने का काम ठेके पर किया जाता है यह ठेका इस शर्त पर दिया जाता है कि ठेकेदार उस भूमि को ट्रैक्टर से जोत कर पेड़ लगाने योग्य बनायेगा। तत्पश्चात उस क्षेत्र में वन विभाग के निदेशों के अनुसार पेड़ लगा दिये जाते हैं और उन छोटे पौधों की देखभाल पट्टेदार द्वारा तीन-चार साल तक की जाती है और तब तक पट्टे की अवधि प्रायः समाप्त हो जाती है। इस अवधि में पट्टेदार को पेड़ों की पंक्तियों के बीच-बीच कृषि करने की अनुमति दे दी जाती है। इसे "तौंग्या" कृषि कहते हैं। श्री बगाई को, जिसने सार्वजनिक नीलाम में सबसे ऊंची बोली दी थी, को "तौंग्या" आधार पर पेड़ लगाने की अनुमति इस उद्देश्य से दी गई थी कि वह भूमि को कम लागत से उपजाऊ बनायेगा, जो वृक्ष लगाने के उपयुक्त होगी। उस ऊसर भूमि में अधिक उपज वाली धान की किस्में उगाने का श्री बगाई ने प्रयोग किया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिक्त पद

6962. **श्री राम चरण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित कितने रिक्त पदों की सूचना रोजगार दिलाऊ केन्द्रों को गत वर्ष दी गई थी;

(ख) कितने मामलों में यह प्रमाण-पत्र दिया गया था कि उनके पास लोग उपलब्ध नहीं थे; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सामाजिक संस्थाओं को इन रिक्त पदों की सूचना साथ-साथ भेजी गई थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० ज़मीर) : (क) 9,617
(ख) 1,038

(ग) यदि नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं होती तो नियोजन कार्यालय के अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जातियों के स्थानीय संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोजगार संबंधी सहायता

6963. **श्री राम चरण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने शिक्षित व्यक्तियों ने रोजगार संबंधी सहायता मांगी है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति दो वर्ष अथवा इससे अधिक समय से बेरोजगार हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के शिक्षित बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में जानकारी एक वर्ष में एक बार, दिसम्बर में, एकत्र की जाती है ।

उपलब्ध ताजे आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं ।

प्रार्थियों की श्रेणी	31 दिसम्बर, 1967 को नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम
1	2
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार (मैट्रिक और अधिक)	73,112
अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार (मैट्रिक और अधिक)	11,930

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के नाम नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में कितने समय तक रहे इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती ।

अच्छी प्रकार न रखने के कारण फलों का नाश

6964. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में फलों को ले जाने की भाण्डागार की, पैकिंग की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण फलों के नष्ट हो जाने के बारे में कृषि विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण बिक्री केन्द्रों से आंकड़े इकट्ठे किये हैं और उनका विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दोषपूर्ण संचयन व्यवस्था, खराब पैकिंग तथा फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण फलों के नष्ट हो जाने के बारे में आंकड़े एकत्रित करने हेतु कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1961-62 में कतिपय चुने हुये शहरी क्षेत्रों में कुछ फलों के विपणन के बारे में किए गये एक सर्वेक्षण से दोषपूर्ण संचयन व पैकिंग तथा अपर्याप्त ढुलाई की व्यवस्था सहित विभिन्न दोषों के कारण हानि का कुछ मोटा अनुमान लग पाया है।

(ख) इस प्रसंग में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

(1) केन्द्रित उत्पादन के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विधायन एवं परिरक्षण यूनिटों का स्थापन।

(2) देश में इन फलों के "कोल्ड स्टोरेज" की तकनीक में विकास करना और अतिरिक्त "कोल्ड स्टोरेज" क्षमता का स्थापन।

फलों को नष्ट होने से बचाने हेतु, हाल के वर्षों में, परिरक्षण एवं कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में हुई प्रगति इस प्रकार है :

(1) विधायित फलों का अनुमानित उत्पादन 1961 के लगभग 28,400 मीटरी टन से बढ़कर 1966 में 41,400 मीटरी टन हो गया है।

(2) इस उद्योग को समुचित वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने के लिये 1-1-1965 से एक "कोल्ड स्टोरेज" आदेश लागू किया गया हैं। साथ ही फलों के कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी 1965 के 105 से बढ़कर 1966 में 129 हो गई है।

पौधा-रक्षा निदेशालय

6965. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौधा-रक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी है कि नई तथा नये प्रकार से लगाई गई फसलों में नये प्रकार के विनाशकारी कीड़ों तथा बीमारियों के लगने का अधिक भय हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं तथा खाद्य-फसलों को बर्बादी से रोकने के लिये वनस्पति-रक्षा के क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 'नई फसल पद्धति' विषय पर एक विचार गोष्ठी 27 जनवरी से 31 जनवरी, 1968 तक नई दिल्ली में आयोजित की थी । उसमें पौधा-रक्षा निदेशालय ने बदलती हुई फसल पद्धति के कारण पैदा होने वाली नई पौधों की बीमारियों और नये हानिकारक कीड़ों के पहलू पर अधिक बल दिया था । इस प्रकार के परिवर्तन जब भी किये गये हैं तभी नये प्रकार के कीड़ों और बीमारियों की समस्या पैदा हुई है और ये समस्याएं भविष्य में भी पैदा होंगी ।

(ख) उसमें दो सुझाव दिये गये थे । (एक) कीट विज्ञानियों और वनस्पति-रोग-विज्ञानियों का काम के प्रत्येक स्तर पर घनिष्ठ सम्पर्क ताकि नई समस्याओं का समाधान शीघ्रता से खोजा जा सके और रोगनिरोधक आधार पर कीट तथा रोग पर नियंत्रण हेतु कार्यक्रम तैयार किया जा सके । (दो) बढ़ते हुए कीटों और वनस्पति रोगों पर निगरानी करने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से बड़े पैमाने पर नियमित रूप से सर्वेक्षण करना और फसल को भारी हानि होने से पूर्व ही ऐसे प्रभावकारी उपाय करना जिससे कीट और पौधों की बीमारियों पर नियंत्रण हो जाये ।

नई फसलों और नई किस्मों के पौधों की रक्षा करने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है और विस्तार सेवाओं तथा स्वयं किसानों के माध्यम से उसे क्रियान्वित कराया जायेगा ।

दिल्ली में मुर्गीपालन विकास योजना

6966. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोई व्यापक मुर्गीपालन विकास योजना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में मुर्गी के अंडों आदि की काफी बिक्री हो सकती है । भारत में, विशेषकर दिल्ली में, मुर्गीपालन का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं । दिल्ली में कुक्कुट विकास का एक कार्यक्रम जनवरी 1966 से क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता । भारत सरकार ने जनवरी 1966 में दिल्ली कंज्यूमर्स कोआप-होलसेल स्टोरों के माध्यम से संतुलित कुक्कुट आहार के संभरण व अंडों के विपणन के लिए 2 लाख रुपये की रकम मंजूर की थी । 1966–68 की अवधि में विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन को लगभग 468 मीटरी टन मक्का सप्लाई किया गया था । इसके समस्त मूल्य को इस परियोजना के भावी विकास हेतु काम में लाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त प्राई-वेट आपरेटर भी सरकारी सहायता के बिना ही बड़े आकार के कुक्कुट फार्मों की स्थापना कर रहे

हैं। दिल्ली के सघन कुक्कुट विकास कार्यक्रम को 500 टन प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्षों तक डब्ल्यू एफ पी मक्का मिलती रहेगी। मार्च 1967 की अवधि में 2 लाख रुपए की रकम भी स्वीकार की गई थी और प्रशासन को उपलब्ध होने वाली विस्तार व अंडजनन सम्बन्धी सेवायें भी कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लायी जा रही हैं।

(ग) सरकार निम्नलिखित के माध्यम से भारत में कुक्कुट पालन उद्योग को सहायता प्रदान कर रही है : (1) सघन कुक्कुटपालन विकास परियोजनाओं की स्थापना करना, जहां पैकेज कार्यक्रम के रूप में कुक्कुट पालकों को सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगी; (2) कृषकों को अच्छी नस्ल के कुक्कुट उपलब्ध करने के लिए कुक्कुटपालन फार्मों की स्थापना करना; (3) अंडों के स्टोरों की स्थापना करके और उन्हें इन्स्यूलेटिड/रेफ्रीजरेटिड परिवहन से मिलाकर, वैज्ञानिक आधार पर कुक्कुट विपणन की व्यवस्था करना; (4) सन्तुलित कुक्कुट आहार की व्यवस्था करना; (5) रोग नियंत्रण उपाय करना; (6) विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना; और (7) ऋण सुविधायें प्रदान करना।

रोडेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में डाक टिकट

6967. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरण :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रोडेशिया सरकार द्वारा हाल ही में फाँसी पर चढ़ाये गये क्रान्तिकारियों की शहीदी के सम्मान में स्मृति-डाक टिकट जारी करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सस्ती दरों पर अनाज की सप्लाई

6968. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के निर्धन वर्गों के लोगों को सस्ती दरों पर अनाज सप्लाई करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 400 रुपये मासिक से कम आय वाले परिवारों को अनाज की सप्लाई पर राज-सहायता देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सरकार ने देश भर में उचित मूल्य/राशन की दुकानों का जाल बिछा रखा है जिनसे उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिये जाते हैं। इन दुकानों से दिये जाने वाले आयातित चावल और माइलो पर सरकार द्वारा राज-सहायता दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि सरकार पहले ही खाद्यान्नों के वितरण पर राज-सहायता दे रही है, इसलिए सरकार के लिए खाद्यान्नों के अपने स्टाक के वितरण पर और राज-सहायता देना सम्भव नहीं है और इससे राष्ट्रीय राज-कोष पर और भार पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रबी की भरपूर फसल की सम्भावनाओं को देखते हुए खाद्यान्न के बाजार भावों के उचित स्तरों पर स्थिर होने की सम्भावना है।

बीजों की सप्लाई

6969. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में कृषकों को कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों (गेहूं तथा चारा) के बीजों की सप्लाई की गई;

(ख) इनकी कितनी मात्रा ऋण के रूप में और कितनी मात्रा राज-सहायता के रूप में दी गई; और

(ग) क्या यह ऋण वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और उनसे प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डायरेक्ट-डायल व्यवस्था रहित स्थानों के लिए ट्रंक टेलीफोन काल

6970. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन दूरस्थ स्थानों को, जिनके लिए डायरेक्ट-डायल व्यवस्था नहीं है टेलीफोन करने में बहुत अधिक समय लगता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये विलम्ब अपर्याप्त तकनीकी जानकारी और वैयक्तिक अकुशलता के कारण होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) यह सच नहीं है कि ऐसे सभी स्थानों को जहां सीधी डायल-व्यवस्था नहीं है, ट्रंक काल करने में बहुत अधिक समय लगता है।

(ख) कालों में देरी कभी-कभी अपर्याप्त तकनीकी जानकारी और वैयक्तिक अकुशलता के कारण हो सकती है, लेकिन कुछ मार्गों पर अक्सर संयंत्र की अक्षमता के कारण होती है।

(ग) देश के सभी मार्गों पर, जिनमें सीधे डायलिंग और करचल दोनों ही शामिल हैं ट्रंक-कालों के निपटाने में देरी होने पर विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। विभाग की योजना के अनुसार और साधन उपलब्ध होने पर ऐसे मार्गों पर खुली तार वाहक प्रणालियों, सहधुरीय केबिल प्रणालियों और सूक्ष्मतरंग रिले प्रणालियों की स्थापना करके अतिरिक्त ट्रंक परिपथों की व्यवस्था की जाती है।

घेराव के बारे में संहिता बनाने के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन

6971. **श्री सीताराम केसरी**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले घेराव के बारे में विचार-विमर्श करने तथा तत्सम्बन्धी एक संहिता बनाने के लिये कार्मिक संघों, नियोजकों तथा सरकार का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) स्थायी श्रम समिति ने मई, 1967 में हुए अपने 26वें अधिवेशन में औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए घेरावों का निरन्नुमोदन किया है। इस प्रयोजन के लिए और त्रिपक्षीय बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्रीम निकाले हुए दूध का आयात

6972. **श्री प्रेमचन्द वर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना समेत देश की विभिन्न दुग्ध योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में क्रीम निकाले हुए दूध का 1968-69 में आयात किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाएगा तथा किन-किन देशों से तथा दिल्ली दुग्ध योजना के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या क्रीम निकाले हुए दूध के पाउडर के इस आयात से दिल्ली की दूध की मांग पूरी हो सकेगी और यदि नहीं, तो दिल्ली में दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों द्वारा विशेषकर कमी के मौसम में दुग्ध वितरण के क्रम को ठीक बनाये रखने के लिए 1968-69 में बड़ी मात्रा में क्रीम निकाले हुए दूध का पाउडर आयात करना पड़ेगा।

(ख) कुल आयात की जाने वाली मात्रा अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गई है। निम्न देशों से क्रीम निकाले हुए दूध के पाउडर की निम्न मात्रा आयात की जा रही है :

न्यूजीलैण्ड	1000 मीट्रिक टन
बलगेरिया	528.615 मीट्रिक टन

डेनमार्क से 3819.00 मीट्रिक टन क्रीम निकाले हुए दूध के पाउडर के आयात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त मात्रा के आयात के लिए बातचीत चल रही है। इन सबके अतिरिक्त, विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता के अन्तर्गत 1,396 मीट्रिक टन क्रीम निकाले हुए दूध के पाउडर की प्राप्ति की आशा है।

1968-69 में दिल्ली दुग्ध योजना को 3,200 मीट्रिक टन नियतन करने का विचार है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के लिए वर्तमान वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए यह दुग्ध पाउडर पर्याप्त होगा।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में दूध की गहन वसूली और उत्पादन में तीव्रता से दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

नेपाल को गेहूं की सप्लाई

6973. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1968-69 में नेपाल को गेहूं सप्लाई करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जायेगा तथा किस कीमत पर;

(ग) क्या गेहूं का निर्यात भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को किया जायेगा अथवा व्यापारियों के माध्यम से; और

(घ) नेपाल को 1967-68 में कितनी मात्रा में गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात किया गया तथा क्या इस बीच सप्लाई पूरी हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) भारत में गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार 67 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10,000 मीटरी टन।

(ग) सरकार से सरकार के स्तर पर।

(घ) 1967-68 में नेपाल को गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्नों का कोई निर्यात नहीं किया गया था। तथापि, 1967 में नेपाल सरकार को 450 मीटरी टन देसी गेहूं के बीज सप्लाई किये गये थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल में आटा मिलों को 609. मीटरी टन आयातित गेहूं, मैदा और आटा तैयार कर नेपाल सरकार को सप्लाई करने के लिए आवंटित किया गया था।

एर्णाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज

6974. **श्री श्रीधरन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक विलम्ब के कारण एर्णाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण में पांच वर्ष का विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है और प्रशासनिक विलम्ब के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) परिस्थितियों के विभाग के नियन्त्रण के बाहर होने के कारण कुछ अपरिहार्य देरी हो गई है। इस काम के लिए एक से अधिक बार टेंडर मंगाने पड़े हैं। इन कारणों से भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(i) उपलब्ध स्थान के अत्यधिक तंग होने और मौजूदा भवन के (जिसमें मौजूदा एक्सचेंज काम कर रही है) बहुत निकट होने से निर्माण-कार्य में रुकावट पड़ने के कारण; (ii) भूमि अच्छी न होने के कारण विशेष एजेंसियों द्वारा नीव संबंधी काम कराये जाने की आवश्यकता के कारण। नींव संबंधी काम के पूरा होने के बाद ही ऊपरी निर्माण-कार्य अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा कराया जाना था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पहले 1968 के मध्य तक इस एक्सचेंज के पूरा होने की संभावना थी। तथापि कुछ उपस्कर के प्राप्त होने में देरी के कारण और इसी प्रकार के उपस्कर के कार्य संबंधी हमारे अनुभव के आधार पर इसमें कुछ सुधार करने के कारण अब इस एक्सचेंज के 1968-69 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

केरल डाक व तार सर्किल में टेलीफोन

6975. **श्री श्रीधरन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में केरल डाक व तार सर्किल में नये टेलीफोन लगवाने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने नये टेलीफोन लगाये गये;

(ग) पारी से बाहर कितने टेलीफोन लगाये गये; और

(घ) पारी से वाहर टेलीफोन मंजूर करने में क्या सिद्धान्त अपनाये जाते हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 5,360

(ख) 3,202

(ग) 115

(घ) बिना वारी के टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी सीमित आधार पर जिन स्थानों में टेलीफोन सलाहकार समितियां काम कर रही हैं उनकी सिफारिशों पर और अन्य स्थानों में हर मामले में औचित्य के आधार पर की जाती है।

Production of Sugar-cane and Wheat

6976. **Shri O. P. Tyagi** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of sugar-cane and gur have been more favourable and encouraging for the farmers than the prices of wheat during this year ;

(b) if so, whether farmers are likely to attach more importance to sugar-cane than wheat-growing in the next year ; and

(c) if so, the steps taken by Government to maintain balance between both the crops according to the needs of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) This will depend on yields per hectare of the two crops and also yields from other crops which can be grown on the same land in a year.

(c) According to present indications, it is not likely that the balance between sugar-cane and wheat will be disturbed adversely to wheat.

Commemoration Stamps

6977. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue postage stamps in commemoration of the great revolutionaries like Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil and Ashfakullah ;

(b) if so, the names of revolutionaries in whose commemoration Government have decided to issue postage stamps ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). A proposal for issue of a stamp in honour of Bhagat Singh on an appropriate occasion is under consideration of Government.

Co-operative Farming

6978. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1612 on the 22nd February, 1968 and state :

(a) the extent of success achieved during the Third Five Year Plan over the Second Plan in co-operative farming with the introduction of changes based on a study of co-operative farming in Israel ; and

(b) if the success achieved fell short of expectation, the reasons therefor and further steps taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). The Study Team which visited Israel in 1959-1960 observed in their report that Israel's experience had not relevance to the question whether a peasantry which had so far cultivated land on individual proprietorship basis would agree to pool the land for joint management. Since the Second Five Year Plan co-operative farming in India necessarily involves pooling of land and joint management. The programme of pilot projects in the Third Five Year Plan was based on the recommendations of the Working Group set up by the Government of India. While formulating this programme the features of co-operative farming in Israel were taken into consideration, but no changes based on the experience in Israel were introduced. The extent of success of the pilot projects of co-operative farming was studied by a Committee of Direction (Gadgil Committee) set up by the Government of India. In its report submitted to Government in 1965 the Committee has observed that as a result of the pilot projects certain areas or clusters of potential growth have developed. In these areas the programme has demonstrated its capacity to step up production and create the potential for future development. In other areas, the programme is yet to develop.

कोचीन को डायरेक्ट टेलीफोन लाइन

6979. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ता संघ, पलाई (केरल) से कोचीन तक सीधी टेलीफोन लाइन लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां। पलाई के मीनाचिल टेलीफोन प्रयोक्ता संघ से 11 मार्च, 1968 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें पलाई से कोचीन तक सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

(ख) पलाई से कोचीन के लिए ट्रंक काल सामान्यत: कोट्टायम बहु-सम्बन्ध प्रचालक डायलिंग केन्द्र से डायल करने वाले प्रचालक द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे कोचीन स्वचल टेलीफोन केन्द्र के लिए लाइन की व्यवस्था की गई है। इन कालों को किसी प्रकार की अनावश्यक देरी के बिना ही निपटा दिया जाता है।

पलाई और कोचीन के बीच प्रति दिन औसत ट्रंक परियात 25 कालों का है जिसके लिए सीधे परिपथ का औचित्य नहीं है । पलाई-कोट्टायम-कोचीन के बीच और अधिक स्वचल लाइनों की व्यवस्था की जांच की जा रही है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाना

6980. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक कार्यक्रमों के प्रति कुछ राज्य सरकारों की अरुचि होने के कारण देश में सामुदायिक विकास परियोजनाएं समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में इन सामुदायिक परियोजनाओं की क्रियान्विति को गतिशील बनाने की योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख). संसाधनों की कमी और कार्यक्रम प्राथमिकताओं में हेर-फेर के कारण राज्य सरकारें राज्य योजना की उच्चतम सीमाओं के भीतर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सम्पूर्ण परिव्ययों को प्रायः पूरा करने में असमर्थ रही हैं । सामुदायिक विकास की भावी पहुंच से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ-साथ इस पर अभी राज्यों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

विदर्भ क्षेत्र में डाक तथा तार का विकास

6981. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विकास के सम्बन्ध में विदर्भ क्षेत्र की समस्याओं के बारे में 3 मार्च, 1968 को नागपुर में हुए सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रमुख नागरिकों में और अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों, के सम्मेलन द्वारा पारित किये गये संकल्प सरकार को प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य मागें क्या हैं ; और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तमिलनाद में बीज प्रक्षेत्र

6982. **श्री मयावन** :
श्री सुब्रावेलू :
श्री दण्डपाणि :
श्री कमलनाथन :
श्री चित्तिबाबू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाड में कोई बीज प्रक्षेत्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). बीज उत्पादन के लिये मद्रास राज्य में पुडु कौटाई के समीप कुडुमिया-मलाई वन क्षेत्र में एक सेन्ट्रल स्टेट फार्म स्थापित करने का एक प्रस्ताव था, किन्तु राज्य सरकार ने लिखा कि वे स्वयं उस क्षेत्र में एक फार्म स्थापित करेंगे। यह फार्म राज्य सरकार द्वारा पहले ही 1000 एकड़ के एक सुसम्बद्ध खण्ड में स्थापित कर दिया गया है। यह फार्म खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये है।

सीड फार्म्ज एण्ड स्टोर्स की स्थापना के लिये सन् 1968-69 के लिये स्टेट प्लान में 35 लाख रु० की व्यवस्था भी की गई है।

दक्षिण भारत में दालों की कमी

6983. **श्री मयावन :** **श्री सुब्रावेलू :**
श्री चित्ति बाबू : **श्री कमलनाथन् :**
श्री दीवीकन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों में दालों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति में सुधार करने के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में दालों के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने का है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के खाद्य मन्त्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार के असहायक रवैये की आलोचना की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दक्षिणी राज्यों में चने (जिसको वहां दाल ही माना जाता है) और अन्य दालों की सामान्यतः कमी है।

(ख) बिहार से चने के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को छोड़कर, दालों के संचलन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। देश भर में 28 मार्च, 1968 से चने के संचलन पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं।

(ग) मद्रास सरकार को इस बारे में लिखा जा चुका है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

डाक तथा तार विभाग में सेलेक्शन ग्रेड के पद

6984. **श्री मयावन :** **श्री दीवीकन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री नारायणन :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1963 से 31 दिसम्बर, 1966 की अवधि में डाक तथा तार विभाग

के सेलेक्शन ग्रेड के कुल पदों में से कितने पद एक-तिहाई सेलेक्शन के लिये नियत किये गये ;

(ख) उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों में से कितने अधिकारियों को एक-तिहाई सेलेक्शन पदों पर डाक तथा तार विभाग द्वारा नियुक्त किया गया ;

(ग) उक्त अवधि में कितने पदों पर अन्य जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ;

(घ) क्या कुछ समाज कल्याण संगठनों तथा दलित वर्ग लीग ने डाक तथा तार विभाग के कुल पदों में से एक-तिहाई पद सेलेक्शन से भरे जाने के आदेशों पर अमल करने के लिये उनके विभाग को अभ्यावेदन किया था ; और

(ङ) ऐसे अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

Rest Rooms for Employees of Telephone Exchanges

6985. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director-General of Posts and Telegraphs has issued orders for providing rest rooms for the employees working in all Telephone Exchanges ;

(b) if so, the names of the Telephone Exchanges in Bihar where rest rooms have been provided and also of those where such arrangements could not be made with the reasons thereof ; and

(c) the time likely to be taken in providing rest rooms in those Exchanges ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Orders exist for the provision of retiring rooms in all large size telephone exchanges where staff come on or go off duty after or near about midnight.

(b) (i) Retiring rooms have been provided in Telephone Exchanges at the following places :—

Patna, Gaya, Dalmianagar, Dhanbad, Ranchi, Jamshedpur, Daltonganj, Bihar-Shariff, Buxar, Bhagalpur, Sahibganj, Chapra, Darbhanga, Laheriasarai, Katihar, Muzaffarpur, Samastipur, Forbesganj, Purnea and Siwan.

(ii) Retiring rooms could not be provided in Telephone Exchanges at the following places due to non-availability of accommodation :—

Hazaribagh, Chaibasa, Jhumri-Talaiya, Sasaram, Deoghar, Giridih and Ramgarh.

(iii) The rest of the Telephone Exchanges in Bihar are small and provision of retiring room is not necessary.

(c) Retiring rooms will be provided within one year at Hazaribagh; Chaibasa, Jhumri-Talaiya, Sasaram and Deoghar Telephone Exchanges. At Giridih retiring room will be provided when the new departmental building is constructed and at Ramgarh as soon as additional accommodation in a rented building is arranged.

Telephone Connections in Madhya Pradesh

6986. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone connections provided in Ujjain, Indore, Dhar, Dewas and Shajapur Districts of Madhya Pradesh during 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the number of applications received by Government in the said Districts for the installation of telephone connections ; and

(c) the number of applications still pending ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a)

Ujjain	337
Indore	241
Dhar	64
Dewas	80
Shajapur	40

(b) The total number of applications received during the above two years has been :

Ujjain	365
Indore	1,244
Dhar	64
Dewas	80
Shajapur	45

(c) Latest position regarding waiting list in these Districts is as under :—

Ujjain	100
Indore	5,349
Dhar	6
Dewas	18
Shajapur	4

Telephone Connections in M. P.

6987. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephones functioning in Ujjain, Indore and Dewas Districts of Madhya Pradesh at present ;

(b) the number of telephones functioning with private parties and those functioning in Government premises out of them ; and

(c) the number of telephone connections provided in the said Districts during the last two years ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a)

Ujjain	1,086
Indore	3,589
Dewas	214

	Private parties		Government Premises
(b)	Ujjain	913	173
	Indore	3110	479
	Dewas	180	34
(c)	Ujjain	245	
	Indore	160	
	Dewas	65	

The above figures are for years 1966-67 and 1967-68.

Rationing Zones in Delhi

6988. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of Rationing Zones into which Delhi city has been divided;

(b) the number of employees working in each zone; and

(c) the number of Gazetted and non-Gazetted employees among them separately?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Since April, 1968, Rationing Zones in Delhi have been abolished and the entire city now constitutes a single zone.

(b) and (c). The total number of employees is 775 comprising 27 Gazetted Officers and 748 non-Gazetted employees.

Special Quota of Sugar for Doctors in Delhi

6989. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are considering any scheme to provide special quota of sugar to private doctors of Delhi, for preparing medicines; and

(b) if so, the minimum and the maximum quota of sugar to be provided and when?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Telephone Connections at Residences of Gazetted Officers

6990. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telephone connections have been installed by Government at the residences of Gazetted Officers in the capital;

(b) if so, the amount of telephone charges paid in respect of those telephones during 1966, 1967 and 1968 respectively;

(c) the number of local calls and trunk calls allowed to an Officer per day;

(d) whether Government have imposed or propose to impose restrictions on private calls at the residences of the said officers ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes ; but not at the residences of all Gazetted Officers.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha after compilation.

(c) to (e). There is no restriction on the number of trunk calls made in connection with official work. As for local calls, there was no restriction till 8-9-1967 when orders were issued imposing a ceiling of 1,500 calls per quarter (excluding the free calls allowed by the P and T Department) beyond which officers have to pay for the charges. A ceiling of 2,000 calls per quarter (excluding the free calls) has however, been fixed in the case of officers of the P and T Department due to operational necessity.

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार

6991. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना का एक निर्देशक सिद्धान्त उस क्षेत्र के वर्तमान और भावी निवासियों के हित की दृष्टि से उस क्षेत्र का समुचित विकास करना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस उद्देश्य को पूरा करने में मुख्य बाधा तथा उस परियोजना की धीमी और कम प्रगति का मुख्य कारण दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का अव्यवहारिक प्रशासनिक ढांचा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वास्तविक शक्तियां सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों के हाथों में हैं जिसके फलस्वरूप दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की शक्तियां तदनुसार कम हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकारों से शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन कराने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रत्यनों में अपेक्षित सफलता मिली है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये दण्डकारण्य में एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (घ). पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को दण्डकारण्य में बसाने और उस क्षेत्र के आदिम जातियों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र का विकास करने के लिये दण्डकारण्य विकास योजना बनाई गई थी। केन्द्रीय सरकार ने एक दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये स्थापित किया था जिसमें केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर दो सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधि थे।

यह प्राधिकरण सर्वेक्षण करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है, सड़क बनाता है, सिंचाई योजनाएं बनाता है और विस्थापितों के गांव बसाता है तथा वहां स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था करता है। आवश्यक प्रशासनिक समन्वय तथा प्राधिकरण के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये अपेक्षित प्रशासनिक आदेश सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं।

कुछ मामलों में तत्सम्बद्ध कानूनों—भूमि अर्जन अधिनियम और सिंचाई अधिनियम के अधीन राज्यकीय अधिकारी भी कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राज्य अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किया जाता है और जहां भी आवश्यक होता है, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को शक्तियों के दिये जाने या छूट के प्रश्न राज्य सरकार के परामर्श से हल किये जाते हैं। सामान्यरूप से यह व्यवस्था संतोषजनक रही है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ केन्द्र

6992. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 के अन्त में मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड तथा होशंगाबाद जिलों में रोजगार दिलाऊ केन्द्र के माध्यम से कितने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों ने रोजगार मांगा ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति स्नातक थे तथा कितने स्नातकोत्तर ;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के थे ; और

(घ) इन शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी पिछले पृष्ठ पर दिए विवरण में है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-840/68]

(घ) मध्य प्रदेश शासन और केन्द्र की योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा आशा है बेरोजगार लोगों को, जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे।

मध्य प्रदेश में कमी वाले क्षेत्र

6993. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सलाहकार परिषद ने यह आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में

आदिवासी क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में सहायता कार्य पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सहायता कार्यों के लिये 1967-68 में कितनी सहायता दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आदिवासी सलाहकार परिषद ने अप्रैल, 1967 में यह शिकायत की थी कि मध्य प्रदेश में कमी से प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में किये गये सहायता कार्य अपर्याप्त थे। बाद में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सहायता कार्य शुरू किये थे। स्थिति में सुधार होने से नवम्बर, 1967 के अन्त तक धीरे-धीरे सहायता कार्य बन्द कर दिये गये थे। भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिससे यह विदित हो सके कि उस राज्य में फिर से कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

(ख) वित्त मंत्रालय ने सहायता कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में और 8 करोड़ रुपए ऋण के रूप में मंजूर किए थे, जबकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने कुल मिलाकर 48.92 करोड़ के बीज, उर्वरक और कीटनाशक औषधियों जैसे कृषि आदान (इनपुट) खरीदने के लिये अल्पकालीन ऋण मन्जूर किए थे। राज्य सरकार को निम्नलिखित उपहार वस्तुएं मुफ्त वितरण के लिये भी आंवटित की गयी थीं :

दुग्ध चूर्ण	853.45	मीटरी टन
गेहूं	5,500	,, ,,
जौ	750	,, ,,
मक्का	4,000	,, ,,
सेम	100	,, ,,
सूखे आलू	20,000	पाउंड
किशमिश	18.5	मीटरी टन

सहायता कार्यों में उपयोग के लिये राज्य सरकार को एक ट्रक भी आंवटित किया गया था।

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

6994. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ केन्द्रों में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवार अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के थे ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति तकनीकी अर्हता प्राप्त थे ; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाऊ केन्द्रों के माध्यम से रोजगार दिलाया गया और तकनीकी अर्हता प्राप्त तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) से (घ). उपलब्ध जानकारी नीचे लिखे अनुसार है :

प्रार्थियों की श्रेणी	जनवरी-दिसम्बर 1966 के बीच नाम दर्ज कराने वाले	जनवरी-दिसम्बर 1966 के बीच नियुक्ति सहायता पाने वाले
1	2	3
1. शिक्षित बेरोजगार (मैट्रिक और अधिक)	1,09,066	15,050
2. सभी श्रेणी के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार (जिनमें अशिक्षित भी हैं)	28,709	3,865
3. सभी श्रेणी के अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार (जिनमें अशिक्षित भी हैं)	14,067	2,352
4. तकनीकी शिक्षा रखने वाले	उपलब्ध नहीं हैं	4,817

नोट :—1. वर्ष में दो बार जून और दिसम्बर में शिक्षित बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं।

2. नियोजन कार्यालयों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के शिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों और तकनीकी योग्यता रखने वालों के बारे में आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते।

मध्य प्रदेश में किसानों को दीर्घकालिक ऋण

6995. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि कार्यों के लिये 1967-68 में मध्य प्रदेश में किसानों को दीर्घकालिक ऋणों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने इस अवधि में किसानों को ऋण दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1967-68 की अवधि में मध्य प्रदेश के कृषकों को मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव लैंड डिवलपमेंट बैंक लिमिटेड के डिबैंचरों के माध्यम से दीर्घकालीन अग्रिम ऋण उपलब्ध करने के लिए 250 लाख रुपए इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम है।

(ख) डिबैंचर फ्लेटिंग कार्यक्रम में व्यापारिक बैंकों का अंशदान 49.48 लाख रुपए होने की सम्भावना है। परन्तु व्यापारिकी बैंकों द्वारा कृषकों को प्रत्यक्ष दीर्घकालीन ऋण दिये जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि डिबैंचर फ्लेटिंग कार्यक्रम को कितने बैंक सहायता प्रदान कर रहे हैं और कितने कृषक ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

दण्डकारण्य परियोजना

6996. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास एक से अधिक चरणों में करने का विचार था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास का पहला चरण पूरा हो चुका है तथा अगले चरण अथवा चरणों के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) ऐसे विकास के नये चरणों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा पेश किए गए संलग्न क्षेत्रों को परियोजना क्षेत्र में शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) दण्डकारण्य विकास योजना 1958 में इस उद्देश्य से तैयार की गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को वहां बसाया जाये उस क्षेत्र का समेकित विकास किया जाए साथ ही वहां के आदिवासियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाये।

योजना का प्रथम चरण जिसकी लागत 17.70 करोड़ रुपए आंकी गई थी, और जिसमें मार्च, 1961 तक 12000 परिवारों (7000 किसान परिवार और 5000 गैर-किसान परिवार को लाया जाना और उन्हें बसाया जाना सम्मिलित था, को 1959 में अनुमोदन स्वीकृति प्राप्ति हो गई थी। तथापि कई कारणों से कार्यक्रम की क्रियान्विति में विलम्ब हुआ और 2118 परिवार मार्च, 1961 को समाप्त होने वाली अवधि में पुनः बसाया गया। इसके पश्चात् पुनर्वास का कार्य आगे चला और जनवरी 1968 तक 10,913 परिवार बसाए गये।

(ख) और (ग). दण्डकारण्य विकास योजना की क्रियान्विति तो निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है । विकास के अतिरिक्त कामों की योजना आवश्यकतानुसार तथा उपलब्ध संसाधनों की सीमा में रहते हुए समय-समय पर तैयार की जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दण्डकारण्य परियोजना

6997. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों के राहत देने तथा उन्हें बचाने के लिये समस्त दण्डकारण्य परियोजना पर अब तक सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) उस प्रदेश की आदिवासी जनता के पुनर्वास पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) परियोजना क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ किये गये वर्तमान समझौते के अन्तर्गत केन्द्रीय विनियोजित पूंजी पर कोई लाभ प्राप्त करने का कोई उपबन्ध या गुंजाइश है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 31 दिसम्बर, 1967 तक 14.99 करोड़ रुपये ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक 4.31 करोड़ रुपए ।

(ग) सामान्य विकास पर दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 6.50 करोड़ रुपये ।

(घ) निम्नलिखित प्रस्ताव किये गये हैं :

(एक) जिन सड़कों के निर्माण / मरम्मत का काम दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया था, उन पर काम पूरा हो जाने के पश्चात उन्हें राज्य सरकारों को बिना उनकी लागत लिये दे दिया जाये ।

(दो) उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्मित अस्पतालों, स्कूलों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के स्थायी भवनों को बिना लागत लिये राज्य सरकारों को दे दिये जायें यदि राज्य सरकारें इन सेवाओं को राज्यकीय योजनाओं के रूप में चलाना चाहें ।

(तीन) उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्मित परियोजना के भवन, जैसे प्रशासनिक खण्ड और आवासीय क्वार्टर, राज्य सरकार को दे दिये जायें यदि वे उनकी लागत देने को तैयार हों ।

उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्मित सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तांतरण करने के लिये शर्तों का निर्धारण सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से किया जा रहा है।

Land for Scheduled Castes Landless Persons

6998. S I **Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme for providing land to the landless persons belonging to the scheduled castes for their own cultivation is under consideration of Government;

(b) if so, when the said scheme will be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Schemes for allotment of culturable wastelands are already being implemented both under the Centrally sponsored programme and the State Plans for the resettlement of landless agricultural labourers including those belonging to Scheduled Castes.

(b) and (c). Does not arise.

तेलों के बीजों का उत्पादन

6999. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न किस्मों के तेल के बीजों का गत पांच वर्षों में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में तेल के बीज उगाना बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले 5 वर्षों में देश में मूंगफली, अरण्डी, तिल, राई व अलसी आदि 5 प्रमुख तिलहनों का कुल उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	**उत्पादन '000 मीटरी टनों में'**
1962-63	7,388
1963-64	7,133
1964-65	8,458
1965-66	6,346
1966-67	6,489

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विकास निगम

7000. **श्री रा० बरुआ :**

श्री को० सूर्यनारायण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने भारत में कृषि विकास निगम स्थापित करने के लिये 50 करोड़ रुपये की सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कहां तक क्रियान्वित की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, किन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और मैसूर के राज्यों में सुनिश्चित सिंचाई के साथ कुछ क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिये फोर्ड फाउन्डेशन की सलाह से एक कृषि विकास निगमों की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य तथा केन्द्र द्वारा वहन किये जाने वाले धन की ठीक-ठीक आवश्यकताओं का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अहमदाबाद नगर में टेलीफोन

7001. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री द० रा० परमार :

श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में टेलीफोन विभाग के द्वारा अहमदाबाद नगर में टेलीफोन लगवाने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये ;

(ख) वर्षवार कितने टेलीफोनों की मंजूरी दी गई और कितने टेलीफोन दिये गये ;

(ग) क्या ये प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और यदि हां, तो वर्षवार इनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) टेलीफोन मांगने वाले आवेदकों द्वारा विभाग में कितनी धनराशि जमा की गई ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क)	1964-65	1054
	1965-66	1169
	1966-67	2061
(ख)	1964-65	755
	1965-66	1528
	1966-67	331

(ग) प्रत्येक वर्ष के अन्त में तीन वर्ष से अधिक के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

1964-65	537
1965-66	2436
1966-67	4643

(घ) ऐसे कोई मामले अनिर्णीत नहीं पड़े जिनमें रकम जमा करा दी गई हो और अभी तक टेलीफोन कनेक्शन न दिये गये हों ।

मेहसाना जिले के गावों में टेलीफोन लाइनें

7002. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में मेहसाना जिले के कौन-कौन से गांवों ने पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, टेलीफोन एक्सचेंजों से टेलीफोन लाइनों के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) इस अवधि में वर्ष-वार कौन-कौन से गांवों में टेलीफोन लाइनें लगा दी गयी हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मेहसाना जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान टेलीफोन लाइनों के लिये अनुरोध करने वाले गांवों की संख्या इस प्रकार है :

1963	2
1964	16
1965	32
1966	59
1967	55
कुल जोड़...	164

इनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-** 841/68]

(ख) ऐसे गांवों के नाम जिनमें टेलीफोन लाइनें लगा दी गई हैं, वर्षवार नीचे दिये गये हैं :

नाम	वर्ष
1. निजामपुरा	1965
2. लंघनाज	1966
3. उनावा बावला	1966
4. वावाल	,,
5. यूसुफपुर	,,
6. वालाना	,,
7. सेरठा	,,
8. हरसिद्धपुरा	1967
9. लिम्बोदरा	,,
10. अमरपुरा	,,
11. मालेकपुरा	,,
12. काहीपुर	,,
13. सांघ	,,
14. कंसार	,,

अहमदाबाद के लिये टेलीफोन निर्देशिका

7003. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से अहमदाबाद नगर की टेलीफोन निर्देशिका को न तो पुनरीक्षित किया गया है और न ही इसको प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक पुनरीक्षित तथा प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। गत दो वर्षों के दौरान अहमदाबाद नगर की टेलीफोन निर्देशिका संशोधित करके जून, 1966 और अप्रैल, 1967 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरों के टेलीफोन एक्सचेंजों से गांवों को टेलीफोन कनेक्शन

7004. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों से गांवों को टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में कोई निदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). ऐसे गांवों में जो शहरों से प्रमापित दर प्रणाली की स्थिति में 6 किलोमीटर की दूरी में और सामान्य दर प्रणाली की स्थिति में 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित हैं, सामान्यरूप से टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाते हैं। दूरी की इस सीमा के बाद पड़ने वाले गांवों में अतिरिक्त शुल्क लेकर कनेक्शन दे दिये जाते हैं बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से ऐसी व्यवस्था करना संभव हो। यदि कनेक्शन देने की मूल लागत ऊंची बैठती है तो ऐसे टेलीफोनों की व्यवस्था किराया और गारंटी की शर्तों पर कर दी जाती है। ये शर्तें मूल-लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थान में सामान्यतः टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाता है जहां ऐसी व्यवस्था को कार्यान्वित करना लाभदायक हो। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के शीघ्र विस्तार की दृष्टि से एक ऐसी नीति तैयार की गई है जिसके अनुसार कुछ विशेष श्रेणी के स्थानों में घाटे पर भी टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में शर्त यह है कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान होने वाले घाटे की रकम 40 लाख रुपये से अधिक न हो 5 वर्ष की यह अवधि 1 अप्रैल, 1966 से शुरू होगी। स्थानों की श्रेणियां इस प्रकार हैं :

(i) जिला और उप-मण्डल मुख्यालय कस्बे।

(ii) तहसील तथा तत्सम्बन्धी मुख्यालय कस्बे।

(iii) उप-तहसीलें।

(iv) 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में तथा शहरी क्षेत्रों की स्थिति में 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में।

(v) दूरस्थ बस्तियां—100 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने हैं : ये स्थान निकटतम टेलीफोन केन्द्र से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान होंगे।

(vi) (क) तीर्थ-स्थानों सहित पर्यटन केन्द्र ।

(ख) कृषि तथा सिंचाई प्रायोजनास्थल व टाउनशिप श्रेणी vi के अधीन सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

और सभी स्थानों में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था गारंटी के आधार पर ही की जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करना स्वीकार कर ले ।

कमी वाले क्षेत्र

7005. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में कमी वाले क्षेत्रों के लिये विदेशों से सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से अब तक कितनी सहायता के प्रस्ताव आये और कितनी सहायता प्राप्त की गई ;

(ख) यह सहायता किस रूप में प्राप्त हुई है ; और

(ग) इसमें से पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 में देश में व्याप्त कमी से राहत के लिये भारत सरकार द्वारा विदेशों से प्राप्त सहायता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-842/68]

(ग) उपहारों में प्राप्त वस्तुओं में खाद्यान्न की काफी मात्रा भी शामिल थी जिसे केन्द्रीय पूल में ही रखा गया था । सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को उनकी आवश्यकतानुसार मुफ्त वितरण के लिए खाद्यान्य आवंटित किये गये थे ।

वर्ष 1967-68 में उपहार में प्राप्त निम्नलिखित वस्तुओं को पश्चिम बंगाल सरकार को मुफ्त वितरण के लिए आवंटित किया गया था :

वस्तुएं	आवंटित मात्रा
1. दुग्ध चूर्ण	1,157.735 मीटरी टन 99 कार्टन्स
2. गेहूं	5,000.000 ,, ,,
3. जौ	3,000.000 ,, ,,
4. मकई	8,094.000 ,, ,,
5. सूखे आलू	9,470 पौंड

गन्ने के साथ प्याज उगाना

7006. **श्री वेदब्रत बरुआ** :

श्री रा० रा० सिंह देव :

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव के एक किसान ने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

में वैज्ञानिकों को हाल में यह बताया था कि यदि एक ही खेत में गन्ने के साथ प्याज उगाया जाये तो दोनों फसलें कीड़ों मकोड़ों से खराब नहीं हो सकतीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नये प्रयोग को अजमाया है ; और

(ग) यदि हां तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) . (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में 20 से 23 मार्च, 1968 तक हुये पूसा कृषि विज्ञान मेले में आने वाले एक व्यक्ति ने प्रश्न में दिया गया दावा किया था।

(ख) इस प्रकार अन्ततः फसल उगाने और कीटों व रोगों पर इसका प्रभाव जानने के लिये कोई परीक्षण नहीं किये गये हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इस कृषक के सुझाव के बारे में जांच कर रहे हैं।

पशुओं की नसल सुधारने सम्बन्धी योजना

7007. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो करोड़ रुपये की परियोजना के अन्तर्गत देश में पशुओं की नसल सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पांच वर्ष की अवधि के दौरान 1.87 करोड़ रुपये की लागत पर केन्द्रीय पशु-धन अनुसन्धान एवं प्रजनन केन्द्र, हरिनघटा, जिला नन्दिया, पश्चिम बंगाल में एक परियोजना शुरू की गई है।

(ख) परियोजना अभी (27-12-67) से शुरू की गई है।

वन अनुसंधान संस्था, देहरादून

7008. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने वनों के विकास के लिये वन अनुसंधान

संस्था, देहरादून के लिये 3.25 लाख रुपये मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अमेरीकी सरकार ने वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून में 5 वर्षों के लिये "इन्वेस्टीगेशन औन माइकोरिहिजा इण्डियन फारेस्ट ट्रीज" नामक योजना पर अनुसन्धान करने हेतु पी० एल० 480 निधि से 325,952 रुपये की सहायता देने की एक योजना को स्वीकार कर लिया है।

आस्ट्रेलिया से पशु

7009. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से लगभग 600 पशुओं के आने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पशुओं के कब तक आने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) (1) 150 विदेशी पशुओं की प्रथम सुपुर्दगी मद्रास में 27.2.1968 को प्राप्त हुई।

(2) 150 विदेशी पशुओं की द्वितीय सुपुर्दगी सम्भवतः अक्तूबर/नवम्बर 1968 में किसी समय भारत में पहुंचेगी।

(3) शेष 300 विदेशी पशु सम्भवतः वर्ष 1969-70 के दौरान प्राप्त हो जाएंगे।

Purchase of Foodgrains in Open Market

7010. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to purchase foodgrains from the open market ; and

(b) if so, the names of places in various States at which centres are being set up for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Apart from the various systems of levy under which procurement is being made by the Government foodgrains are also procured from the open market.

(b)* Centres have been opened by the F. C. I. in various States in addition to the Centres set up by the different State Governments. However, the information relating to the names of these Centres is not readily available and has to be callected from the F. C. I. and the State Governments. Even after the information is compiled, it will be very bulky and it is submitted that the time and labour spent may not be commensurate with the result sought to be achieved.

अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन

7011. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 7 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के प्रस्तावित विभाजन के साथ-साथ वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में चले जाने का विकल्प देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख). जैसाकि 7 मार्च, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न नं० 3149 के उत्तर में बतलाया गया था सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय किया जा चुका है कि अखिल भारतीय मिट्टी व भूमि उपयोग सर्वेक्षण का ऐसा कार्य जिसका सम्बन्ध देश की मिट्टी के वर्गीकरण, सह-सम्बन्ध व मिट्टी के मानचित्र की तैयारी विषयक अनुसन्धान से है, भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों के अनुपात सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंप दिया जाएगा। कर्मचारियों के वास्तविक विभाजन तथा अखिल भारतीय मिट्टी व भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को बदले गये कर्मचारियों की शर्तों के बारे में निर्णय करने के प्रश्न विचाराधीन हैं।

राजनिष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान

7012. **श्री दामानी** :
श्री रविराय :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग ने संसद् या राज्य विधान मण्डल के लिये अपने निर्वाचन पर उम्मीदवार द्वारा राजनिष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने सम्बन्धी अनुदेशों को पुनरीक्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में पुनरीक्षित अनुदेश क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने प्रारम्भ में तारीख 2 जनवरी, 1965 को अपनी अधिसूचनाओं द्वारा रिटर्निंग आफिसरों, सहायक रिटर्निंग आफिसरों, कारागार के अधीक्षक या निरोध शिविर के समादेशक को, जिसमें अभ्यर्थी परिरुद्ध है, ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत किया था जिनके समक्ष अभ्यर्थी राजनिष्ठा की शपथ ले सकता है या प्रातिज्ञान कर सकता है तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। फरवरी, 1967 में हुये गत साधारण निर्वाचनों के समय कुछ प्रत्याशी अभ्यर्थी, जो बीमार और शय्याग्रस्त थे, उपरोक्त प्राधिकृत आफिसरों के समक्ष शपथ नहीं ले सके। अत: 25 अप्रैल, 1967 को आयोग ने अपनी पूर्वतर अधिसूचना को पुनरीक्षित किया और ऐसे अभ्यार्थियों के बारे में जो बीमारी के कारण अस्पताल में या अन्यत्र शय्याग्रस्त हैं, अस्पताल के भारसाधक चिकित्सक अधीक्षक और चिकित्सा-व्यवसायियों को, ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत किया जिनके समक्ष ऐसे अभ्यर्थी शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं तथा उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चूंकि यह भी महसूस किया गया कि ऐसी अन्य आकस्मिकताएं भी हो सकती हैं जिनमें अभ्यर्थी शपथ लेने और उस पर हस्ताक्षर करने के प्रयोजन के लिये रिटर्निंग आफिसरों या सहायक रिटर्निंग आफिसरों के समक्ष उपसंजात होने में विधिमान्य कारणवश असमर्थ हैं या उपसंजात होने से निवारित हो जाता है, अतः आयोग ने यह सोचा कि सभी सम्भव आकस्मिकताओं को इसकी परिधि में लाने के लिये यह आवश्यक है कि अधिसूचना और अधिक व्यापक हो। तदनुसार आयोग ने पिछली अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए 18 मार्च, 1968 को एक पुनरीक्षित अधिसूचना जारी की थी।

(ग) इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचनाओं में से हरएक की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-843/68]

लामफेलपत (मनीपुर) में भूमि का कृष्यकरण

7013. **श्री निहाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लामफेलपत क्षेत्र में भूमि के कृष्यकरण के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-844/68]

इंडियन ला रिपोर्ट्स

7014. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ला रिपोर्ट्स का पुनरीक्षण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर तथा त्रिपुरा में खाद्यान्न की वसूली

7015. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर तथा त्रिपुरा सरकारों द्वारा 31 मार्च, 1968 तक कितने खाद्यान्न की वसूली की गई है;

(ख) वसूली के लक्ष्य में कितनी कमी रही; और

(ग) लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मणिपुर में 31 मार्च, 1968 तक लगभग 4,400 मीटरी टन धान अधिप्राप्त की गई थी । त्रिपुरा के आंकड़े केवल 23 मार्च, 1968 तक के उपलब्ध हैं और उस तारीख तक लगभग 2200 मीटरी टन धान अधिप्राप्त की गयी थी ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित खरीफ की अधिप्राप्ति तथ्यों में मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं सुझाये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इम्फाल से मनीपुर के बीच तार संचार

7016. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल से मनीपुर के बाहर के स्थानों को तार भेजने में बहुत समय लगता है और वास्तव में डीमापुर, मनीपुर रोड को, जो इम्फाल से केवल 133 मील दूर है, तार भेजने में लगभग एक सप्ताह लग जाता है; और

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस लाइन को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इम्फाल के लिए और वहां से तार भेजने में अधिक से अधिक लगभग 20 घंटे की देरी के मामले सामने आए हैं।

(ख) ऊपर उल्लिखित देरी परिपथों में रुकावट के कारण होती है।

(ग) इम्फाल से गोहाटी के लिए चौबीसों घंटे चालू रहने वाली रेडियो टेलीप्रिंटर सेवा को विस्तार देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इम्फाल और दीमापुर के बीच एक सीधी तार लाइन की व्यवस्था भी की जा रही है। इम्फाल को सूक्ष्मतरंग रिले प्रणाली से राष्ट्रीय ट्रंक जाल से जोड़ने के लिए प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

टेलीफोन विभाग के लाइनमैन तथा मैकेनिक

7017. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री अजमल खां :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग में बहुत से लाइनमैन तथा मैकेनिक दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) दैनिक मजूरी के आधार पर काम करने वालों की मजूरी कितनी है और नियमित आधार पर काम करने वालों की मजूरी कितनी है; और

(घ) क्या ऐसा वित्त मंत्रालय की पूर्वानुमति से किया जाता है अथवा विभाग अपनी मर्जी से ऐसा करता है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। लाइनमैन और मैकेनिकों की भरती निर्दिष्ट नियमों के अनुसार नियमित वेतनमानों में की जाती है।

(ख) चूंकि इन संवर्गों में कोई दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी नहीं हैं, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाइनमैन और मैकेनिकों के वेतनमान इस प्रकार हैं :

लाइनमैन–75–1–85–द० अ०–2–95 रुपये।

मैकेनिक–110–4–150–5–175–द० अ०–6–205–द० अ०–240 रुपये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूमानिया से ट्रैक्टरों का आयात

7018. **श्री लखन लाल गुप्त : श्री अ० सि० सहगल :**
श्री मणिमाई जे० पटेल : श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानियां से ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). रूमानिया के व्यापार प्रतिनिधि ने 45-65 अश्वशक्ति के ट्रैक्टरों के आयात का सुझाव दिया है । इतनी शक्ति के ट्रैक्टरों की देसी क्षमता तथा विभिन्न प्रकार के माडलों के आयात करने से उनके रखरखाव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

श्रमिक डिपो, गोरखपुर

7019. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक डिपो, गोरखपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों में भारत में कोयला खानों को कितने श्रमिक उपलब्ध कराये गए;

(ख) क्या इन श्रमिकों को स्थायी कर दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) :

(क)	वर्ष	खानों को भेजे गए श्रमिकों की संख्या
	1965	8,813
	1966	10,024
	1967	9,776

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कोयला खानों द्वारा लाभांश बोनस का भुगतान

7020. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कोयला खानों ने वर्ष 1965 के लिये लाभांश बोनस नहीं दिया है;

(ख) दोषी नियोजकों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) उन 159 कोयला खानों के नाम जिन्होंने 29 फरवरी, 1968 तक, लेखा वर्ष 1965 के लिए लाभांश बोनस की अदायगी नहीं की, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-845/68]

(ख) सभी दोषी नियोजकों को कारण बताओ नोटिस दिये गये कि वे यह बतायें कि बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। 11 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये गये हैं और अभियोजन चलाने के 62 प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जिन 11 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये गये थे, उनमें अब तक एक का दोष प्रमाणित किया गया है।

राज्यों में राशनिंग व्यवस्था में ढील

7021. **श्री म० ला० सोंधी** :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार देश में राशनिंग व्यवस्था में ढील देने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे). (क) और (ख). सरकार की इस मामले में पहुंच व्यावहारिक है। कुछ राज्यों में कुछेक पहले ही ढीलें दी गयीं हैं उदाहरणार्थ दिल्ली, कानपुर, सिलीगुड़ी और हैदराबाद/सिकंदराबाद में सांविधिक राशन व्यवस्था अनौपचारिक राशन व्यवस्था में बदल दी गयी है।

Radio Sets without Licences

7022. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of persons using radio sets without obtaining licences against whom action has been taken during the last two years ;

(b) the number of radio sets which have been detected being used without licences during the above period ;

(c) the amount credited to Government as a result of penalty imposed in this connection ; and

(d) the number of persons who were prosecuted in this connection during the above period ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) In the two-year period ended 31st December, 1967 action has been taken in respect of 2,31,196 unlicensed radio sets. The number of persons covered by the said number of sets is not readily known.

(b) 2,35,045.

(c) Rs. 26,15,982.00

(d) 9,733.

Procurement Price of Wheat

7023. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the procurement price of wheat fixed by Government for the current year is less than 50 per cent of the price of seeds charged by the State Government from the farmers to their detriment ; and

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to State Governments to procure foodgrains from the farmers for purposes of seed at the same rates at which the seeds were sold to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Price of seeds is naturally higher than the price of foodgrains, since extra expenditure has to be incurred on roguing, processing, grading, technical supervision, etc., etc. The price of wheat seeds is generally 25 per cent above the grain price. In case of exotic and newly evolved varieties, the price of seeds in the first year or so, can, however, be higher.

(b) No, Sir.

काम दिलाऊ दफ्तर, मनीपुर

7024. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मनीपुर के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये;

(ख) पंजी में दर्ज व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के थे;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी दफ्तर रिक्त पद की अधिसूचना कम देते हैं और काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों का इन्टरव्यू करने के पश्चात् भी उनकी नियुक्ति नहीं करते; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क)

1966	...	7,459
1967	...	8,037

(क) 31-12-1967 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नीचे लिखे अनुसार उम्मीदवार दर्ज थे :

(एक) अनुसूचित जाति — 33

(दो) अनुसूचित आदिम जाति 1349

(ग) 1966 275

1967 ... 203

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली में राशन की दुकानों में आयातित गेहूं

7025. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन की दुकानों से आयातित गेहूं को वापिस ले लेने के लिये भारतीय खाद्य निगम को आदेश दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) राशन की दुकानों से कितना आयातित गेहूं वापिस लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) राशन की दुकानों से वापिस लिये जाने वाले गेहूं का क्या उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम से राशन की दुकानों से आयातित गेहूं का स्टाक वापस लेने के लिये नहीं कहा गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Complaints Against Ration Dealer, Bulandshahr

7026. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints in regard to black-marketing and under-weighing against Gopi Mal and Company, whole-sale dealer in rationed flour, Bulandshahr ;

(b) whether it is also a fact that the ration depot holders lodged complaints to this effect with the Central Government Inspector who recommended to the local authorities that the said company should be prosecuted and their licence cancelled ;

(c) whether it is further a fact that the District Supply Officer has also recommended cancellation of the licence of the said company; and

(d) if so, the action taken by Government against the said company ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). A report has been called for from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha on receipt.

सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र

7027. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़ यंत्रीकृत प्रक्षेत्र को पिछले वर्ष लाभ हुआ था ;

(ख) पिछले दस वर्षों में वर्षवार कितना लाभ या हानि हुई; और

(ग) इस वर्ष कितना लाभ अच्छे प्रबन्ध के कारण हुआ है और कितना लाभ खेती के उत्तम तरीके अपनाने के कारण हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) फार्म की स्थापना के समय से फार्म को हुए लाभ व हानि का विवरण निम्नलिखित है :

फसल वर्ष	लाभ	हानि
	(रुपये लाखों में)	
1956-57	—	2.71
1957-58	—	5.09
1958-59	1.70	—
1959-60	—	2.25
1960-61	2.84	—
1961-62	—	6.23
1962-63	—	6.51
1963-64	—	11.77
1964-65	—	9.94
1965-66	—	24.17
1966-67	18.71	—

(ग) 1966-67 में हुए लाभ के कई कारण हैं जिनमें कुशल प्रबन्ध व अच्छी खेती भी शामिल है। यह कहना कठिन है कि कितना लाभ कुशल प्रबन्ध और कितना लाभ अच्छी खेती के कारण हुआ है।

वनस्पति का निर्यात

7028. **श्री मु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वनस्पति के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) किन-किन मुख्य बाजारों में वनस्पति के निर्यात की गुंजाइश है ; और

(ग) इस उत्पाद को विदेशी बाजारों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विदेशों में भारतीय व्यापार मिशनों से वनस्पति की निर्यात सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कहा गया था।

(ख) पश्चिमी एशियाई और अफ्रीकी देश।

(ग) क्योंकि वनस्पति के चल रहे ऊंचे मूल्यों और गत तीन वर्ष से भी अधिक समय से इन वस्तुओं की कमी बने रहने के कारण जुलाई, 1964 में वास्तव में खाने के तेलों और वनस्पति के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था इसलिये इस अवधि में विदेशी मंडियों में इन वस्तुओं के प्रचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीनी संबंधी नीति

7029. **श्री मु० कु० तापड़िया :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1967-68 में चीनी का उत्पादन अधिक होने की सम्भावना है, क्या सरकार देश में चीनी की खपत के लिये चीनी देने की वर्तमान नीति में संशोधन करने और उसे उदार बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने 23 मार्च को 66,000 मीटरी टन चीनी की निर्मुक्ति के अतिरिक्त, खुले बाजार में बिक्री के लिये चीनी कारखानों को 3 अप्रैल को 24,000

मीटरी टन चीनी दी है। इसी प्रकार 23 मार्च को एक लाख मीटरी टन चीनी के आवंटन के अलावा 10,000 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गयी है। गर्मी के महीनों में और चीनी दिये जाने का विचार है।

भारतीय जल-प्रांगण में जहाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये नई टेलीफोन योजना

7030. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में टेलीफोन के ग्राहकों का भारतीय जल-प्रांगण में जहाजों के साथ सम्पर्क स्थापित कराने के लिये एक नई टेलीफोन योजना का उद्घाटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर कितनी विदेशी मुद्रा तथा अन्य व्यय हुआ है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) नई चालू की गई सेवा का नाम जहाज से तट तक थोड़ी दूरी की अति उच्च आवृत्ति रेडियो टेलीफोन सेवा है और यह 25 किलोमीटर तक की दूरी के लिए है। इस सेवा के द्वारा एक ओर भारतीय समुद्री सीमा में और उसके बाहर 25 किलो मीटर तक सामुद्री जहाजों पर तथा दूसरी ओर भारत में सभी टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए ट्रंक काल की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस सेवा की व्यवस्था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित तटीय बेतार केन्द्रों द्वारा की गई है।

(ग) इसके लिए विभाग ने कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की। इन तीनों स्थानों पर इस सेवा की व्यवस्था करने में 1,02,000 रुपये का खर्च हुआ।

अधिवक्ता अधिनियम का पुनर्विलोकन

7031. **श्री हेमराज :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम के पुनर्विलोकन के लिए एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या थीं और उनमें से किन-किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का है और यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट 6 जून, 1967 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार परीक्षा कर

रही है और परीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझा गया तो, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन कर दिये जाएंगे।

राज्यों में टेलीफोन

7032. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने टेलीफोन हैं।

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 846/68**]

डाकघर और शाखा डाकघर

7033. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार तारघरों की संख्या सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय कितने डाकघर और शाखा डाकघर हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-847/68**]

करनाल में ए० एफ० पी० आर० ओ० शिविर

7034. **श्री सूरजभान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के संरक्षण में ए० एफ० पी० आर० ओ० के अन्तर्गत करनाल (हरियाणा) में 25 मार्च से 6 अप्रैल, 1968 तक एक शिविर आयोजित किया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त शिविर पर सरकार का विचार 50,000 रुपए से भी अधिक राशि खर्च करने का है;

(ग) क्या इस शिविर में भाग लेने वाले देश के विभिन्न भागों के सभी व्यक्ति ईसाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस शिविर में भाग लेने के लिये किस आधार पर व्यक्तियों को चुना गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। खाद्य उत्पादन संगठन के लिए कार्यवाही हेतु 25 मार्च से 6 अप्रैल, 1968 तक एक्सटैन्शन एजूकेशन इस्टीट्यूट, नीलोखेड़ी (हरियाणा) में कृषि विस्तार सम्बन्धी एक विशेष अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनाज की वसूली

7035. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ की फसल तथा 1967-68 के लिये अनाज की वसूली के कार्यक्रम में सहकारी समितियों का कितना योगदान होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : 1967-68 के लिए अनाज की वसूली के कार्यक्रम में सहकारी समितियों के योगदान का पता जून, 1968 को सहकारी वर्ष के समाप्त होने पर चलेगा। जहां तक खरीफ की फसल का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई उपलब्ध जानकारी, जो खरीफ फसल के केवल एक भाग के बारे में है, से पता चलता है कि सहकारी समितियों ने 68 करोड़ रुपये के अनाज की वसूली की।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

7037. **श्री अंबचेजियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी अब भी प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भेजे जा रहे हैं, जबकि उसे स्थापित हुए 16 वर्ष हो चुके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन ने इन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियों के संबंध में कड़ा विरोध व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीति निर्धारित करने का सरकार का विचार है और उसका आधार क्या होगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 4,589 कर्मचारियों में से इस समय 46 कर्मचारी ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार के हैं और इस समय इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार की नीति राजपत्र में प्रकाशित किये गये भर्ती नियमों में प्रतिबिम्बित है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

7038. **श्री अंबचेजियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संविहित संगठनों के कर्मचारियों को, जो सरकारी आवास के सामान्य पूल से क्वार्टर पाने के अधिकारी नहीं हैं, बढ़ी हुई दरों से अर्थात् उनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की दरों से, मकान किराया भत्ता देने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जहां ऐसी ही स्थिति है, अपने कर्मचारियों के लिये मकान किराये भत्ते की दर अभी तक नहीं बढ़ाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारियों को मकान किराया रियायत देने के बारे में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्य करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने-अपने नियम बनाये हुए हैं। ये रियायतें अलग-अलग उपक्रम में अलग-अलग हैं।

(ख) और (ग). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्य श्रमिकों की भविष्य निधि योजना का प्रशासन करना है। इस संगठन की दशायें उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दशाओं से भिन्न हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों को समान दर से मकान किराया भत्ता मंजूर करता है।

Telephones at Panchayat Centres in Rajasthan

7039. **Shri Jamna Lal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have provided telephones at Panchayat Centres in many Districts of Rajasthan ;

(b) if so, the number of the Panchayat Centres in District Tonk where telephones have been provided ; and

(c) the time by which the remaining centres would be provided with telephones ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) and (c). 6 telephones have been provided for the Panchayat Centres in District **Tonk**. No other demand is pending.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी केन्द्र, बम्बई

7040. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी केन्द्र, बम्बई के सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर के प्रशासनिक नियंत्रण में गहरे समुद्र तथा तट-दूर मछली पकड़ने संबंधी संगठनों ने अपनी काम की स्थिति आदि के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अभ्यावेदन करने के लिये किसी कर्मचारी को मुअत्तिल अथवा नौकरी से बर्खास्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । नवम्बर, 1967 में इण्डियन नेशनल आफ शोर फिसिंग सीमैन्स एसोसिएशन, कोचीन, केरल से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ।

(ख) शिकायतें ये थीं कि फलूटिंग स्टाफ की बिना किसी आराम व बिना प्रतिपूर्ति के कई-कई दिन तक अनिश्चित समय तक काम करना पड़ता है । ज्ञापन में काम करने के घण्टे निर्धारित करने की मांग की गई थी और लिखा गया था कि जब तक ऐसा नहीं होता प्रतिदिन अधिक समय काम करने के लिये पैसे या जिन्स के रूप में प्रतिपूर्ति की जाय । सरकार के मतानुसार फलोटिंग स्टाफ के लिये कार्य करने के घण्टे निर्धारित करना कठिन है । स्टाफ की मुख्य शिकायत उनके वेतन आदि के विषय में है । उनके वेतन व भत्तों में संशोधन करने का निर्णय किया गया है । कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर विचार करते समय उन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जायेगा जिनमें उन्हें काम करना पड़ता है ।

(ग) और (घ). सेन्ट्रल सिविल सरविसिज (टैम्पोरेरी सरविसिज) रूल्ज, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं । कुछ कर्मचारियों को आदेश न मानने के कारण निलम्बित किया गया है । अभ्यावेदन भेजने के कारण किसी को निलम्बित या सेवामुक्त नहीं किया गया है ।

मद्रास के डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री

7041. **श्री सेझियान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर तथा मद्रास राज्य के अन्य स्थानों पर डाकघरों में बिक्री के लिये अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पिछली तिमाही में मद्रास शहर तथा मद्रास राज्य के कुछ डाकघरों में कभी-कभी अन्तर्देशीय पत्र कार्डों की कमी रही है ।

(ख) डाक टिकट नियंत्रक से प्राप्त हुई अपर्याप्त सप्लाई के कारण ।

(ग) सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये निकटवर्ती डाकघरों तथा साथ ही डाक टिकट नियंत्रक, नासिक रोड की सहायता से तत्काल व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त मद्रास में कोरे अन्तर्देशीय पत्र कार्ड छापने और उन पर डाक टिकट लगा कर डाकघरों के माध्यम से बेचने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की सूचना

7042. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की ओर से 8 अप्रैल, 1968 से हड़ताल करने का नोटिस मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि दिल्ली के लोगों को दूध की सप्लाई न होने वाली अत्यधिक कठिनाई से बचाया जा सके; और

(ग) क्या कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सन्धि अधिकारी ने इण्डस्ट्रियल डिस्पूट एक्ट 1947 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही निश्चित की है। सन्धि कार्यवाहियों की अनिष्पन्नता के दौरान कर्मचारियों के लिए हड़ताल करना गैर-कानूनी होगा।

(ग) सन्धि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान मांगों पर विचार किया जायेगा।

बिहार में कोसी नदी क्षेत्र

7043. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी के क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास करने के लिये उसे चार खण्डों में विभाजित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या कोसी खण्ड के क्षेत्र का विकास करने के लिये 125 करोड़ रुपये व्यय करने का भी निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम कोसी नदी क्षेत्र भी आता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि पूर्वी कोसी नहर के क्षेत्र कृषि सम्बन्धी समन्वित विकास के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

कार्य की मदें	कुल लागत रुपये (करोड़ों में)
1. जल वितरण व प्रबन्ध (पक्की नालियों का निर्माण, तथा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था)	27.30
2. भूमि विकास तथा भूमि संरक्षण	4.06
3. कृषि आदान :	
1. बीज फार्म	3.02
2. उर्वरक	61.20
3. वनस्पति रक्षा (कीटनाशक दवाओं सहित)	3.20
4. बागवानी	0.71
5. पिस्सीकल्चर	0.90
6. पशुधन (कुक्कुटपालन व डेरी सहित)	0.90
7. वन विज्ञान	0.59
8. सेवायें, प्रक्रिया व परिवहन आदि :	
1. कृषि उद्योग	3.59
2. भण्डारण, विपणन व परिवहन	1.94
3. संचार	13.70
9. विस्तार व प्रशिक्षण	4.26
कुल रुपये	125.37 करोड़

इस आकार की योजना को एकदम समस्त क्षेत्र में शुरू करना कठिन है, अतः कमाण्ड क्षेत्र को चार खण्डों में विभाजित किया गया है जिनमें से खण्ड क व ख तुरन्त विकास के लिये उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वे पहले ही पूर्वी कोसी नहर सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत आए हुए हैं। दूसरे ग व घ खण्डों में विकास कार्य शुरू हो सकता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कुछ देर पश्चात् पानी पहुंच जाएगा। परन्तु समस्त योजना प्रारंभिक अवस्था में है।

(ग) जी नहीं।

आसाम में अकाल की स्थिति

7044. **श्री म० ला० सोंधी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कुछ सब-डिवीजनों में अकाल की स्थिति व्याप्त है;

(ख) क्या धुबरी सब-डिवीजन में एक बच्चा भूख से मर गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये क्या उपाय बरते जा रहे हैं कि भूख से और लोग न मरने पायें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में मूल्यों में सख्ती आयी है और यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस बढ़ोतरी का प्रभाव मंगलदाई सब-डिवीजन जोकि सामान्यतः अधिशेष क्षेत्र है, में वास्तव में अनुभव किया गया है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रही है। तथापि, राज्य के किसी भी भाग में अकाल स्थिति के बारे में कोई सरकारी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ शब्दों के प्रयोग किये जाने का मामला

POINT RE: USE OF CERTAIN WORDS

अध्यक्ष महोदय : मुझे 'फिसी' शब्द प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री भंडारे की चिट प्राप्त हुई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह शब्द असंसदीय है अथवा नहीं।

श्री रा० ढो० भंडारे : (बम्बई-मध्य) कृपया इस मामले पर अपना निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने इस शब्द के प्रयोग किये जाने पर आपत्ति की है तो मैं यह मामला उठाना ठीक समझता हूँ।

श्री नाथ पाई : (राजापुर) यह शब्द संसदीय है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री भंडारे को मैंने बोलने की अनुमति दी है आप उन्हें बोलने का अवसर दें।

श्री रा० ढो० भंडारे : मैं यह व्यवस्था का प्रश्न नियम 377 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं। 'आप चालाक हैं' शब्द का प्रयोग किया गया है और चालाक शब्द में धोखे की भावना झलकती है। **(व्यंवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक 'चालाक' हैं शब्द का प्रश्न है, प्रत्येक शब्द के दो अर्थ लिये जा सकते हैं। हम सभा में शब्द के केवल अच्छे अर्थ को स्वीकार करते हैं बुरे अर्थ को नहीं। 'चालाक' का अर्थ है बहुत होशियार। 'फिसी' के बारे में भी यही बात है। यह सामान्यता प्रयोग किये जाने वाला शब्द है और इस शब्द का प्रयोग हम सब स्थानों पर कर रहे हैं। मेरे विचार से इसके प्रयोग पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रा० ढो० भंडारे : ऐसा कहना कि इस मामले में कुछ संदिग्धता है, उचित नहीं है। अतः किसी मंत्री द्वारा इस प्रकार का उत्तर दिया जाना संसदीय प्रणाली के विरुद्ध और अशिष्ट है। अब मैं नियम 380 का उल्लेख करूंगा......

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम का उल्लेख करेंगे तो काफी समय लग जायेगा मैं दोनों मामलों पर अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री रा० ढो० भंडारे : इन दोनों शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। ये शब्द अशिष्ट हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे शब्द अशिष्ट हो सकते हैं लेकिन मुझे भी उन्हें सभा की कार्यवाही से निकालने के लिये सीमित अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी चूंकि यह शब्द बहुत शिष्ट नहीं हैं अतः मैं इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि वे शब्द असंसदीय और अप्रतिष्ठाजनक न हों।

श्री पं वेंकटासुब्बया : (नन्द्दयाल) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्न काल में सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिये आरोप लगाना कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश में स्थिति

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संयुक्त विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिये निमंत्रित न किये जाने के कारण संवैधानिक संकट बने रहने और फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की जनता को लोकतन्त्रात्मक सरकार से वंचित रखा जाना।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राज्य विधान सभा में राजनैतिक दलों के नेताओं से पहले ही मिल चुके हैं, जिनके अधिकार 25 फरवरी, 1968 को अनुच्छेद 356 के अधीन की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा केवल निलम्बित किये गये हैं। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में एक स्थायी मंत्रिमंडल बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं तथा स्थिति पर उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री नाथ पाई : जब श्री चरण सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपने त्यागपत्र में राज्यपाल से यह निवेदन किया था कि संयुक्त विधायक दल के नये नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाये। नये नेता का चुनाव मार्च, 1968 को हुआ। इससे पहले राज्यपाल ने यह कहा था कि वह श्री विकल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि संयुक्त विधायक दल में विभाजन है। यदि ऐसा एक मत से होता तो उन्हें श्री विकल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने में कोई हिचक नहीं होती। संयुक्त विधायक दल के नये नेता का चुनाव एक मत से हुआ था और इसकी सूचना राज्यपाल को दे दी गई थी। मैं इस बारे में श्री चह्वाण से उत्तर चाहता हूं।

कांग्रेस दल में आज आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं और श्री चह्वाण उसके नेता चुने गये हैं। लेकिन जब तक श्री चह्वाण का दल बहुमत में है आप श्री रंगा को सरकार बनाने के लिये नहीं कह सकते।

यदि ऐसे समय राज्यपाल को कुछ जानकारी मिलती है जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जिसमें यह बताया गया हो कि सत्तारूढ़ दल का बहुमत समाप्त हो गया है तो क्या राज्यपाल को उसकी उपेक्षा करनी चाहिये और अपने इस अनुमान पर चलते रहना चाहिये कि सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त है ? मेरा उत्तर हां में है। संयुक्त विधायक दल की कभी भी सभा में हार नहीं हुई। उन्होंने त्यागपत्र दिया और उसके साथ-साथ नये नेता का चुनाव भी किया। राज्यपाल पर एक बार फिर सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने का संदेह होता है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि उनका प्रमुख कर्त्तव्य सत्तारूढ़ दल या गृह-मंत्री के प्रति नहीं है बल्कि संविधान के प्रति है। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बिना तथ्य की जानकारी के राज्यपाल पर आरोप लगाना उचित नहीं है। माननीय सदस्यों के अपने दल के बारे में अपने अनुमान हो सकेते हैं। वे राज्यपाल से भी यही आशा नहीं कर सकते कि वह भी उनके विचारों से सहमत हों **(व्यवधान)** उन्होंने जो निर्णय उस समय किया था वह उचित था। उसके पश्चात् उन्होंने सभा के सत्रावसान की सिफारिश की थी। सभा ने उनकी रिपोर्ट को स्वीकार किया था। सभा के सत्रावसान के पश्चात् नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें स्थायी सरकार बनाये रखने के लिये प्रयास करना पड़ा। राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जिस किसी को भी सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करे वह इसको ध्यान में रख कर करे कि वह सभा में स्थायी बहुमत बनाये रखने में समर्थ रहेगा

(**व्यवधान**) आपने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

Shri Surya Prakash Puri (Nawada): In the opinion of the Governor neither the Congress, nor the S. V. D. was in a position to form a stable Government. I want to draw the attention of the Minister on a statement given by the S. V. D. that the S. V. D. is in a position to form a Stable Government and it has also sent the list of its supporters. In such circumstances, why the Governor is hesitating to take any decision in this regard ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind) ; If the names of some members are included in both the lists, given to the Governor, whether the Governor will try to know the views of those members in the presence of the leaders of S. V. D. and Congress Party. So that the factual state may be known and the majority in power may form the Government ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह आपके विचार हैं। मैं इस मामले में राज्यपाल को सलाह देने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि यदि बजट की मांगों के समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी तो बहुत समय नष्ट होगा। यदि आप केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की अनुमति देता हूं।

श्री हेम बरुआ : (मंगलदायी) अध्यक्षों के सम्मेलन में देश के लिये कुछ निर्णय किये गये हैं। इनसे देश का पथ प्रदर्शन होगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे निर्णय सामान्य हैं अतः वह उनको स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री चह्वाण को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नहीं कहूंगा। मेरे लिये कृपया कठिन स्थिति पैदा न करें। इन निर्णयों पर आज समस्त देश का ध्यान लगा हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है (**व्यवधान**) इस ओर सरकार का भी ध्यान लगा है। गृह-मंत्रालय को इस बारे में जांच करनी है और सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है। इन सब बातों में समय लगता है।

Shri Rabi Ray (Puri) : I request that the Government should take some steps with regard to burning of Jhuggies in Calcutta of the 500 hospital workers........

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार को भी इस बात की जानकारी है और वह भी इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1968

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1966 की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जयन्ती शिपिंग कम्पनी (नियन्त्रण बोर्ड) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 523 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-828/68]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 622 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उत्तरी चावल क्षेत्र (वहन नियन्त्रण) आदेश, 1968, जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 623 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 624 जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गए कतिपय आदेशों का विखण्डन किया गया।

(चार) जी० एस० आर० 625 जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) मैसूर अनाज (निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 626 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) उत्तर प्रदेश मोटा अनाज (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 627 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) दिल्ली मोटा अनाज (निर्यात नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 628 में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) दिल्ली निर्धारित खाद्य वस्तुएं (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 28 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 629 में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) राजस्थान अनाज (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 681 में प्रकाशित हुआ था ।

(दस) पश्चिमी बंगाल कटन मशीनें (चलाने पर नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 682 में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 684 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली मोटा अनाज (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1966 का विखंडन किया गया ।

(बारह) उड़ीसा चावल (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 687 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 689 की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गए ।
[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-829/68]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (अनुपूरक) विनियमन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (अनुपूरक) विनियमन, 1968 की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 593 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-83068]**

पंजाब मोटर गाड़ी (चंडीगढ़ पहला संशोधन) नियम, 1968

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : I beg to lay on the Table a copy of the Punjab Motor Vehicles (Chandigarh First Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. 1200-H.II (2)-68/7000 in Chandigarh Administration Gazette dated the 16th March, 1968, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939.

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-831/68]

कोयला, खान, भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1968 जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 191 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) राजस्थान, कोयला खान बोनस (तीसरा संशोधन) योजना, 1968, जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 549 में प्रकाशित हुई थी ।

(2) ऊपर (एक) में दी गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**-832/68]

पश्चिमी बंगाल करारोपण विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1968

Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : Sir, on behalf of Shri Jagannath Pahadia I beg to lay on the Table a copy of West Bengal Taxation Laws (Amendment) Act, 1968, (President Act No. 6 of 1968) published in Gazette of India dated the 26th March, 1968, under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968.

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-833/68]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

उंचासवाँ प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय–उरर्वक के बारे में प्राक्कलन समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी : (राजकोट) मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में, राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के पैरा 18 तथा राजस्व प्राप्तियों संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 के बारे में 24वां प्रतिवेदन ।

(2) गृहकार्य, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास (पुनर्वास विभाग), और पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालयों से संबंधित, विनियोग लेखे (सिविल), 1965-66 तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 के बारे में 25वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी : (गोपालगंज) मैं नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समितियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTIONS FOR ELECTION TO COMMITTEES

प्राक्कलन समिति

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक लेखा समिति

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) "कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से, 15 सदस्य चुनें।"

(2) "कि यह सभा-राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य-सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(1) "कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य चुनें।"

(2) "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : I beg to move :

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of Rule 312 B of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha, ten members from among themselves to serve as members of the Committee on Public undertakings for the term beginning on the 1st May, 1968 and ending on 30th April. 1969.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली

अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri D. N. Tiwari: I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate five members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st May, 1968 and ending on the 30th April, 1969, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha".

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से पांच सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक—अनुदानो की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation

अध्यक्ष महोदय: अब सभा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा तथा इन पर मतदान करेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri B. N. Bhargava: It is very sad that even after 21 years of our independence and completion of three five years plans we have not been able to solve our food problem. During the Third Five Year Plan we gave preference to agriculture. Ours is an agricultural country in which about 80 percent people are dependent on agriculture. Still we have not yet been able to become self-sufficient in food. Therefore it is necessary to go into the causes responsible for this state of affairs.

Our farmers depend upon nature. It is, therefore, necessary to provide safeguard to the farmers against the vagaries of nature. We have not been able to provide our farmers

the ownership of land he tilled and also the technical knowledge necessary to increase production. Unless these things are provided to the farmers it is not possible for them to produce more.

The most important thing necessary for the agriculture is irrigation. Unless we have sufficient means of irrigation in the country it is not possible to solve the food problem of the country. The farmers should be given all agriculture facilities. It should be treated as national problem and utmost priority should be given to it.

The Rajasthan Canal scheme should be completed as early as possible because it will not only help in solving the irrigation problem of the state but also act as a measure of defence for our border with Pakistan. This scheme was scheduled to be completed by 1968-69 but now it is being said that it will be completed by 1970-71. But taking into consideration to slow progress made during the last two years it is not likely to be completed even by 1970-71. The Government, should therefore pay great attention in this regard and the work on the scheme should be expedited.

When we started our Five Year Plans we were utilising 17 per cent of our resources. Even after completing of Three Five Years Plan we have been able to utilise on 36 per cent water. Therefore 64 per cent of water still remains to be utilised. So we should pay greater attention in this regard.

The farmers should be made the owners of the land they tilled. Unless the feeling of ownership is there they cannot be expected to produce more. It is, therefore, necessary that land reforms should be undertaken. It is also necessary to provide necessary finance to the farmers because most of the farmers in our country are very poor.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled at seven minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri B. N. Bhargava: If we want to solve the food problem then we have to fulfil the requirements of the farmers.

So far as co-operative development is concerned, the village publicity officer should be given incentive. Their technical knowledge should be utilised. We should consider this problem carefully. Efficient officers should be given incentive whereas inefficient should be penalized.

The Government has also received peoples support for its scheme.

Appropriate training should be given to the officers. There is no use of opening new stores unless the officers are being trained.

Shri N. R. Patil (Bhir) : Due to the severe cold wave and hail storm in the Bhir district and nearly area on 11th January, 1968, the crops have suffered a lot and the farmers

have suffered a great loss. Such a calamity is unprecedent for the farmers of that area. The land producing 100 to 200 quintal of Jawar could not produce even 1 quintal of Jawar. It is therefore, necessary that Government should help them. If the Government fails to do its duty there will be a feeling of desperateness amongst the farmers.

The Crops of rabi have almost been damaged in the Bhir district. Taking this calamity into consideration the land revenue should be remitted and where it has been collected it should be returned to the farmers.

श्री मु० न० नाघनूर (बेल गांव) : कृषि हमारे देश का मुख्य उद्योग है। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। फिर भी हमने कृषि को आवश्यक महत्व नहीं दिया है। तीसरी योजना में कृषि के लिए 499.07 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी जबकि इसी योजना के अन्तर्गत उद्योगों के लिए 962.3 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। कृषकों को 380 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये जबकि उद्योगों के लिए 753 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। कृषि उत्पादन 6,800 करोड़ रुपये का हुआ जबकि औद्योगिक उत्पादन केवल 2800 करोड़ रुपये का हुआ। अतः सरकार को कृषि विकास के लिये अधिक से अधिक व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अपनी नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने चाहिये।

अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आन्दोलन राज्यों की राजधानी में नहीं चलाया जा सकता। यह अभियान खेतिहर किसान ही चला सकता है। अतः आज मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाया जाना चाहिये और किसान को हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिये।

हाल ही में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कृषि और उसके विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। इस दल ने बड़ी महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिशें की हैं। सरकार को वे सिफारिशें यथाशीघ्र क्रियान्वित कर देनी चाहिये।

महाराष्ट्र और मैसूर के लोग सिंचाई-क्षमता बढ़ाने के बारे में सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। इन राज्यों की सिंचाई क्षमता मुश्किल से 6 से 7 प्रतिशत है जबकि आन्ध्र, मद्रास दक्षिण के अन्य राज्यों और उत्तर प्रदेश की सिंचाई क्षमता 30 से 40 प्रतिशत है। वे दोनों राज्य इस बारे में संघर्ष करते रहे परन्तु सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यदि देश को खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर करना है तो प्रत्येक राज्य को सिंचाई सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा देश की खाद्यान्न की समस्या हल नहीं हो सकती।

हमें वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अपनी परियोजनाएं तैयार कर केन्द्र के पास भेजते हैं लेकिन उनको मंजूरी देने में केन्द्र काफी देरी कर देता है। जिसके कारण राज्यों के लोग निराश हो जाते हैं। सरकार को इस बारे में विलम्ब नहीं करना चाहिये।

यह खुशी की बात है कि आन्ध्र प्रदेश धान और खाद्य की काफी पैदावार करने में सफल हुआ है। लेकिन हमें एक वर्ष में एक फसल तो अवश्य बोने दिया जाना चाहिये।

महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों को कृष्णा नदी का पानी समान रूप से मिलना चाहिये। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को देखना चाहिये कि महाराष्ट्र और मैसूर में उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये।

सरकारी तंत्र पर खर्चे में भारी वृद्धि हुई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये 67.2 करोड़ रुपये की मांग की गई थी जबकि केवल 28 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई। सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि जब हमारे कार्यक्रम में कमी कर दी गई है तो हमें अपने खर्चे में भी कमी करनी चाहिये।

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडिया) : यह दुःख की बात है कि बीस वर्ष बाद भी हम आज प्रभावशाली राष्ट्रीय खाद्यनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जो वर्तमान और भविष्य दोनों में हमारे लिये सहायक सिद्ध हो सके।

विकसित देशों में भी कृषि विभाग की उपेक्षा की जा रही है। इसका कारण यह है कि वहां अनाज का बहुतायत है परन्तु हमारे देश में अनाज की कमी है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार आर्थिक और कृषि के मामलों में गम्भीरता से कार्य करने में असफल रही है।

सरकार से हमने बार-बार भूमि सुधार को अमल में लाने के लिये कहा है। हम इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिसमें कृषक ही भूमि का स्वामी हो। लेकिन बीस वर्ष बाद भी हम अपने लक्ष्य में सफल होते नजर नहीं आते।

हमारे देश में नवयुवक और नवयुवतियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी मिल जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि समाजवादी दलों ने भूमि सेना बनाने का सुझाव दिया है। इसके द्वारा हम देश के नौजवानों को रोजगार दिलाने में समर्थ हो सकेंगे और खाद्य उत्पादन में भी आत्म-निर्भर हो सकेंगे।

श्री जगजीवन राम के खाद्य मंत्री होने से पूर्व हमें यह बताया गया था कि देश 1967 या 1968 तक आत्म-निर्भर हो जायेगा, परन्तु अब कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भरता 1971 तक प्राप्त की जा सकेगी। सरकार इसके लिये वर्षा को दोष देती है। अन्य देश जो वर्षा पर आश्रित थे उन्होंने कृषि के मामले में पर्याप्त उन्नति की है इसी प्रकार भारत भी कृषि में प्रगति कर सकता था।

सघन खेती का कार्यक्रम कुछ इने-गिने जिलों में ही शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर और निष्ठा से किया जाना चाहिये। यदि किसान को उर्वरक, बीज, तकनीकी

जानकारी तथा अन्य उपकरण दिये जायें, तो वह प्रगतिशील बन सकता है। यह दुःख की बात है कि इस उद्देश्य के लिये सरकार ने जितनी योजनायें शुरू कीं वे सब वांछित सफलता प्राप्त न कर सकीं। सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना आदि किसान-अभिमुख न होकर जीप-अभिमुख बन गई। कोई भी खण्ड विकास अधिकारी जीप से उतर कर खेतों में जाना पसन्द नहीं करता तथा उन्हें खेतों की वास्तविक समस्याओं का पता ही नहीं चलता। फिर वे विकास-कार्य में क्या सहायता कर सकते हैं। इसी बात को विचार कर श्री शास्त्री ने सामुदायिक विकास खण्डों से जीप वापस लेने पर विचार किया था। अतः वहां से जीप शीघ्र से शीघ्र वापस ले ली जायें।

अब मैं सहकारी क्षेत्र के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा। सहकारी समितियों के गठन से पूर्व व्यापारी वर्ग ही सरकार और उपभोक्ता के बीच की कड़ी का काम करता था। सहकारी समितियों का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वे बिचौलियों का स्थान ले सकें अर्थात् वो व्यापार अपने हाथ में ले लें। मैसूर राज्य में सहकारी समितियों की स्थिति अराजकता-पूर्ण है। वे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं उनके हिसाब की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है।

जहां तक चीनी के कारखानों का सम्बन्ध है, उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनेक चीनी के मिल अलाभकर सिद्ध हो चुके हैं परन्तु दक्षिण भारत में चीनी के कारखानों के विस्तार की काफी गुंजाइश है। मेरे क्षेत्र में दो चीनी के मिल हैं जो बहुत अच्छी प्रकार काम कर रहे हैं। इनमें से एक सहकारी क्षेत्र में है। सहकारी क्षेत्र में एक और मिल खोलने के लिए भारतीय सहकारी सक्कारई सोसाइटी द्वारा आवेदन किया गया था। सरकार उस पर शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अन्नासाहिब शिन्दे अपना भाषण शुरू करें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मंत्रालय के वाद-विवाद में राजनीतिज्ञों तथा अन्य महत्व-पूर्ण व्यक्तित्वों ने भाग लिया है। उन्होंने कार्य-संचालन के बारे में बड़ी उदारतापूर्वक अपनी टिप्पणियां दी हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अब राजनीतिज्ञों ने भी कृषि अनुसंधान और कृषि उत्पादन जैसे विषयों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। यह वर्ष मौसम की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा है। इस वर्ष अनाज का उत्पादन लगभग 9.5 करोड़ टन होगा। कपास का उत्पादन 1966-67 की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक होने की आशा है। पटसन का उत्पादन भी 63.6 लाख गांठ होने की आशा है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन-किन प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ा है। डा० कर्णी सिंह ने ठीक ही कहा है कि इसके लिए 10 प्रतिशत श्रेय तो सरकार को दिया जाना चाहिए। अच्छे मौसम के अतिरिक्त सरकार की उपयुक्त नीतियों तथा कृषकों के उद्यमशील वर्ग ने भी कृषि के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायता की है। यह बड़ी अच्छी बात है कि कृषकों का युवा वर्ग अब सब जगह आगे बढ़ रहा है। ये किसान अच्छे बीज, उर्वरक, पादप-संरक्षण के उपायों की महत्ता को

भलीभांति समझते हैं और यह भी कि इनका सदुपयोग कैसे किया जाये। आजकल किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अभूतपूर्व उत्साह है। सरकार की मूल्य-नीति ने भी इसमें महत्व-पूर्ण योग दिया है। यह सर्व विदित है कि जब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे तब तक अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे किसानों को सघन खेती करने के लिये भी प्रोत्साहन मिलता है। कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं का मूल्य 66 रुपये से 73 रुपये तक का सुझाया था, परन्तु सरकार ने 76 रुपये से 81 रुपये तक गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित किया है। अन्न का उत्पादन बढ़ाने में विज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करके उसे स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया है। इसके अधीन अनुसंधान परियोजनाओं को अखिल भारतीय स्तर के एक सूत्र में बांध दिया गया है। इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला है, तथा जो लाभ हमें इस दिशा में 10 या 15 वर्ष में प्राप्त होते वे केवल 5 वर्ष के समय में ही प्राप्त हो गए हैं।

इस समय हमारे देश के आठ राज्यों — उत्तर प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो जाये। भाभा अणु-अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में एक अणु अनुसंधान प्रयोग-शाला स्थापित की जा रही है।

ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता के बारे में जो शिकायत की गई है वह ठीक है। परन्तु मेरे विचार से ट्रैक्टरों की सप्लाई की समस्या को देश में अधिक ट्रैक्टरों का निर्माण करके हल कर दिया जायेगा। देशी ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष देश में लगभग 7000 ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ था और इस वर्ष लगभग 10,000 ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ है। देश में 30,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता है।

हल्के ट्रैक्टरों के बारे में सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना आरम्भ करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि गैर-सरकारी उद्योग कम अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टर बनाना चाहेंगे तो उन्हें भी प्रोत्साहित किया जायेगा। आगामी वर्ष में हम लगभग 3000-4000 ट्रैक्टर आयात करने जा रहे हैं और ट्रैक्टर निर्माताओं द्वारा हमें जो कार्यक्रम दिया गया है उसके अनुसार लगभग 16000-17000 ट्रैक्टर देश में बनाये जाने की संभावना है।

जहां तक किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य में एक बड़ा बीज फार्म खोला जा रहा है। उड़ीसा में एक बड़ा बीज फार्म खोला जा चुका है। कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। इन फार्मों के खुल जाने के बाद अच्छे बीज उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम अपनी एजेंसियों द्वारा सहायता कर रहा है। राज्यों को भी अपने-अपने बीज निगम स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं पर ठीक ही जोर दिया गया है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें तुरन्त लाभ हो सकता है। हम इसके लिये अधिक से अधिक

धन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। दूसरी योजना में 140 करोड़ और तीसरी योजना में 377 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। 1966-67 में ही कुल मिलाकर 152 करोड़ रुपये छोटे सिंचाई कार्यों पर खर्च किये गये थे। 1967-68 में 171 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 1968-69 के लिये लगभग 222 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने फसल के बीमे की बात भी उठाई है। सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि फसलों के बीमे की भी व्यवस्था होनी चाहिये। विधि मंत्रालय के परामर्श से एक विधेयक तैयार किया जा चुका है और राज्य सरकारों के इस पर विचार प्राप्त किये जा चुके हैं। आशा है कि सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लेगी।

श्री रणजीत सिंह ने भारतीय कृषि सेवा बनाए जाने की बात कही है। हमने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसके लिये भी राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है क्योंकि कृषि राज्य विषय है।

गल्ला जमा करके रखने की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में भी कहा गया है। इस वर्ष राज्यों और केन्द्र के पास 72 लाख टन तक अनाज जमा करके रखने की क्षमता है और अनाज रखने के लिये कम से कम 60 से 64 लाख टन तक क्षमता उपलब्ध है। निकट भविष्य में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये परन्तु आगे चलकर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उत्पादन निरन्तर बढ़ते जाने की संभावना है। और गोदाम बनाने का नया कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : केरल राज्य ही देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अनाज की सबसे अधिक कमी रहती है। यह हमारी सामाजिक प्रणाली तथा आर्थिक जीवन की एक विडम्बना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्षों के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जोरदार प्रयत्न नहीं किया गया है। कृषि योग्य भूमि में से केवल 45 प्रतिशत भूमि में अनाज बोया गया और इसमें से भी केवल 15 प्रतिशत भूमि में एक से अधिक बार अनाज बोया गया। अनाज का उत्पादन केवल 7 ग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ा है। सरकार ने 1951 से अब तक मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं पर 1519 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और पी० एल०-480 के अधीन अमरीका से अनाज मंगाने पर 2400 करोड़ रुपये से अधिक रकम खर्च की है। यदि यह धन सिंचाई कार्यों पर खर्च किया जाता तो हमें विदेशों से अनाज मंगाने की आवश्यकता न होती।

राष्ट्रीय खाद्य नीति की कार्यान्विति के लिये समन्वित प्रयास नहीं किया गया है। लोगों ने कई बार अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये मांग की। सरकार इसके लिये

तैयार नहीं है । अनाज के व्यापार में बिचौलिये अधिकांश मुनाफा ले रहे हैं । सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 100 करोड़ रुपये की पूंजी से चालू किया था । खाद्य निगम जनता की केवल 3 प्रतिशत मांग की पूर्ति के लिये ही अनाज खरीद पाता है । इसका परिणाम यह होता है कि अनाज की कमी वाले राज्यों को कठिनाई उठानी पड़ती है और वहां भूख से लोग मरते हैं ।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

हमारे देश में कृषि दलित और परिश्रमी किसानों पर ही निर्भर करती है । जब तक उन्हें सामन्तशाही के जुएं से मुक्त नहीं किया जाता है तब तक कृषि सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता । भूमि सुधारों से ही उत्पादन प्रणाली को गतिशील बनाया जा सकता है ।

उन राज्यों को जहां गैर-कांग्रेसी सरकारों के हाथ में शासन की डोर है पर्याप्त अनाज नहीं दिया जा रहा है । उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार अनाज के मामले में राजनीति को बीच में लाने का प्रयत्न कर रही है । इस तरह से देश की एकता और अखण्डता का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं दिया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह केरल राज्य को हर महीने 75000 टन चावल सप्लाई करे । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमें राज्य के बाहर से अनाज खरीदने की छूट दी जानी चाहिये । मोटे चावल को छोड़कर अन्य किस्म के चावलों की कीमतों में जो वृद्धि की गई है राज्य सरकार ने उसे उपभोक्ताओं पर नहीं लादा है और इस तरह केरल सरकार को 25 लाख रुपये का जो घाटा हो रहा है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा राज-सहायता जारी रखकर पूरा किया जाना चाहिये ।

श्री गा० शं० मिश्र (छिन्दवाड़ा) : सरकार ने कृषि के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया है । कृषि की लागत बढ़ जाने से अनाज की कीमत बढ़ गई है । प्रशासन ने लागत ढांचे पर विचार करके कृषि-जन्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं किया है । न ही कृषि-जन्य वस्तुओं की लागत कम करने का प्रयत्न किया गया है । इसीलिये कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी जानकारी का भी उपयोग नहीं किया गया है और इसी कारण से देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के वर्षों में कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उद्योगों का भी विकास नहीं हो सका है । परिणाम यह हुआ कि फसल का ढांचा ही बदल गया और अनाज का उत्पादन कम हो गया ।

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो किसान ट्रैक्टरों आदि की मांग कर रहे हैं उनकी कोई सहायता नहीं की जा रही है । ट्रैक्टरों के आयात पर रोक लगा दी गई है और किसानों को चोर बाजारी के जरिये ट्रैक्टर और टायर आदि दुगुनी कीमत पर खरीदने के लिये मजबूर

किया जा रहा है । उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी संसाधन जुटाये जाने चाहिये और किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

कृषि का विकास न होने का मुख्य कारण मूल्य निर्धारण नीति है । मंत्री महोदय ने कहा है कि अनाज के मूल्य निर्धारित करने के लिये बनाए गये आयोग ने इस दिशा में कुछ काम किया है। मेरी राय में आयोग ने लागत ढांचे पर विचार ही नहीं किया है । आयोग द्वारा जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं वे अनुचित और अव्यावहारिक हैं और किसानों के हित में नहीं हैं । कुल राष्ट्रीय आय में से 51 प्रतिशत आय कृषि से होती है और इसी प्रकार 53 प्रतिशत निर्यात भी खेती पर ही निर्भर करता है । यदि कृषि-जन्य वस्तुओं की लागत कम कर दी जाये तो मुनाफे की गुंजाइश बढ़ जायेगी । उससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी और हमारा निर्यात व्यापार भी अधिक हो जायेगा ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि कृषि सम्बन्धी उपकरणों और ट्रैक्टरों के प्रयोग से उत्पादन लागत कम हो सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है । उनके प्रयोग से और अधिक भूमि में खेती की जा सकेगी और किसान खेती के विकास के अन्य तरीके भी निकाल सकेगा । परन्तु ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की वर्तमान स्थिति बड़ी शोचनीय है । कृषि के लिये केवल 34000 ट्रैक्टरों का ही प्रयोग किया जा रहा है ।

जहां तक उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों आदि का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है । वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार एक एकड़ के लिये 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 2 किलोग्राम फासफोरस के उवर्रक ही उपलब्ध हो सकते हैं । इससे उत्पादन लागत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

कृषि के लिये सिंचाई और बिजली का बड़ा महत्व है । परन्तु वर्तमान स्थिति बड़ी चिन्ता-जनक है। अभी हम केवल 27 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई कर पा रहे हैं ।

पिछले 20 वर्षों में 10 प्रतिशत ग्रामों में बिजली की व्यवस्था की गई है परन्तु मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत गांवों में भी बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है, जबकि कृषि योग्य क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है । इतना ही नहीं लगभग 80 प्रतिशत बिजली उद्योगों और घरेलू कार्यों के लिये दी जाती है और शेष 20 प्रतिशत बिजली रेलवे, सड़कों की रोशनी तथा सिंचाई आदि के लिये दी जाती है । भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है ।

बीजों की किस्मों के विकास के लिये कृषि अनुसन्धान कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं । परन्तु इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका लाभ उठाने के लिये उचित जुताई, उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों तथा सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रयोग कराया जाना तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मुनाफा दिलाया जाना जरूरी है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Congress Government has been blaming the farmer and the rain god for the shortfall in production for the last two years. The Congress

Government had boastfully declared that they will have a bumper crop this time. This pride is melting away now. Already there was a hailstorm in Gurgaon and crops worth crores of rupees were damaged. The same thing happened in Maharashtra and there also the crops have been damaged.

In the past, the farmers were asked to part with their produce on the assurance that they would receive a reasonable price. Now, when the bumper crop is there, will the Hon. Minister assure the House that the prices of foodgrains will not be allowed to fall down and that Government will even support the prices if the need for such a step arises and thus help the farmer who has been suffering for the last so many years ?

So far as storage facilities are concerned, Government do not have sufficient warehouses where farmers can keep their produce. For this, Government need Rs. 18 crores. If the farmers are to be protected, the provision of warehouses is absolutely necessary. We are spending 40 per cent of our budget on defence and as against this agriculture is almost a neglected subject. And in spite of so much expenditure on defence, Government have not been able to recover an inch of our territory which has been illegally occupied by China and Pakistan.

The farmers have all along been neglected. We should decide once for all whether we want to treat the farmers properly. If the same old attitude continues, Congress Party is bound to be defeated in more and more states. We cannot afford to neglect the interests of farmers any more if we want democracy to survive in this country.

So far as the construction of drains and canals is concerned, it has been taken up haphazardly with the result that a number of villages have suffered due to floods. The entire district of Gurgaon has greatly suffered on this account.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पर बहस में राजनीति लाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाषण जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

27वां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (Delhi East) : I beg to move :

"That this House agrees with the twenty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th April, 1968."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 10 अप्रैल, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 31क, 168, आदि का संशोधन)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Bhola Nath (Alwar) : The names of the various states were determined in 1956 under the States Reorganisation Act. At that time, there was a popular Government functioning in Madras State but no opposition was voiced to the nomenclature 'Madras'.

It had been suggested to the Government that the name of Rajasthan should be changed to Aravali Pradesh as the present name smacked of feudalism. But no action has been taken by the Government on this suggestion.

If the name of any State is to be changed, the best thing will be to leave the matter to a high-power commission like the States Reorganisation Commission, which should take into consideration the historical geographical, and other factors.

With these words I oppose this Bill and hope that it will be withdrawn and that Government themselves will bring forward a new Bill after giving full thought to this matter.

श्री सेझियान : मद्रास राज्य विधान सभा ने जिसमें कांग्रेसी विधायक भी शामिल हैं, मद्रास राज्य का नाम बदलने के पक्ष में सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया गया है । मद्रास राज्य में सभी तमिल पत्र-व्यवहार में और सभी तमिल प्रकाशनों में इस समय भी राज्य का नाम तमिलनाडू लिखा जाता है ।

माननीय सदस्य इस विधेयक के पेश किये जाने में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं । उन्हें इस विधेयक के पेश किये जाने में सहयोग देना चाहिये । यदि वे राजस्थान का नाम बदलने के बारे में कोई विधेयक पेश करेंगे तो मैं उनका समर्थन करने के लिये तैयार हूं ।

यदि सरकार इस प्रकार का विधेयक अपनी ओर से पेश करने के लिये तैयार है तो विचार के समय मैं इस विधेयक पर आग्रह नहीं करूंगा । परन्तु मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में
RE. CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

भारतीय पेंशन विधेयक
INDIAN PENSIONS BILL

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक अथवा अन्यथा, अथवा उसकी मृत्यु पर दी जाने वाली पेन्शन उपदान और महँगाई भत्ते सम्बन्धी कानून को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक अथवा अन्यथा, अथवा उसकी मृत्यु पर दी जाने वाली पेन्शन उपदान और महंगाई भत्ते सम्बन्धी कानून को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 220 का प्रतिस्थापन)

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri O. P. Tyagi : I introduce the Bill.

कार्मिक संघ मान्यता विधेयक—जारी

RECOGNITION OF TRADE UNIONS BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री मधु लिमये द्वारा 29 मार्च, 1968 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि कर्मचारियों में कार्मिक संघ के कार्य को प्रोत्साहन देने तथा मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कार्मिक संघों के बीच सामूहिक सौदाकारी की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The trade unions movement in our country is weak and the purpose of the Bill is to put it on a healthy footing. If we compare the position of the trade unions in 1951-52 with that in 1963-64 (official statistics are available only upto this year) we shall find that the trade unions have not become strong either from the point of view of membership or financially. In 1951-52 there were 4623 trade unions with a membership of 20 lakhs and subscription income of Rs. 50 lakhs. In 1962-63 their number was 11,468 with a membership of 40 lakhs and subscription income of Rs. one crore and 92 lakhs.

Because of a weak financial base, the trade unions cannot carry out their reponsibilities to the workers. For instance, when there is a strike, the labourers start starving after sometime because their unions have no funds to sustain them. Similarly the unions are not able to carry on welfare activities among the labourers. Nearly 25 per cent of their funds are spent on their office buildings etc. and 19 per cent on officials. On social, cultural and other welfare activities, they spend only 2.6 per cent. Moreover there are rival trade unions in most industries quarrelling among themselves about their representative character which makes their bargaining power weak. Thus their activities are not channelled in the right direction.

For the purpose of making their financial base strong, it has been provided in the Bill that the minimum membership fee should be Re. 1 per mensem instead of the present 25 paise. This should be deducted from their wages at source by the employers and given to respective trade unions according to their membership. This will not only make their financial position sound, but will also eliminate the irregularity of payments and the unions will be able to help the labourers in times of their need.

The proposed Bill provides for compulsory recognition of unions as the sole bargaining agent provided they fulfilled certain conditions. Thus, it should have at least 15 per cent membership of the total number of employees engaged in the industry and it should enjoy the support of the largest number of employees in that industry. It must also hold its elections annually in a democratic way and managing committee must meet at least once in three months.

It has also been provided that before taking a decision in favour of a strike, the consent of the workers should be taken by holding a ballot. Facility for collecting funds to sustain the strike should also be given so that the striking workers may not have to starve.

In case the difference of membership between two unions applying for recognition is less than 5 per cent, the question should be settled through ballot.

The procedure for recognition of the representative character of a union as given in the Bombay Industrial Relations Act is very complicated and gives scope to interference by the employer as well as the party in power. In the new political set-up in the country that was emerged after the general elections, we should recognise that discretionary recognition will not do. The ballot is the best method for determining the representative character of a union.

In case Government want to wait till the report of the National Commission on Labour is received, let the Bill be circulated for eliciting public opinion. By that time, they will also be in possession of the report of the Commission.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri K. N. Pandey (Padrauna): On the one hand, it is said that the trade union movement can remain alive only when it is free from the influence of the Government and the employer but on the other they are being empowered by the Bill to collect subscription from the workers. This is a contradictory position. We should remember that agitation is not the sole purpose of the trade unions, their aim should be to get a fair deal for the worker. This can be better achieved by keeping industrial peace and not by disturbing it.

The provision of ballot for determining the representative character of a union is something beyond my comprehension. A worker becomes member of a trade union only after paying his subscription and it is therefore clear as to which trade union he has opted for.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): There can be no two opinions that the trade union movement in the country needs to be strengthened and given a healthy direction.

It is regrettable that Government have no definite and clear policy for determining the representative character of a trade union. Moreover, there is also the question of the position of the workers who belong to the unions that have not been recognised. While recognising some unions, it will have to be seen that the interests of workers not subscribing to those unions are not jeopardised. The channel of communication with them will have to be kept open.

So far as recognition of unions on the Railways, is concerned, the same method should be followed in recognising trade unions as has been adopted in the Posts and Telegraphs Department.

In addition to those, there are some other problems also which will have to be considered. It is open to workers to change their membership of one trade union to another, if they do not find the working of the former satisfactory. Therefore, the strength of a union is subject to change. Also, many times workers connect themselves with more than one union for the purpose of achieving something through one union and something else through another.

The Bill has several good features such as annual general meeting, democratic elections and no place for caste or community etc. in membership. The suggestion for circulation of the Bill should be accepted.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): The Bill brought forward by the Hon. Member, Shri Madhu Limaye, has many healthy provisions. There is no doubt that because of the presence of more than one union in an industry, they quarrel among themselves and cause harm to the workers. The employers also exploit such a situation. Later an Act was passed that the employers should consult the union which has been granted recognition.

But I can say on basis of personal experience that there should be more than one union in an industry for the sake of a competitive and healthy rivalry between them.

If there are two shops in a place and one is closed down the consumers will have no option but to purchase their requirements from the only other shop irrespective of the bad quality of goods. Then there is the apprehension that if a union associated with the party in power is granted recognition, its membership may not be genuine. Then, about giving the voting right, I think it will not be proper to confer voting rights to all workers even if they are not members of any union. This should be restricted to members of various unions.

About the deduction of subscription at source, I do not feel it will be a healthy convention worth following, During my visit to Malayasia and Singapore in the first week of February I found that the workers, who are mostly South Indians, either deposit their subscription in the offices of the unions or send it through money order. I think this is a better system. Of course. the unions should train the workers and try to win over them.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Mr. Deputy Speaker, this Bill contains some very valuable provisions which are essential for healthy working of trade unions. I have only one point of disagreement or rather say an amendment that in regard to subscriptions the system of collection at the pay table should be introduced instead of entrusting the deductions to the management at source. After all any trade union minded worker will like to assess the working of the union during a year—how far it has come up to their collective expectations and aspirations—before paying his subscription.

Shri Kashi Nath Pandey claimed that the membership of I.N.T.U.C. was 20 lakhs. Their number never declines as the names of deceased members will also be found on their register. If they are so confident, why do they not agree to the principle of ballot. We want introduction of ballot system in all the unions whether it be All India Defence Employees Union or All India Railwaymen's Federation or National Federation of Posts and Telegraph Employees or any other union. I am confident that I.N.T.U.C. is not going to secure more than 10 per cent votes. If you do not accept the principle of ballot, the trade unions are not going to work on democratic lines as is the case with the unions in Jamshedpur or workers of TELCO. I am prepared to resign and contest election against Shri K. N. Pandey on the two issues of ballot and I.N.T.U.C.

Then, the code of conduct, the code of discipline has not been extended to state undertaking and defence installations. If this facility is denied to them, they have no option but to demand ballot. In 1926 Trade Union Act was passed but it has not been extended to Jammu and Kashmir. There is no law there so far under which a trade union may be registered. You will be surprised to know that in Assam a certificate from the commanding officer recommending the recognition of a trade union is required to be submitted to the Registrar of Trade unions for recognition of a trade union of defence personnel. Is it industrial trade, is it the way of leading the trade unions in a healthy direction? The Hon. Labour Minister should intervene and should express his helplessness on account of orders of Home Ministry or External Affairs Ministry or Defence Ministry.

The labour problem is a human problem. They should be given fair wages, a fair deal and voting right. The code of discipline adopted at the I.L.C. should be enforced in all the

state undertakings under the centre. Closure of industries, unemployment, lay-off and retrenchment of workers are things which cannot be tolerated. Then only industrial peace will prevail and gherao will be discontinued. I will submit that we should agree in principle with the Bill and circulate it for eliciting public opinion. We are even prepared to wage a war against the I.N.T.U.C. people. Our opposition will continue until a legislation is brought forward against unemployment and retrenchment and the industrial truce will be torn to pieces by the employers.

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : प्रबन्धकों को श्रमिकों के वेतन में से चन्दा काटकर यूनियनों को देने का अधिकार देने सम्बन्धी खण्ड 8 के अतिरिक्त मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी प्रबन्धकों के अधीन काम कर रहे श्रमिकों पर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाद दी गई और केन्द्र में कांग्रेस ने अपने प्रभाव से ऐसा किया और इन यूनियनों को मान्यता देने के लिये कहा। प्रबन्धक श्रमिकों की जानकारी के बिना प्रायः इन यूनियनों के साथ समझौते कर लेते हैं। भारत में श्रमिकों की कम मजूरी और निम्न स्तर का यह एक कारण है।

सभी कार्मिक संघों पर आज विभिन्न राजनीतिक दलों का कब्जा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कांग्रेस का और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर साम्यवादी दलों का। अन्य संघ भी इसी प्रकार राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं। इन संघों के बीच भी झगड़े हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी उद्योग में कार्मिक संघ का बहुमत निर्धारित करने का तरीका ढूंढना होगा। इसका एकमात्र तरीका बैलट ही है। बहुमत प्राप्त कार्मिक संघ को श्रमिकों की बुनियादी मांगों जैसे बोनस, वेतनमान आदि की ओर ध्यान देना चाहिए और व्यक्ति विशेष के मामलों की ओर अन्य कार्मिक संघ ध्यान दे सकते हैं। श्रमिकों को इन कार्मिक संघों को भी स्वीकार करना चाहिए।

गत सप्ताह मैंने खेत्री तांबा खानों में देखा कि एक यूनियन में लगभग 3000 श्रमिक हैं परन्तु प्रबन्धकों ने केवल 50 श्रमिकों वाली एक अन्य यूनियन को मान्यता दे रखी है। प्रबन्धकों ने 3000 सदस्यों वाली यूनियन से बातचीत भी नहीं की और दूसरी यूनियन से समझौता कर लिया। इसलिये मैं कहूंगा कि बैलट द्वारा ही बहुमत का निश्चय हो सकता है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : यदि यह विधेयक कार्मिक संघ आन्दोलन की सभी समस्याओं, बुराइयों और कठिनाइयों को दूर कर देता है, तो मैं इसका अवश्य स्वागत करूंगा। परन्तु विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखे हैं। हमें देखना यह है कि कार्मिक संघ के बहुमत का निश्चय किस प्रकार किया जाये और इसका उद्देश्य कार्मिक संघों के बीच होड़ समाप्त करना है, जिसके कारण विगत में तथा हाल के वर्षों में बहुत से श्रमिक-दिनों की हानि हुई है। बिहार में तो हाल में एक कार्मिक संघ नेता की जान भी चली गई।

इस विधेयक के प्रस्तावक ने कहा है कि श्रमिकों की सदस्यता का बहुमत निर्धारित करने के लिये एक कार्मिक संघ प्राधिकार होगा। इसके लिये आज भी एक प्राधिकार है परन्तु जैसा कि

श्री स० मो० बनर्जी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि उन्हें इसमें विश्वास नहीं है। इसलिये कोई अन्य गैर-सरकारी प्राधिकार होना चाहिए। लेकिन दूसरी यूनियन इसके निर्णय को चुनौती दे सकती हैं। इसलिये हमें प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। मान लो कि यह 15 प्रतिशत हो। फिर प्रश्न होता है कि यह गुप्त मतदान द्वारा हो अथवा सदस्यता के आधार पर? इसके बारे में निर्णय करना आसान नहीं। श्री वाजपेयी ने कहा कि दो यूनियन भी हो सकती हैं और उन्होंने इसके उदाहरण भी दिये। श्री जाधव ने भी कहा कि एक यूनियन का होना ठीक नहीं। मान लो हम निर्णय करते हैं कि एक यूनियन हो। ऐसी स्थिति में यदि बहुमत वाली यूनियन—जो 60-70 अथवा 55 प्रतिशत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है—मालिकों अथवा प्रबन्धकों से समझौता कर लेती है परन्तु दूसरी यूनियन जिसके 45 प्रतिशत श्रमिक सदस्य हैं उसे स्वीकार नहीं करती है। उनका क्या होता है? हमें निर्णय करना चाहिए कि उस समय क्या प्रक्रिया होगी। यदि अल्प मत प्राप्त यूनियन इसे स्वीकार करने से इन्कार करती है और एक औद्योगिक विवाद उठा देती है, तो क्या होगा? एक अन्य कठिनाई है कि औद्योगिक सम्बन्ध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। यदि इस विधेयक के अनुसरण में मान लो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के श्रमिकों की एक यूनियन को मान्यता दे देती है और उसके साथ प्रबन्धकों का कोई समझौता होता है परन्तु दूसरी यूनियन उसे न मानकर एक विवाद उठाती है, तो राज्य सरकार उस विवाद को स्वीकार कर सकती है। इसलिये यह एक जटिल मामला है और राज्य सरकारों को भी इस पर विचार करना आवश्यक है।

वास्तव में मैं इस्पात उद्योग के विभिन्न कार्मिक संघ नेताओं से मिला था और हमने इसके लिये प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास भी किया था। मेरे विचार में श्रमिक किसी भी कार्मिक संघ के सदस्य होने के लिये मुक्त होने चाहिए, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। वेतन से चन्दे की कटौती की दशा में मालिक स्वयं कटौती करता रहे और भुगतान करता जाये और बेचारे अनपढ़ श्रमिक को पता ही न हो कि वह किस यूनियन को चन्दा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि श्रमिकों में कार्मिक संघ की भावना उत्पन्न हो, वे कार्मिक संघों की गतिविधियों में सक्रिय भाग लें, हड़तालों में नहीं परन्तु अन्य कल्याण कार्यों में भी। यह तब संभव हो सकता है जब श्रमिक स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क देता है। फिर बैलट में सदस्यता में 5 प्रतिशत का अन्तर कम होकर 1 अथवा 2 प्रतिशत भी हो सकता है और बढ़कर 5 अथवा 7 प्रतिशत भी हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे विशेष लाभ नहीं होगा।

यह केवल एक यूनियन को मान्यता देने का प्रश्न नहीं है। हमें यह अनिवार्य करना होगा कि बहुमत प्राप्त यूनियन के साथ हुआ समझौता अल्पमत वाली यूनियन को मानना पड़ेगा और उसे इसको उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इस प्रयोजन के लिये कुछ गतिविधियों को, जिनकी अधिनियम में व्याख्या होगी, अनुसूचित घोषित करना पड़ेगा।

मैं इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की भावना की सराहना करता हूं। मैंने 19 तारीख को होने वाले राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की कार्य सूची में इस प्रश्न को शामिल किया है।

मैं इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने पहले ही चार अध्ययन दल नियुक्त कर रखे हैं। हम इस विधेयक पर हुई चर्चा को निश्चय ही उन्हें भेज सकते हैं। इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Clause 4 is clear on the point whether the agreements entered into by the recognised union will be binding on all the workers. I realise and appreciate the spirit behind the opposition to collection of subscription from the remuneration. If some other way, of giving facilities to unions to collect the subscription is found in, it can be considered.

I have suggested ballot system as the membership of the unions is likely to increase considerably. Then there may be a dispute if the difference in membership is only 5 per cent. The ballot will help in preparing a base for recognising the union enjoying the majority vote and enable it to perform the functions as sole bargaining agent.

As regards the functions of the minority unions, there is provision in the code and the Bombay Industrial Act. The General issues concerning all the workers will be taken up by the majority unions and the minority unions may take up individual cases.

If the Hon. Member is opposed to my suggestions in the present form, it may be circulated to State Governments, National Labour Commission and trade union organisations. I am prepared to amend my motion.

श्री हाथी : हम इसे श्रम आयोग को भेज देंगे। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे विधेयक को वापस ले लें।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, I want at least this assurance from him that after ascertaining the views of State Governments, trade union organisations and National Labour Commission, he will bring forward a bill about compulsory recognition.

श्री हाथी : इस चर्चा के बाद हम इसे राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेज देंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उसकी सिफारिशों के अनुसार हम एक विधेयक लायेंगे।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया

The Bill was, by leave, withdrawn

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये प्रस्ताव पर चर्चा, जो 29 मार्च, 1968 को स्थगित हो गई थी, पुनः आरम्भ की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये, प्रस्ताव पर चर्चा, जो 29 मार्च, 1968 को स्थगित हो गई थी, पुनः आरम्भ की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is a very good bill brought forward by Shri D. C. Sharma. A demand has been made from all sections of the House to make the clauses of the Bill more liberal. I, therefore, suggest that it may be referred to a select committee of the House.

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : यह प्रश्न राज्य सभा में प्रवर समिति को सौंपा गया था और इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में मामूली संशोधन किये गये हैं, अश्लीलता सम्बन्धी मूल धारा बहुत पहले बनाई गई थी। बदली हुई परिस्थिति में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि सरकार श्री दी० चं० शर्मा, विधि मंत्री के परामर्श से प्रवर समिति के सदस्यों की सूची तैयार कर रही है । प्रस्ताव तैयार होने तक हम इस बीच चर्चा जारी रखेंगे ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, as far as the spirit of this Bill is concerned, I support it. Since this Bill is being referred to the select committee, they should see to it that the provisions of this Bill are not misused to suppress the pace of art in our country. People all over the world are attracted to the temples in India which are treasures of ancient India Art. The art treasure of Khajuraho, Konarka etc. cannot be termed as obscene. The UNCTAD delegates were surprised to see this treasure on the contrary you will be surprised to know that cabaret and strip tease dances are going on in Delhi restaurants which are very much like night clubs in foreign countries. The committee should look into it. Even small children are seen attending Jam Session where twist and shake in the craze. If it allowed to continue, I am afraid the very foundation of the country would be shaken. Not only the legal aspects but other aspects should also be examined.

[**श्री गु. सि. ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Shri Sheo Narain (Basti) : I support the Bill brought forward by Shri D. C. Sharma, which is very essential for character building in view of critical situation in the country. A very correct picture has been drawn by Shri S. M. Banerjee about the Delhi hotels. I found

boys smoking and indulging in loose talks. In fact people have got black money, which their children are spending extravagantly. Hard earned money is not misused.

Today we find obscene scenes from the films displayed in all places and even small children are often heard singing obscene songs in streets. Can this coming generation be expected to replace Gandhi and Nehru. The zeal of the youth in the pre-independence days is totally missing. The modern Indian youth has become an addict of tea, coffee, smoking, chocolate and cinema. We should all try to give proper direction to the coming generation and save them from the materialism in the world. We believe in spiritualism. We do not have faith in the British slogan, 'Eat, Drink and be merry'.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Mr. Chairman, whenever the question of obscenity comes up; a plea is taken that when there are nude sculptures and images in Khajuraho and Konarka; how it is obscene to display nude pictures in film posters ? How to distinguish between obscenity and a piece of art. Who should decide it ? Can a magistrate decide ? Is he capable to assess the artistical value of a piece of art, photograph, article or a book.

There are two sets of people, one puritans for whom there are innumerable taboos and the other liberals who allow everything including pornographic literature and sexy literature. The definition of beauty has been changing from one age to another. But basically a thing which is pleasant to read, pleasant to hear or see and amuses a man and raises the man's mind to new heights is beautiful and a thing which arouses sexual, criminal and destructive instinct is considered obscene and bad. There are certain things about which there can be two opinions that they are obscene as is the case with our cinema posters, pornographic literature being sold on sides. The cheap literature, films etc. which spoil our youth should be banned. An official endowed with artistic talent should be entrusted with the task of judging the artistical values. The select committee should look into all these aspects.

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : I am very much pained to find that the obscenity in all the spheres, books, articles, cinemas, photos, hotels, clubs etc., is directed against the women. These things are spoiling our children. They have developed a craze for smoking, cinema and fashion and they even take to stealing to provide for this extravagance. Today there are institutions which train the children in these things. It is our first and foremost duty to check these things and this trend. Besides some experienced persons one or two lady members may also be included in the select committee. With these words I support this Bill.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता में आगे संशोधन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, 24 सदस्यों, अर्थात्—

(1) श्री विद्याधर बाजपेयी

(2) श्री स० मो० बनर्जी

(3) श्री आर० डी० भंडारी

(4) श्री चन्द्रिका प्रसाद

(5) श्री यशवन्तराव चह्वाण

(6) श्री तुलसीराम दशरथ कांबले

(7) श्री एम० एम० कृष्ण

(8) श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई

(9) श्री मधु लिमये

(10) डा० महादेव प्रसाद

(11) श्री माली मरिअप्पा

(12) श्री बाकर अली मिर्जा

(13) श्री पीलू मोदी

(14) श्री अमृत नाहाटा

(15) श्री के० एस० रामास्वामी

(16) श्री वी० संवाशिवम्

(17) श्री द्वैपायन सेन

(18) श्री शशि भूषण

(19) श्री शिव नारायण

(20) श्री विद्याचरण शुक्ल

(21) श्री रा० कृ० सिंह

(22) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(23) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् और

(24) श्री दीवान चन्द शर्मा,

की प्रवर समिति को अगले सत्र के दूसरे दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंपा जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में आगे संशोधन करने तथा उससे आनुषंषिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, 24 सदस्यों, अर्थात्—

(1) श्री विद्याधर बाजपेयी

(2) श्री स० मो० बनर्जी

(3) श्री आर० डी० भंडारी

(4) श्री चन्द्रिका प्रसाद

(5) श्री यशवन्तराव चह्वाण

(6) श्री तुलसीराम दशरथ कांबले

(7) श्री एम० एम० कृष्ण

(8) श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई

(9) श्री मधु लिमये

(10) डा० महादेव प्रसाद

(11) श्री माली मरिअप्पा

(12) श्री बाकर अली मिर्जा

(13) श्री पीलू मोदी

(14) श्री अमृत नाहाटा

(15) श्री के० एस० रामास्वामी

(16) श्री वी० संबाशिवम्

(17) श्री द्वैपायन सेन

(18) श्री शशि भूषण

(19) श्री शिव नारायण

(20) श्री विद्याचरण शुक्ल

(21) श्री रा० कृ० सिंह

(22) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(23) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् और

(24) श्री दीवान चन्द शर्मा,

"की प्रवर समिति को अगले सत्र के दूसरे दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 80 का हटाया जाना)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Omission of Section 80)

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मेरा यह निवेदन है कि विधि आयोग के सत्ताइसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला

विधेयक तैयार है, जिसमें धारा 80 में भी संशोधन शामिल है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि या तो माननीय सदस्य विधेयक को वापस ले लें अथवा इस पर बाद में विचार किया जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं केवल एक-दो आवश्यक बातें कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस विधेयक पर चर्चा स्थगित किये जाने के लिये सहमत हूं।

राज्य अथवा सरकारी अधिकारियों के लिये नागरिक के विरुद्ध संरक्षण के लिये संविहित उपबन्ध एक पुरानी बात हो गई है। कानून-प्रिय देशों में राज्य तथा नागरिक को समानता का दर्जा देने की दिशा में प्रगति की है। उन्होंने नौकरशाही की ज्यादतियों को समाप्त किया है तथा राज्य अथवा सरकारी एजेंसियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्रता से तथा कम व्यय पर न्याय पाने की व्यवस्था की है। अनेक मामले बताये जा सकते हैं, जिनमें धारा 80 की कठोरता के कारण प्रार्थियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह धारा सरकारी कार्यवाही के विरुद्ध अविलम्ब, अन्तरिम राहत प्राप्त करना नागरिक के लिये कठिन कर देती है। इस संशोधन का उद्देश्य इन असंगतियों को दूर करना तथा राज्य और नागरिक के बीच कानून की दृष्टि में समानता स्थापित करना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की वर्तमान धारा 80 भारत के संविधान की भावना के विपरीत है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। यही भावना अनुच्छेद 32, 226 और 227 में व्यक्त की गई है। वर्तमान धारा कानून की दृष्टि में राज्य और नागरिक के बीच भेदभाव और असमानता कानून की भावना के विरुद्ध है। इसलिये मैं इस आशा से कि सरकार अवश्य ही मूलतः इस भावना वाला—चाहे उसकी भाषा भिन्न हो—संशोधन प्रस्तुत करेगी, मैं अपने विधेयक पर चर्चा स्थगित किये जाने के लिये सहमत हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे और उन्हें सुनने के बाद ही मैं चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव रखूंगा।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : विधि आयोग के 14वें और 27वें प्रतिवेदनों में, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 को निकालने की सिफारिश की गई है। विधि मंत्रालय विधि आयोग की सिफारिशों से सामान्य रूप से सहमत है। इस बारे में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है। मुझे आशा है कि संसद् के आगामी सत्र में एक व्यापक संशोधन रखना संभव होगा। लेकिन मैं निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूं क्योंकि अभी इसको मंत्रिमंडल की स्वीकृति तथा अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री नाथ पाई : मैं नियम 109 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(धारा 3, 6 आदि का संशोधन)

सभापति महोदय : अगला विधेयक श्री प० ला० बारूपाल के नाम में है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Consideration on this Bill may be postponed to next Friday, The Hon. Member is sick.

सभापति महोदय : केवल प्रस्तावक ही इस विधेयक को रख सकते हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : नियमों को निलम्बित कर दीजिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : हम नियम को निलम्बित कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभा यह अनुरोध करती है कि नियम को निलम्बित किया जाये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम को निलम्बित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियम को निलम्बित किया जाये और विधेयक को स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

(धारा 11, 23 आदि का संशोधन)

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 31 अगस्त, 1968 तक परिचालित किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य अर्जित की गई भूमि के मालिकों को उनकी भूमि के लिये उचित प्रतिकर दिलाना है, प्रतिकर की राशि कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वह व्यक्ति उसी प्रकार की भूमि दूसरे स्थान पर ले सके। गाजियाबाद में भूमि अर्जन का मामला उठाया गया था और डा० राम सुभग सिंह वहां गये थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत के बाद लोगों को प्रतिकर के रूप में कुछ और धन दिया गया, जो इस अधिनियम के अनुसार देय नहीं था। बाजार मूल्य से कम दर पर प्रतिकर देना अनुचित है। विधि आयोग ने भी सिफारिश की है कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की जाती है, उसे यथासंभव इतना प्रतिकर दिया जाना चाहिए कि वह अर्जन से पूर्व की स्थिति में आ सके।

आपको यह जानकर दुःख होगा कि विभिन्न परियोजना के हेतु अर्जित की गई भूमि के लिये उनके मालिकों को बहुत कम प्रतिकर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन परियोजनाओं में रोजगार के मामले में भी उन्हें अथवा उनके लड़के-लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्ति की है, जिसके श्री मुल्ला अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को भी उस समिति के विचारार्थ भेज दिया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यह सच है कि मुल्ला समिति—जिसका मैं भी सदस्य हूं—इस प्रश्न पर विचार कर रही है। उसने एक प्रश्नावलि परिचालित की है परन्तु राज्य सरकारों की अकुशलता और अरुचि के कारण किसानों, स्थानीय अधिवक्ता परिषदों, आदि को, जो अनिवार्य अर्जन में प्रभावित होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं है। इस कारण से हमें सन्तोषजनक साक्ष्य नहीं मिल रहा है।

पहले स्कूल, चिकित्सालय, धर्मशाला, सिंचाई परियोजनाओं आदि सार्वजनिक कार्यों के लिये ही भूमि का अर्जन किया जाता था। परन्तु बाद में गैर-सरकारी कम्पनियों के विस्तार के लिये भूमि का अर्जन किया जाने लगा। ये कम्पनियां केवल कुछ धन जमा करके अपनी आवश्यकता से काफी अधिक भूमि सरकार से अर्जित कराकर ले लेती हैं और अपनी आवश्यकता से फालतू भूमि को बेचकर लाभ कमाती हैं। बेचारे किसान को तो उचित प्रतिकर नहीं मिलता है और वह अपनी भूमि से हाथ धो बैठता है। यह भूमि उसके लिये ही नहीं बल्कि उसकी जाने वाली पीढ़ियों के लिये रोजगार और जीविका का साधन होती है। यह उपबन्ध रखा गया कि उसे बाजार भाव के हिसाब से प्रतिकर मिले। लेकिन इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। न्यायालयों में जाने पर बहुत धन खर्च होता है और किसान के साथ न्याय नहीं होता। गैर-सरकारी उद्योगपति किसानों को नुकसान पहुंचाकर लाभ कमा रहे हैं। सरकार और लोक-सभा को चाहिए कि इस विधेयक को स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में ठीक प्रकार से विज्ञापित की जाये तथा सभी अधिवक्ता परिषदों, सभी किसान संगठनों जैसे किसान सभा, किसान सम्मेलन आदि, को भेजा जाये ताकि इससे प्रभावित होने वाले लोग इसके महत्व को समझें तथा इस सभा को अपने विचारों से अवगत करायें जिससे समिति और यह सभा ठीक निर्णय कर सकेगी।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj): I am fully in agreement with the object of moving this Bill as stated by the mover. It is my personal experience in Bihar that a notification acquiring certain land is issued but actual acquisition takes as long a time as five years. Meanwhile the peasant or the owner of that land is unable to build anything on that land or sell it while the prices go on rising. But he gets the compensation on the basis of market price five years ago when the notification was issued.

I am reminded of the case of Vallabh Vidyapeeth in Gujarat, who took the land direct from the villagers on the condition that 75 per cent land would be given back after developing it fully but no compensation or price would be paid for the 25 per cent land which would be permanently transferred to the Vidyapeeth. It was a very good proposition.

I feel that instead of paying cash compensation it would be better in the interest of peasants if they are rehabilitated on some other land. Otherwise they are likely to spend away the money and to face unemployment.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

I whole heartedly support this Bill.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): I fully support this Bill. First notification is issued under section 4 and after lapse of considerable time a notification is issued under section 9 and the actual acquisition takes still much more time but the poor peasant is paid compensation at the market rate prevalent at the time of issue of notification under section 4, 80-85 per cent of our population consists of, agriculturists. It is very unfair to the peasants who are the back bone of the country. They should be paid compensation on the basis of market price at the time of actual acquisition and barest minimum land should be acquired. I would suggest that it would serve the interests of peasants better if he is given alternate land to settle.

Shri Deorao Patil (Yeotmal): Sir, the Land Acquisition Act in force was enacted in 1894 and requires suitable amendments.

It is highly improper to pay compensation to the owner of the land at the rate of the market value prevailing at the time of the issue of the notification under section 4 of the Act. The compensation should be paid to the owner at the rate of the market value of the land prevailing at the time when it is actually acquired by the Government. A committee should be set up to examine this question.

At present there is no provision for the rehabilitation of those who are evicted and uprooted as a result of the acquisition of land. It is necessary to make provision for the rehabilitation of all concerned. The Centre should come forward with a legislation for the purpose.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर 31 अगस्त, 1968 तक राय जानने के लिये उसे परिचलित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मंडल को बिहार का मुख्य मंत्री बनाये जाने के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: INSTALLATION OF SHRI MANDAL AS CHIEF MINISTER OF BIHAR—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 28 फरवरी, 1968 को श्री नाथ पाई द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी।

श्री कामेश्वर सिंह जो उस पर बोल रहे थे, अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Sir, the Home Minister's argument that the Governor of a State can dismiss the ministry at his own discretion in certain circumstances carries no weight and is incongruous and all the more a ridicule of the constitution. The resolution adopted by the conference of Presiding officers on 7th April, 1968 says that the question whether a Chief Minister has lost the confidence of Assembly shall at all times be decided in the Assembly, which means the stand taken by the Home Minister so far is quite wrong.

Now coming to the installation of Shri Mandal as Chief Minister of Bihar, the manner in which he was installed as Chief Minister there is highly condemnable and wrong. This has been proved by the course of events after his installation. Even a section of the Congressmen in Bihar had very much disapproved of this action and some of the veteran and honest Congressmen were so much disgusted with this political banditary which was designed by the centre that they have resigned the Congress.

It is crystal clear that old and honest Congressmen in Bihar did not like the manner in which Shri Mandal was made Chief Minister. But what about Shri K. B. Sahay and his former colleagues? Immediately after the S. V. D. Government was formed in Bihar, they appointed Ayyar Commission to enquire into charges of corruption against Shri K. B. Sahay and his former colleagues. There were charges of embezzlement of crores of rupees against them. Shri K. B. Sahay had bribed M. L. As' to topple the S. V. D. Government. He himself had admitted in a press statement that he had spent Rs. 1 lakh to topple the Government.

A person is appointed to the high office of Chief Ministership to serve the people and run the State Government. But Shri S. P. Singh was appointed to recommend to the Governor the nomination of Shri Mandal to the Legislative Council. The appointment of Shri S. P. Singh as Chief Minister was a ridicule of the constitution. Nomination of Shri Mandal to the Legislative Council was also wrong. He did not possess special knowledge or practical experience of any matters enumerated in Article 171 of the constitution.

The Governor of Bihar had stated that the S. V. D. Government had done a good job to tackle the drought situation. He had also said that 22 items out of 33 items in the joint programme had been implemented. But still he has installed Shri Mandal as Chief Minister and thus brought the constitution in contempt.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वास्तव में बिहार में जो राजनैतिक अनाचार हो रहा है उसे गृह-कार्य मंत्री तथा उनके सहयोगियों ने पैदा किया है। इस कार्य के लिये गृह-कार्य

मंत्रालय राज्यपाल को अपना राजनैतिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है । गृह-कार्य मंत्री तथा उनका मंत्रालय पूर्णरूप से राजनैतिक भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं । उन्होंने अपना ध्यान संसद सदस्यों की जासूसी करने, उनके टेलीफोन सुनने और कुछ राजनैतिक दलों को कलंकित करने पर केन्द्रित किया है । अन्य आवश्यक बातों के लिये यथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिये उनके पास कोई समय नहीं है । इसी प्रकार इस मंत्रालय ने अपने राजनैतिक अनाचार की करतूतें पश्चिम बंगाल में दिखाई किन्तु वह वहां के अध्यक्ष को खरीद नहीं सकी । इस मंत्रालय के फासिस्ट तरीकों का पर्दाफाश हो गया है । गृह-कार्य मंत्री को अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharaj Ganj) : We have to examine how far this action is legally justified, so far as the question of the propriety or the impropriety of a particular action is concerned, there can be difference of opinion. It has been alleged that the nomination of Shri B. P. Mandal to the Legislative Council and his appointment as Chief Minister was legally wrong. But the fact is that there was no legal lacuna in his nomination and installation.

The present Chief Minister of Bihar, Shri Bhola Peswan is the leader of only 17 M.L.As. and his ministry is functioning with the support of these 17 M.L.As. only. The criticism of B. P. Mandal is not, therefore, justified. Shri Mandal was the leader of about 36-40 M.L.As. and had the support of the Congress Party.

It has been alleged that Shri K. B. Sahay spent lakhs of rupees to topple the S. V. D. Government. The matter is before the Privileges Committee and the truth will come-out. The Congress is criticised for everything. But what the opposition did not do to subserve their interests ? They did everything what they could do. On 7th or 8th September, four Congress M.L.As. were missing and nobody knew anything about them. Later on it came to light that they were stealthily taken to Ranchi where they were made Ministers. Again Shri M. P. Sinha in a statement has said that he did not know that it had been already decided to make Bhola Peswan Chief Minister.

During the last September, when the Soshit Dal made frequent complains that the S. V. D. had lost the support of the majority in the Assembly, the Governor asked the Chief Minister, Shri M. P. Singh to call a meeting of the assembly for a trial of strength. But he did not do so on one or the other excuse and the S. V. D. Government in Bihar ruled for about four months when they were in minority. They were afraid of facing the Assembly. Although the opposition parties criticise the Congress for certain things, they themselves are guilty of doing objectionable things. The opposition parties assert that they have every right to dislodge the Congress Governments. But why do they object when the Congress Party topples their Government.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद का उत्तर देने से पहले मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस प्रस्ताव पर पुनः वाद-विवाद का अवसर देकर हमें वह अधिकार वापस दिलाया है जिसे हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा था ।

दूसरी बात यह कि प्रस्ताव के प्रस्तावक को उत्तर देने के उसके अधिकार से वंचित करने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसकी (अधिकार की) आपने रक्षा की है। अतः मैं आप तथा सभा के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

जहां तक प्रस्ताव के विषय-वस्तु का सन्बन्ध है, मैं सभा का ध्यान उन तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण संकल्पों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें लोक सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस देश के पीठासीन अधिकारियों ने स्वीकृत किया है। मैं गृह-कार्य मंत्री से अब यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह उस अपील पर जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने भारत सरकार से की है गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उन रूढ़ियों को जिन्हें देश के पीठासीन अधिकारियों ने हमसे बनाये रखने की अपील की है, स्वीकृत अथवा मान्य रूढ़ियों के रूप में या अन्यथा संविधान में शामिल किया जाये।

16 नवम्बर तथा 28 फरवरी के मेरे प्रस्ताव का सार यह है कि मुख्य मंत्री को विधान सभा का सामना करने से बचना नहीं चाहिये और सरकार के भाग्य का निर्णय अध्यक्ष के कक्ष तथा राज्यपाल के कार्यालय में नहीं अपितु विधान सभा में किया जाना जरूरी है। बिहार में मंडल सरकार की स्थापना के बारे में मैंने जो कुछ कहा वह पटना में बाद में हुई घटनाओं से शत-प्रतिशत सिद्ध हो चुका है।

जहां तक राज्य परिषद् में किसी सदस्य के नामनिर्देशन का सम्बन्ध है, संविधान में उपबन्ध है कि कला, साहित्य अथवा सामाजिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की सेवाओं को देखते हुए उसे ऊपरी सदन का सदस्य मनोनीत किया जायेगा। संविधान में ऐसी कल्पना कभी नहीं की गई थी कि नामजदगी को किसी राजनैतिक पद प्राप्ति का साधन बनाया जायेगा। मैं समझता हूं गृह-कार्य मंत्री अब इस बात से सहमत हो रहे हैं। मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य केवल यह है कि संवैधानिक उपबन्धों का हनन नहीं अपितु रक्षा की जाये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : पीठासीन अधिकारियों के संकल्प अथवा सिफारिशें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं मानता हूं और उन पर विचार करना आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूं जो सिफारिश की गई है वह एक परिस्थिति में लागू होती है क्योंकि सरकारें बनाना तथा सरकारें हटाना दो भिन्न परिस्थितियां हैं—एक तो वह है जहां सरकार चल रही है और उसके भाग्य का निर्णय सभा द्वारा किया जाना चाहिये। यह बात पूर्णतः उचित तथा ठीक है। लेकिन दूसरी परिस्थित वह है जहां कोई सरकार ही नहीं है और सरकार बनानी है, उस स्थिति में जब कि स्थायी बहुमत प्राप्त करने की संभाव्यता का सवाल है, यह निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जिसे राज्यपाल को ही तय करना पड़ेगा।

श्री नाथ पाई : हमारा संविधान धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। आज देश में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। राजनैतिक वातावरण का पतन हो रहा है और वह जोखिम से भरा है। जो आग लगी है वह हम सभी को लपेट में लेगी। यह हमारा संयुक्त कर्तव्य है कि हम इस आग को

संगठित होकर बुझायें। इस तरह का बर्ताव तथा यह कहना अवांछनीय है मैं आपसे सहमत हूं। "आपकी तरह मुझे भी चिन्ता है।" "लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।" गृह-मंत्री को यह नहीं कहना चाहिये "मैं जानता हूं किसी मंडल की गलती है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं।" उनका यह कहना भी ठीक नहीं है कि राज्यपाल की कार्यवाही राजनैतिक दृष्टि से ठीक नहीं थी लेकिन कानूनीतौर पर ठीक थी। राजनीति की आवश्यकताओं से परे कानून है जिसका पालन करना जरूरी है कुछ स्वस्थ परम्पराएं हैं जिनका अनुसरण करना भी हमारे लिये जरूरी है।

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हूं बशर्ते गृह-कार्य मंत्री यह आश्वासन दें कि सरकार उन स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखेगी तथा उनका पालन करेगी जिनकी सिफारिश पीठासीन अधिकारियों ने की है।

अध्यक्ष महोदय : इतनी जल्दी कुछ कहना गृह-कार्य मंत्री के लिये संभव नहीं है, मंत्रि-मंडल में इस पर विचार किये जाने के बाद ही वह कुछ कह सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारी सिफारिश को सभी का समर्थन प्राप्त हो जाये। गृह-कार्य मंत्री को इस पर विचार-विमर्श करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये।

श्री नाथ पाई : वह वास्तविकताओं को मान्यता क्यों नहीं देते और हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन क्यों नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बिहार के राज्यपाल द्वारा श्री बी० पी० मण्डल को मुख्य मंत्री बनाने में अपनायी गई रीति एवं प्रक्रिया का निरनुमोदन करती है चूंकि उससे संविधान का अपमान होने और उसके लिये खतरा होने की संभावना है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 15 **अप्रैल,** 1968/ 26 **चैत्र,** 1890 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday April 15, 1968/Chaitra 26, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—12-10-68—600.